

श्रीष्टिज्ञानप्रकाशकृतिज्ञानप्रकाशकृतिज्ञानप्रकाशकृति

मेरे किसी भी गोस्वामिबन्धुद्वारा देवदत्तके उपभोग या देवलक्तावृत्ति को कलेपन न तो मुझे एक हायगा कम मिल रहा है और न इस असदुत्ति कोई छोड़ देगा तो मुझे एक भी स्थवा ज्यादा मिलने लग जायगा। श्रीमहाप्रभुके दिव्य सिद्धान्तोंको धोयित कलेपन लोग कुसत्त्वभाषी या हितभाषी कहकर मेरी प्रशंसा करें या पुष्टिमार्गी जनताको बरगतानेवाला कहकर मेरी निन्दा करें; इससे भी मुझे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

मुझे! जो पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त जिस रूपमें समझामें आये हैं वह मेरी समझा सच है या गलत यह तो श्रीमहाप्रभु-प्रभुरण-समातंज-पीत-प्रपातादिके प्राचीन ग्रन्थ ही निर्णय कर सकते हैं!

उन दिव्य सिद्धान्तोंको मेरे गोस्वामिबन्धु समेकहें-अनुसरे या न मानें-न कहें-न अनुसरें; मुझे उनसे कथा लेना-देना है —ऐसी “जानन्तु ते किमपि तात्प्रति तैष वत्तः” की उपेक्षामधी अहंता मेरे भीतर है नहीं। पुष्टिमार्गिर चलनेवाले प्रत्येक सहपरिकके प्रति उन्हें सहायत्री भाननेकी अपेक्षामधी वरदा ही मुझे अधिक मुहारी है!

इसलिये कहता रहूंगा, कहता रहूंगा और कहता ही रहूंगा; श्रीमहाप्रभुके दिव्य सिद्धान्त जैसे इस वर्ष कहता रहा वैसे ही आगामी वर्षोंमें भी, जैसे इस जन्ममें कह रहा हूं वैसे ही आगामी जन्मोंमें भी!

भूत जिन ज्याव मन अनत मेरो!

—गोस्वामी श्यामकलाहर

श्रीष्टिज्ञानप्रकाशकृतिज्ञानप्रकाशकृतिज्ञानप्रकाशकृति

(१)

जो कटोरी (गिरी) धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरली आप ही के द्रव्यको आरोग्य सो आप ही को भयो। जो श्रीठाकुरजीको द्रव्य खायगो सो मेरो नाही अह मेरो देवक भावदीप होयगो सो देवदत्त कबहू न खायगो। जो खायगो सो महाप्राप्ति भोगे तो उपभोगे भोगन करिको अपगो अधिकार न हो। वाके उपराजनकालका अनुसार वाको पढ़ायो।

—पुष्टिसिद्धान्तप्रकाशकारी महाप्रभु श्रीबल्लभ (घरवारी ३).

(प्रथम प्रकरण)

वैष्णवे सेवा, भगवद्स्मरण, भगवद्स्मरण इनमें पांचद न करो। और काहुके दिखायबेके अर्थ, पुजा अर्थ, उद्दारार्थ न करे। अपगो सहज धर्म जानें, जैसे ब्राह्मण गायत्री जपे, लाप संतोषसुं देवा करे... और विवेक बिना पुजा सेवा करे तो न कर्म पठे, और पांखंडीकी पूजा, सेवा प्रभु अंगीकार न करे... अपगो सेव्यस्वरूपकी सेवा आपुही करीं। और उत्सवादि समय अनुसार अपगे विंत अनुसार वस्त्र, आभूषण, भाँतिभाँतिके मनोरथ कर सामग्री करीं... सो तिप्रामाण यथाशक्ति करीं। जो द्रव्य होय सो श्रीकृष्णके अर्थ लागावो, कृष्णता नाही करीं।

—पुष्टिसिद्धान्तप्रकाशकारी श्रीबल्लभ गोकुलनाथजी (२४ वचनामृत: ६ तथा १०).

(३)

...श्रीठाकुरली पधायके सेवा करन लागी। सुत कांतीके निवाह चलावे। हरस्तमा अडाई आगे कमावे तारों निवाह अनददों चलावे। तब एक दिन एक वैष्णवने स्त्रीआ पांच देके कहो— आज श्रीठाकुरजीको आळी भांती भांती आरोग्य, तब श्रीठाकुरजीके लिये वहोत प्रकारके व्यंजन किये, छैऊ सको राजभोग धो, पीठे श्रीको अगोस्त लियो, तब श्रीठाकुरजी किरोरीहाईसों कहे—पोकु भुख लागी है, तब विश्वारीबानी कहो— आज वहोत सामग्री आरोग्य है, तब मुझे क्यों भरे? तब श्रीठाकुरजी कहे— आज तैन पराई सत्ता धराई है, सो मैं नहीं आरोग्य ताते वैष्णवको पराई वस्तु अंगीकार न करावी।

—पुष्टिसिद्धान्तप्रकाशकारी श्रीबल्लभ (कामवनवाले) (६९ वचनामृत: ५३)

गोस्वामी श्यामकलाहर

सेवा ए जाहेर कार्य के जाहेर प्रवृत्ति नवी परन्तु सेवा ए पोताना आंतिकि जीवन साथे संबंध धरावती होवावी ते आपणा जीवननी आपणा निजी घरमां थर्ती स्वधर्मसंघ प्रवृत्ति छें... पोताना माथे बिराजता स्वरूपनी सेवा बगेरो पोताना अंगत धर्माचरण तरीके ते ते बालकोनो ज अधिकार अने कर्तव्य छे।

—अधुगा पुष्टिसिद्धान्तविनाशार्थ विमर्शकारी श्रीबल्लभ (सुतवाले) (पुष्टिशीतल छायडे: भाग १ पृ. १५८).

प्रकाशक-प्राप्तिस्थल :

गोस्वामी श्यामपनोहर

६३, स्वस्तिक सोसायटी,

इथा गस्ता, जुहु स्कीम,

पारले, मुंबई-४०००५६.

प्रति : ५०००.

प्रकाशनवर्ष : वि.सं. २०४९.

श्री पी.कुंभनानीभाई के आर्थिक सहयोगसे
तथा

वि.असित, वि.विपुल तथा वि.मनीष के मुद्रणोपयोगी सहयोगसे

वि.शुल्कवितरणार्थ

मेरे दादाजी(नित्यलीलास्थित गोस्वामी श्रीदीक्षितजी महाराज)के मुखसे मैंने प्रमेयत्तार्णव, सत्यालय बोडशग्राम, अवतारादावलीके प्राप्त: सभी वाद तथा अंशतः निबन्ध-भाव्यादि ग्रन्थोंके अक्षराः पांक्तालापनकी प्रक्रियासे श्रवण-मनन किया था. वह मेरे प्रति उनकी सहज कर्तव्य-बुद्धिप्रेरित वात्सल्याभिव्यक्ति थी. ऐसी कि उसके बारें मुखरित होना भी अनावश्यक ही है. फिर भी वक्तृत्व-पाण्डित्य-निरूपण-भगवद्भगवन्-भगवत्कथा-रूप आचार्योचितधर्मके अक्षुण्ण निर्वाहक प्राप्तःस्मरणीय नित्यलीलास्थित श्रीगोविन्दरायजी(सुरत)कृपाजीके यातुचित्क साम्निध्यमें मैंने श्रुताशीत सिद्धान्तोंके दर्शन-निदिध्यासनका दुर्लभ लाभ यदा-कदा प्राप्त किया था. आज उन्हीं दोनों गुच्छरणोंको मैं मेरा यह ग्रन्थ समर्पित करता हूं,
साभिवन्दन !



विनीत
गोस्वामी श्यामपनोहर

अनुक्रमणिका

आगुरवदर्शी

इसके अन्तर्गत आलोच्य 'विमर्श' ग्रन्थके लेखकोंकी पूर्वधारणा, पूर्वसीकृतिओं तथा पूर्वाचरणों की पृष्ठपृष्ठमें अधुना प्रकटित ग्रन्थकी एकवाक्यताकी परीक्षा की गई है।

सेवाप्रकरण

(I) पुष्टिमार्गीय भगवत्सेवाका प्रामाणिक स्वरूपः श्रीमहाप्रभुविरचित सिद्धान्तमुक्तायलीखी वचनके आधारपर 'विमर्श'की विशेषाधिनिका

(II) सिद्धान्तमुक्तायलीकारिकाओंके अष्टधा विभागपूर्वक श्रीप्रभुवरचित विवृतिका आधार लेकर 'विमर्शों'का अपसिद्धान्तपूर्ण विवृति-व्याख्याकी विशेषाधिनिका। इसी तरह वित्तदान तथा वित्तपरियह के अनेकविध शास्त्रीय स्वरूपोंकी विवेचनके सन्दर्भमें सेवार्थ वित्तदान तथा सेवार्थ वित्तपरियह के 'विमर्शों'का अपसिद्धान्तोंकी विशेषाधिनिका

(III) उल्लिखित अष्टधा विभागोंपर प्रभुवरपोत्तर-कालीन विभिन्न व्याख्याकार, नामतः, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीकल्याणरायजी, श्रीपुरुषोत्तमजी, श्रीवल्लभजी, श्रीप्रज्ञनाथजी, श्रीलालुभद्रजी, श्रीद्वारकेशजी, श्रीविठ्ठलरायजी, तथा श्रीनरसिंहलालजी द्वारा की गई व्याख्याओंके आधारपर 'विमर्शों'का अपसिद्धान्तोंकी विशेषाधिनिका

(IV) उपर्युक्त

१-१८

१-१६

१-५

५-३३

३३-४४

५४-५६

५७-५८

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्रीगदार्थाचरणकमलोद्यो नमः ॥

आगुरव-दर्पण

स्वेच्छु पुष्टिकरं कारादैत्यबुद्धितमस्करम् ।
नमस्करोमि तं श्यामं सुन्दरं मतिर्यंकसम् ॥

- (१) सेवादेवशदीका (२) सेवास्वरूप (३) सेवाप्रदर्शन (४) सेवाप्रयोजन
(५) सेवास्थल (६) सेवास्वरूप (७) सेवार्थ आजीविका (८) सेवाकर्ता-सेवापरिचारक
(९) सेवापरिदृष्टा (१०) भागवतकथा (११) स्वसेव्यस्वरूप-सामाद्यहण (१२) तीर्थपर्यटन
(१३) आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकारः।

ये वे मुद्दे हैं जिनपर दि. १०-१३ जनवरी ९२ विश्वकर्मा बाग पालें, मुंबई में आयोजित पुष्टिसिद्धान्त-चर्चासभामें परिचर्चा होनी थी। एतदर्थ स्वमार्गीय मूलग्रन्थोंमें से सभावानुवाद 'सिद्धान्तवचनवालता' विचारार्थ प्रस्तुत की गई थी। प्रदत्त भावानुवादके समर्थनमें मूलाचार्यवचनसे प्राप्तम् कर प्राचीन ग्रन्थकारोंतथा अर्बाचीन गोस्वामिमहामुखावों के भी विधानोंको 'अमृतवचनवालती' नामसे संकलित किया गया था। आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकारके अन्तर्गत अप्रामाण्यवस्था सुनिर्धारित थी कि सर्वसूत्र श्रीमहाप्रभुसे प्राप्तम् कर अपेसे एक पीढ़ी ऊपर स्थित पूर्वजतक जिस अर्थमें एकवाक्यता मिलती हो उससे विपरीत अपेक्षित ऊहको प्रामाणिक नहीं माना जायेगा। अपेसे पूर्वीहीनकी भी किसी महानुभावका उनकी पीढ़ीसे पूर्वक ग्रन्थकारोंके अभिभावसे विपरीत वचनको प्रामाणिक नहीं माना जायेगा। एतदर्थ में द्वारा उपर्याप्ति भावाशक्ति बोरें मैसेसे पूर्वी पीढ़ीके अनेक गोस्वामी महानुभावोंके विधानोंकी अमृतवचनवालीमें एकवाक्यता प्रदीर्घीत की गई थी। इसके अन्तर्गत पूर्व पा. गो. श्रीविठ्ठललालजी महाराजी (सूत) तथा इसके पीढ़ी गो. श्रीबालकृष्णलालजी तथा गो. श्रीवल्लभरायजी के वचन भी संकलित थे...

... परंतु अक्षम्य कालसेव करवा देकी कृनीतिके कारण उक्त चर्चासभा किसी निर्णायक बिहूतक वर्षों न पाई। किं भी चर्चासभाके तीसरे दिन उस सभामें श्रीहरिराय (जामनार) का अपना पक्ष क्या है यह वे स्पष्ट शब्दोंमें वोकित नहीं करते तो मैं (गो. श्या.म.) भाग नहीं लूंगा, ऐसी स्पष्ट घोषणा करनेपर कई गोस्वामी महानुभावोंके अपेक्षित प्रतिनिधि गो. चि. श्रीहरिरायजी (जामनार) को संरोप-संहेद उक्ते द्वारा ग्रहीत पक्ष घोकित करने ही पड़े! चर्चासभाकी संपूर्ण कार्यवाहीकी उतारी गई ओडियो-वीडियो केसेटके आधारपर तैयार किया गया विवरण 'विस्तुत विवरण' नामसे प्रकाशित करवा दिया गया।

चर्चा जिस मुकाम तक पहुंच पायी उससे और आगे बढ़ानेके लिए 'संक्षिप्त विवरण' नामसे एक मुस्तिका पहले ही प्रकाशित करता दी थी। अतः उन सारी बातोंका अब पिंपटेवण अनावश्यक ही है।

फिर भी सिंहावलोकन विधिसे इके उल्लेखका प्रयोजन यह है कि चर्चासभाके तीसरे दिन व्यग्रहणकी प्रक्रियाके अन्तर्गत गो, श्रीहरिरायजीको जो भी कुछ स्वीकार्या पड़ा वह उन्हें अपना अपेक्षित प्रतिनिधि बनानेवालों द्वारा अपनायी हुई भावत्सवाप्रणालीसे तथा स्वयं श्रीहरिरायजी द्वारा भी अपना-रखी भावत्सवाप्रणाली से भी संवेद्य विरुद्ध जानेवाली बातें थीं। लिहाजा रायको संवादस्थापकमण्डलके अनेक सदस्योंकी उपस्थितिमें घरपर आकर गो, श्रीहरिरायजी परिचर्चाको स्थगित करनेका अनुरोध करते हुए समझाने लगे कि कैसे पूर्वविधिरित संबंध बोलकर सभामें मुझे तथा श्रीहरिरायजीको परस्पर सहमति प्रदर्शित कर देती चाहिये। एतदर्थे मेरे अनुदृष्ट होनेपर श्रीहरिरायजी समझाने लगे कि कैसे स्वामार्पित अहित हो जायेगा। तिसपर मैंने यह सुझाव दिया कि स्वत्स्पक्षनिरूपण ही इस चर्चासभाका मुख्य प्रयोजन था, सो पूर्ण हो जानेके कारण चर्चा स्थगित की जाती है ऐसे धोषित किया जा सकता है। गो, श्रीहरिरायजीने इसपर, कोई उन्हें प्राप्तित न मान ले यह आशंका प्रकट की। तिसपर मैं संवादस्थापकमण्डल और श्रीहरिरायजी एकमत हुए कि चर्चाके अनिर्णीत धोषित किया जाये। तदुत्तरात् चतुर्थ दिन धोषित भी करता दिया गया था। निर्णक भाषणोंके द्वारा चतुर्थ दिनकी कार्यवाहीको यथाकथित सम्पन्न किया गया। परन्तु बादमें पू. पा. तिलकायत महाराजश्री तथा पू. पा. गो, श्रीब्रजरललालजी महाराजश्रीने संयुक्त हस्ताक्षरोंसे अंकित अभिनन्दनपत्र श्रीहरिरायजीको प्रदान कर दिया। उसमें यह उल्लेख किया गया कि श्रीहरिरायजीने सभामें जो सिद्धान्तपक्ष स्थापित किया वह उचित तथा भूत्तिः प्रशंसनीय है।

इससे क्षुधा होकर संवादस्थापकमण्डलके सदस्यों उस सभाकी कार्यवाहीमें व्यवधारणार्थ आपत्ति प्रस्तुत की, जब अभिनन्दनपत्र गो, श्रीबल्लभरायजी वीडियो केमरेके सामने पढ़ कर सुना रहे थे। बादमें श्रीहरिरायजीको धेर कर मेरे घर लाया गया। ऐसे नाटककी क्या आवश्यकता थी यह मैं पूछ पाऊँ उससे पहले श्रीहरिरायजीने कहा कि पूर्वसूचना दिये विना बढ़ने वह कृत्य किया है, जिनका अनादर वे कर नहीं पाये। तब मैंने कहा कि कोई बात नहीं, यह अभिनन्दन किसी तहकी निर्णयकाताका प्रमाण नहीं है ऐसे आशयका पत्र हम दोनों तथा संवादस्थापकमण्डलके सदस्योंके भी हस्ताक्षरोंसे अंकित कर रख लेना चाहिये। वह तैयार किया गया और बादमें समाचारपत्रोंमें मुझे प्रकाशित भी करवाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद अभिनन्दनपत्र पानेकी खुशीमें अभिनन्दनपत्र पानेकी सभाओंके सचिव वृत्तान्त समाचारपत्रोंमें प्रकाशित होने लगे।

फिर तो सर्वथा निराधार अनर्गत और जनताको बरालानेवाले निवेदनोंका समाचारपत्रोंमें तांता लग गया। विश्वशत्या मुझे भी अपने स्पष्टीकरण देते रहनेको बाधित होना पड़ा। स्वाभाविकतया मार्गिक हितीयोंको इस आन्तरिक कलहको सार्वजनिक बनानेकी कृतीनिर्माणसे दुखी होना उचित ही था। वैसे सभीमें मुझे ही प्रायः कोसा था कि वह सब मैं कर रहा था, क्योंकि परेके पांछे खेलसे सभीको अवगत होने की मुश्किला उपलब्ध रही होती। कई लोग कहते हैं—इस विवादके आपसमें मिल-बैठ कर सुलझाना चाहिये।

परन्तु एक हलीकत यह भी है एतदर्थ सर्वांगम मैंने पू.पा.गो.तिलकायत महाराजश्रीसे उनकी अध्यक्षतामें गोस्वामिओंकी एक बैठक आयोजित करनेकी विनती की थी, क्योंकि ग्रन्थस्थ रिद्धान्त तुङ्ग और हैं, व्यवहारमें तुङ्ग और न्यायालय तुङ्ग तीसी ही बात हमारे सिद्धान्तोंके बोरोमें मान कर चलते हैं। तिसपर पू.पा.तिलकायत महाराजश्रीने मुझे कहा कि नाथदारके मुकद्दमेके सुधारणा कोटिके फैसलेके बदल पान अब शक्य नहीं है अतः जो-जैसा तुङ्ग मिला है उससे वे सन्तुष्ट हैं; तथा मेरे जैसे गोस्वामिओंकी इसके कारण जो कठिनाईयां हैं उन्हें वे गोस्वामी स्वयं सुलझा पायेंगे ऐसी शुभकामना रखते हैं। इसके बाद स्वभावमें ज्ञानयोगवृद्ध पू.पा. श्रीब्रजरललालजी महाराजश्रीकी अध्यक्षतामें सभी गोस्वामिओंकी एक बैठक तुलाई जाये ऐसी प्रार्थना पू.पा. महाराजश्रीसे मैंने की। तदुत्तरात् पू.पा.महाराजश्रीने यहां मुंबईके बदनाथजीके मंदिरमें सभा आयोजित हुई। इस सभामें उपस्थित सभी गोस्वामिमहानुभाव एक संयुक्त धोषाण्यपत्र द्वारा स्वामार्पण भगवत्सवा आदि विषयोंसे सम्बन्ध सिद्धान्त एवं प्रम्परा का सुस्पष्ट निर्देश दें यह प्रस्तावित था। किसी कारणवश यह शक्य न हो पाये तो एक बैकल्पिक उपाय सिद्धान्तविपरीत सेवा-मोरोख-दर्शन-प्रसाद-कथाके आयोजनोंमें सहयोगी न बनने के आनन्दित्यको धोषित करनेवाला एक शपथपत्र भी तैयार किया गया था।

सचेद, परन्तु, यह स्वीकारना पड़ता है कि पू.पा. श्रीब्रजरललालजी महाराजश्रीने उस सभामें समिलित होना न जाने क्यों उचित नहीं समझा! उस गोस्वामिओंकी बैठकसे एक दिन पहले मेरे घरपर गो, श्रीकल्याणपत्रजी पधारे थे उन्हें शपथपत्रका प्राल्प पढ़ कर मैंने सुनाया था और सैद्धान्तिक दृष्टियों जो अनुचित हो उसका निर्देश देनेकी की। पर्याप्त धीजसे पढ़ कर उन्होंने कहा कि सभी कुछ ठीक ही है। तब मैंने अनुरोध किया कि आपके भी हस्ताक्षर इसपर हो जायें तो अच्छा! इनमा सुनते ही श्रीकल्याणपत्रजी चुपचाप मेरे यहांसे खिसक गये। दूसरे या तीसरे दिन गोस्वामिओंकी बैठक सुरतवालोंकी पूर्वोक्त हवेलीमें हुई जिसमें श्रीकल्याणपत्रजी तो अनुपस्थित थे

परन्तु श्रीबालकृष्णलालजी उपस्थित थे। उपस्थित गोस्वामिओंमें वयसा ज्येष्ठ श्रीगोविन्दरायजी(पोरबन्दर) थे सो उनकी अध्यक्षतामें बैठक सम्पन्न हुई। संयुक्त घोषणाप्रकार प्रारूप पढ़ कर सुनाया गया, एक प्रति श्रीबालकृष्णलालजीको भी दी गई थी। तब सभी महानुभावोंने निपावाद सहमति प्रदान करते हुए अपने-अपने हस्ताक्षरोंसे उसे अंकित किया जिनमें श्रीबालकृष्णलालजी तथा उक्त बैठकके अध्यक्ष श्रीगोविन्दरायजी(पोरबन्दर) के हस्ताक्षर भी थे ही।

बादमें अध्यक्ष तथा स्वयं के हस्ताक्षरोंसे अंकित एक स्पृशीकरणका छोटा पुर्जा श्रीबालकृष्णलालजी तथा श्रीकल्याणरायजी मेरे घरपर ले कर आये कि उक्त बैठकोंमें सुनीम कोटींगे रीव्युप्रिटेशनमें जानेके एक निर्णयके अलावा अन्य किसी भी निर्णयके साथ उनकी सहमति न मानी जाये—ऐसा स्थृत उत्तेज था। लिखाजा संयुक्त घोषणाप्रगत अध्यक्ष महोदय तथा श्रीबालकृष्णलालजी के हस्ताक्षरोंपर मैंने व्हाईटर लगा दिया, तब श्रीबालुराजा और श्रीकल्याणरायजी ने विसमय प्रकट किया कि कहीं हस्ताक्षर पुनः तो उभर नहीं आयें। तब मैंने आधस्त किया यदि उभे भी तो उन्हें पुनःपुनः व्हाईटरके प्रयोग द्वारा ढंकता रहा। तिसपर श्रीबालुराजाने कई वैष्णवोंकी उपस्थितिमें कहा कि सिद्धांततया तो हमें सभी कुछ मान्य हैं परन्तु जब तक कोई सूरा व्यवसाय चापांच वर्पर्यन्त जम नहीं जाये तब तक भावस्वर्वार्थ परवित न लेनेका दुग्रह कला उचित नहीं होगा। यह सुन कर मैं तो समुपचित वैष्णवोंसेमें हत्रप्रभ हो गया। श्रीकल्याणरायजीने, तिसपर, यह खुलासा दिया था कि ऐसा कहेसे तो हम देवलक सिद्ध हो जायेंगे। सो श्रीबालुराजाने तब श्रीकल्याणरायजीको ही कैसे कहना यह मुझानेका आग्रह किया। तिसपर श्रीकल्याणरायजीने कहा कि ऐसे कहना चाहिये कि हमें तो सभी सिद्धांत मान्य हैं परन्तु अपनी अवश्यकतामें बौद्धिक हमारे प्रियमह (पू. पा. श्रीब्रजललालजी महाराजश्री) विषयक ट्रस्ट्यूके मार्गदर्शनाधीन रहे थे अतः उक्ती मनोवृत्ति सिद्धांतशुद्ध नहीं है, परन्तु बड़ोंके आग्राके लिये हम क्या कर सकते हैं। तब श्रीबालुराजाने भी इस खुलासाके साथ अपनी सहमति-संयुक्त प्रदर्शित की... बादमें निजहस्ताक्षरोंपर एक पत्र (दि. २३-१०-८६), संयुक्त घोषणाप्रगत “विग्रहांस्वरूप्यं दिये भी अपने घरमें भगवत्स्वेच्छाकी छूट तो है ही” वाक्यके अलावा सारेके सारे संयुक्त घोषणाप्रगत विधानोंके योग्यतया मान्यता प्रदान करेवाला, प्रेति किया गया था। उत्तेजनायी है कि उसमें स्वारूप्यस्थित भगवत्स्वरूपकी भावसंगोपनामिका अव्यासामिक-आपौरोहित्यामिका स्वत्वाविपरिचनविनियोगामिका सेवाका सिद्धांत ही प्रस्तुत हुआ। था। इस तरह बन्द दरवाजोंमें आपसमें विवाद सुलझानेके प्रयासोंकी प्रभावहीनताका सुस्पष्ट प्रमाण वह है कि अधुनाप्रकाशित सेवा-देवद्रव्यादिविषयमें

इन्हीं दोनों श्रीबालकृष्णलालजी तथा श्रीकल्याणरायजी के नाम भी जुड़े हुए हैं। अस्तु।

विश्वकर्मा बाग पार्ले-मुंबईवाली सार्वजनिकसभामें मेदारा प्रदर्श सिद्धांत वचनवालीके भावानुवादके साथ अपनी असहभावी तथा गोस्वामी श्रीहरिरायजीके द्वारा ग्रहीत पक्षकी भूरिभूत प्रशंसा करेवाले श्रीवल्लभरायजी मेरे खण्डनर्थ एक जबरदस्त ग्रन्थ लिखनेवाले हैं - लिख रहे हैं - लिख दिया है - प्रकाशित करवा दें। - प्रकाशित हो गया है - पोहार हाउसमें अनावरण भी हो गया है —ऐसी काण्डपर्कण बातें मुनार्ह देती रही औं ग्रन्थदर्शनालालसा मेरी तीव्रसे तीव्रतर होती गई, परसों (९-१२-१२) के दिन विश्वसा की कोई सीमा नहीं रही। क्योंकि इस ग्रन्थका वास्तविकता कहाँ कीन है यह जान पाना भी दुक्कर परीक्षण हो गया।

मुख्यपृष्ठपर पू. पा. श्रीद्वारजन्मलालजी महाराजश्रीका नाम ऐसे छपा है मानों वे इस ग्रन्थके कर्ता हों भीतर प्रकाशकालीन-सर्वाधिकारसुखाष्टपूर पू. पा. महाराजश्रीके नामके साथ तीन और नाम जुड़े हुए मिले। यथा (१) गो. श्रीबालकृष्णलालजी (२) गो. श्रीकल्याणरायजी तथा (३) गो. श्रीवल्लभराय दीक्षित् पू. पा. महाराजश्री नामके साथ प्रकाशित आपुखोंको फडेपर तो अचेंगें डाल देवेवाली कई बातें सामने आती हैं। अतएव उस आपुखोंके कुछ उत्तेजनायी अंशोंपर दृष्टिगत कर लेना उचित होगा।

“...वर्तमान शताब्दीमें साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यायनकी परम्परा उच्चित्प्राय हो जानेसे तथा तत्त्वप्रक्षापाती विद्वानोंकी समाजि दुर्लभ हो जानेसे अनेक विषयोंमें सन्देह एवं आन्ति व्याप्त हैं। इस स्थितिको देखते हुए सेवा-देवद्रव्य आदिके विषयमें वास्तविक तत्त्वको विदित कर उसे कहीं लिपिबद्ध कर देना आवश्यक प्रतीत हुआ। तदुत्सार हमने उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर इस ग्रन्थमें सेवा देवद्रव्यादि विषयोंमें विचारोंको स्वान्तःसुखाय लिपिबद्ध कराया है... उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर ग्रन्थका प्रणयन किया गया है। अतः अन्य प्रमाणोंके उपलब्ध होनेपर ग्रन्थके द्वितीय संस्करणमें आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सकता है... हमारे पूर्वके लेखन एवं वक्तव्यको इस ग्रन्थके अविरोधसे ही ग्रहण करना चाहिये। यह हमसा निवेदन है... ग्रन्थ में कुल ९ प्रकरण हैं - (१) कृष्णसेवा प्रकरण (२) देवद्रव्य प्रकरण (३) देवलक प्रकरण (४) दूर्द प्रकरण (५) भावसंगोपन प्रकरण (६) सेतिहास ब्रह्मसम्बन्ध प्रकरण (७) मंविक्यापांकिनिसन प्रकरण (८) गुरुशिवायनियम् प्रकरण (९) भावतकथा प्रकरण। इनमेंसे प्राप्तभक्ते पांच प्रकरण ग्रन्थके पूर्वार्धमें आते हैं, अवशिष्ट चार प्रकरण उत्तरार्धमें आयेंगे...”

पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभाके तोरह मुद्दोंमें सुनु कुछ कुछ मुद्दे यहां परिधारी हुए हैं। जो छूट गये हैं उन्हें “अप्रतिषिद्धम् अनुमतं भवति” न्यायके अनुसार मान्य समझना अथवा “अनावश्यकम् उपेक्षणीयं भवति” न्यायके अनुसार उपेक्षणीय समझना यह भी समझने में नहीं आया। सन्देहनिराकरणार्थ प्रवृत्तिमें सन्देहजनक विधानोंका होना यानि स्पष्टताका अभाव होना या तो अनुभवहीनता या किसी दुष्कान्तिप्रावचन की वृत्तिमें प्रकट करता है।

पू.पा.महाराजश्री समधार्यमें न केवल ज्येष्ठतम वयोवृद्ध अपिषु विद्यासाधायतपोवृद्ध भी हैं ही। अतः कगासे कम मेरा अन्तर तो गवाही नहीं देता कि सेवा-देवदत्यादि जैसे महाल्पूर्ण तथा बहुधा चरित विषयमें साम्राज्यिक ग्रन्थगत कोई भी प्रमाणवचन अपनी आयुके इस भागमें भी इस तरह अनुपलब्ध रह गये हैं कि उन्हें विदित करके लिपिबद्ध करने पड़े! सो भी इस भीति और संशयाभ्यास के साथ कि अन्य प्रमाणवचन उपलब्ध होनेपर इस ग्रन्थमें परिवर्तन-परिवर्तन भी किया जा सकेगा!! अपने पूर्वोलेख एवं पूर्ववक्तव्यों को इस ग्रन्थसे अविरोधसे लेनेके पू. पा. महाराजश्रीके निवेदमें भी अनिमेयत्वके सुर-काकूकी जाह पूर्वकालीन लेखन-वक्तव्योंके बोरें अजान संशय भ्रान्ति अथवा मिथ्याभाषण का दैन्य और इस वक्तव्यमें अनिश्चयात्मकता अर्थात् संशयात्मकताकी मरोवृत्ति इस आमुखके पू. पा. महाराजश्री द्वारा लिखित होनेके दावेपर एक प्रश्नचिन्हका धब्बा सा लगा देती है!

प्रकाशकीय पृष्ठपर प्रथम तीन नाम ही ‘जी’कार सहित प्रयुक्त हुए हैं, केवल ‘श्रीवल्लभराय दीक्षित’ जी’कारहित प्रयुक्त हुआ है। कहीं इसीमें आमुखकी प्रामाणिकतापर लगे प्रश्नचिन्हका गूढ़ उत्तर तो ध्वनित नहीं हो सका।

उल्लेखनीय है कि आमुखके ये शब्द - “हमने लिपिबद्ध कराया है” भी ग्रन्थकात्, ग्रन्थनिमाणप्रकर, अथवा निर्मितग्रन्थशुभासंसंक होनेमें किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है वह भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

मुख्यपृष्ठ उल्लिखित पू. पा. महाराजश्रीके नामसे उनका ग्रन्थकर्ता होना ध्वनित हो रहा है। उसे मानकर चलनेपर पू. पा. महाराजश्रीके द्वारा नदियादके केसमें दी गई जुबानी तथा हालें श्रीहरिरायकी(जामगार)को दिये अभिनन्दनपत्रके कारण छड़े होते नैतिक उत्तरदायित्वसे छटकोंकी कूटनीति प्रकट होती है। इसी तरह प्रकाशकीय पृष्ठलिखित ‘श्रीबालकृष्णलालजी - श्रीवल्लभराय’ नामोंके साथ ग्रन्थकर्त्वको जोडेपर इन दोनों महाभावोंपर “मुष्टिने शीतल छायडे” ग्रन्थोंमें दिये उत्तरोंसे तथा संयुक्त घोषणापत्रके समर्थनार्थ गो। श्रीबालकृष्णलालजी द्वारा मुझे लिखे गये पत्रोंके नैतिक उत्तरदायित्वसे छटक जानेकी कूटनीति खेली जा रही है ऐसा लगता है।

बहुत सम्भव है कि हाल ही में जैसे नाशिकमें हमारे चर्चेरे भाईं श्रीद्रजाधीशजीको उकसा कर उनसे समाधार्पि सिद्धान्तोंके विपरीत यद्या-तद्वा अनार्ण वक्तव्य दिलवा दिये गये और यहां पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभा पार्टी-मुंबई में, जब इस तथ्यकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, तब भी सभामें यह कह कर श्रीवल्लभरायजी करता गये कि नाशिकमें वे न तो अध्यक्ष थे, न मुख्य वक्ता; और न प्रेक्षक ही। अर्थात् “वृद्धास्ते न विचारणीविषयाः” न्यायानुसार श्रीवल्लभरायजी तो केवल अहोवाददाता ही थे। अतएव कहा गया है: “जने विद्वानेके सकलमन्भिसन्ध्या कपैः तटस्थः स्वानर्थां घटयति च मौनं च भजते。”

कर्तुंपुत्र-प्रहेतिकार्ये “गोनिन्द्रसात्युग्रद्यवा शशिं दौधी इहैव गोप्यते कर्ता वर्णेणापि न लक्ष्यते” तो काव्यकुशलता प्रकट करनेको लिखी जाती रही हैं परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ ही कर्तुंपुत्र लिखनेमें विमर्शकुशलताकी जगह भावकुशिलता ही अधिक प्रकट होती है।

पुष्टिसिद्धान्तचर्चासभा पार्टी-मुंबई में भी यही कुटिल नाटक खेला गया था, जान करके चर्चासभाके सारे नियमोंको ताकर रख उन्हीं विषयोंको छेड़ा गया कि जिनका जवाब, पू. पा. महाराजश्री - जो सामाधारके बाहर स्वेच्छाया कारमें ही दिराजे रहते थे - की जौजूलायीं देने या न देने दोनों ही स्थितियोंका भरपूर लाभ उठाया जा सके, बड़ोंकी अवहेलनाका बहाना बना कर। अन्यथा शान्त चित्तसे समझेकी बात की श्रीबालकृष्णलालजी, श्रीकल्याणरायजी तथा श्रीवल्लभरायजी की चर्चासभामें बेरोकोटक पथरकर अनार्ण बातें बोलनेसे भी रोका नहीं गया। स्वयं श्रीवल्लभरायजीको पू. पा. महाराजश्रीके लिखित वक्तव्य पढ़ाके व्याजेरे संवादशायकमण्डलके नवयुवक सदस्योंके प्रति दिल खोल कर विवरण भी करने दिया ही गया था, तो पू. पा. महाराजश्रीके सभा पदानेसे और अधिक क्या होना जाना था? जबकि संवादशायकमण्डलके सदस्योंके तो पता भी नहीं था कि पू. पा. महाराजश्री कब पथाला चालते थे और क्यों नहीं पथेरे! वास्तवमें तो स्वयं श्रीकल्याणरायजीके कहनेपर पू. पा. महाराजश्री नहीं पथेरे। उन्हें बोलनेके अवसरसे चंचित रखे जानेका रोकेदेनापूर्ण वक्तव्य, क्या कारण था कि स्वयं श्रीकल्याणरायजीको पढ़ोको नहीं दिया गया? और क्यों श्रीवल्लभरायजीको ही दिया गया? सो भी श्रीकल्याणरायजीसे कारण पूछे बिना ही!

मैंने जब श्रीकल्याणरायजीसे अनार्ण विधान करते श्रीवल्लभरायजीको रोकनेको कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें जो कुछ कहना है, कह लेने दो, बादमें खुलासा कर दोंगा। क्या खबर यह सारी हुई मिलिभागत थी? सो श्रीकल्याणरायजीने बादमें खुलासा दे दिया कि समयाभाववश श्रीकल्याणरायजी पू. पा. महाराजश्रीको

केवल न अनेकी ही सूचना दे पाये थे और कोई खुलासा दे नहीं पाये और श्रीवल्लभरायणी क्योंकि इस तथ्यसे वाकिफ नहीं थे सो... सो बस हो गया न सारा खुलासा !

प्रतीत होता है कि वही चक्कर यहां भी चलाया जाना है कि पूरा पारा महाराजश्रीके नामपर ग्रन्थ छपा देते ताकि लोग इसकी महता पूरा पारा महाराजश्रीके नामानुसार स्वीकार लें। भविष्यमें जब भी बात बदलती हो तो “आज्ञा गुरुलाङ्गामविचारणीया” भी कहा जा सकेगा। अन्यथा बृद्धजनोंकी अवहेलनाका बोलेता तो चर्चासभाकी तरह मचाया ही जा सकेगा।

परन्तु भावत्कृपासे पार्लींची चर्चासभामें भी अधिकांश जनता इस नाटकको बराबर भाष्य गई सो मनोवांछित सफलता नहीं मिली। अतएव अभिर्णात चर्चासभामें सिद्धान्तपक्ष स्थापित करानेका निर्णयिक प्रमाणपत्र श्रीहरिराजयजीको प्रदान करावाकर प्रतिशोध लिया गया। उसमें भी “तावार्धं च ममार्धं च” की एक कूटनीति और वापरी गृह्ण थी। श्रीहरिराजयजीकी अनुबंध काशीकी गादीपर गोद गये हैं - जाहिर है कि वष्टीठको दावेदार काशीकी भी गादी है। सो पू.पा.दिलकायात महाराजाश्री तथा श्रीहरिराजयजी दोनोंको, अभिनन्दनपत्रपर वष्टीठाकृष्णीकी हैसियर्में, सहस्रस्ताकरककि रूपमें फंसा लिया गया। प्रकाशित ग्रन्थके १२३वें पृष्ठपर स्क्रीनका राखा गया है - “...‘निरुद्धिं’ यह विशेषण दिया है, जिसका अर्थ है फलकी आकांक्षा एवं कपटता से रहित। श्रीहरिराजयजीने भी कहा है ‘तस्य सेवां प्रकृत्यर्थं याकृष्णीं स्वर्धमः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिशोधसिद्धये’ तदनुसार निरेश्वरपरसे सेवा करत्य है यह निरुद्धि होता है।”

यह सद्योग्रहीत पक्ष भविष्यमें कितने समय तक टिकेगा यह भी देखनेका विषय है।

क्षेत्रिक नडियाद केसकी जुबानी में पूरा.महाराजश्रीने यह स्वीकारा था कि कांकोली अर्थात् तीसरे घटके उपग्रहोंवे के श्रीगिरिधरजीके वंशज हैं। ऐसी स्थितिमें ठाकुरी श्रीबालकृष्णलालजीको बघनिधि मान भी लिया जाये तो स्पृहितश्रुत तृतीय गृहार्तात् उप (३/२) ग्रहमें श्रीगिरिधरजीकी वंशजालके पक्षको छोड़ कर बघनिधिके दावेको अपनी बघपीठाईशतामें पर्यावरित करना और उसकी प्रसिद्धिके लिये मिथ्या मनोरथ-स्तोत्रादिका आयोजन कर्या 'प्रतिलिपिस्त्रे' बघनिधिसेवन नहीं है? भूला नहीं चाहिये कि प्रस्तुत ग्रन्थके १६४वें पृष्ठपर यह स्वीकारा गया है कि अपने लाभ एवं अपनी पूजा के लिए की जानेवाली भगवत्सेवा ही धर्मशाखतः निषिद्ध प्रकारकी देवतालत्वापादिका भगवत्सेवा है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बघनिधिकी सेवाका आधिदैविक लाभ लेनेके लिए सुरक्षी हवेलीको 'बघपीठ' नहीं कहा जा रहा है, परन्तु

अपनी वष्टीधीशत्वेन पूजाकी अभिवृद्धिके लिए अपने सेव्यस्वरूपको 'वष्टिनिधि' कहा जा रहा है। अर्थात् गिर्या मनोरथों-त्वोंद्वारा "इति श्री वृद्धुनाथगुहो देव्यश्व" विशेषणोंको प्रचारित करनेकी क्या आवश्यकता? नाशिकके आयोजनमें यह श्रीवाराणीश्वरुमार्ग भी आये थे उनके नामोंकी विशेषाकांक्ष साथ 'तृतीयश्व'का उल्लेख तो नहीं हो रहा था। पू.पा.महाराजाश्रीकी विद्यामानतामें जबकि श्रीवल्लभरायजैके नामके साथ उनके षष्ठीपीठके साथ चुड़े होनेका उल्लेख निरन्तर होता रहा (मैरे पास इसकी कैसेट मूज़द है)। इससे सिद्ध होता है कि वष्टिनिधिके लिए वष्टीधीशत्वाता नहीं है बल्कि वष्टीधीशत्वेन पूजाभिवृद्धशर्थ सेव्यस्वरूपकी वष्टिनिधिता घोषित की जा रही है।

जैसे पूजाभिकृद्धर्थ भगवत्सेवनका यह नम्रताण्डव है, जैसे ही आजसे कीरी सितर-अस्सी वर्षभूर्तु आर्थिकलाभार्थ स्वसेव्यके बहुनिपित्तवका शपडा जानबङ्ग कर खड़ा किया गया था, वह प्रमाण भी द्रष्टव्य है :

“सात स्वरूप निमित्ते काढेली सेवा श्रीठाकुरजीनी के गुसाँईजी महाराज बालकोनी?

लखर दबार श्रीकरणसिंहजी ठाकोर साहेब एक परम वैष्णव थे... राजकोटमां एकठा महाराजश्रीना दर्शनार्थे गयेसा... जेमां तिलकायितथी विराज्या हता. आ मेलावडामां लखरसा दबार श्रीकरणसिंहजी ठाकोर साहेबे पण हाजरी आपी हती. आ प्रसंगांतो लाभ लई पोताना मनमां धण बखतथी धोकातो प्रश्न पुष्टिमार्गाना श्रेष्ठमां श्रेष्ठ गादीनशीन तिलकायित महाराजने नम्राताथी अने बिनवधीचे बिनंतीलये रुख कर्या... 'सात स्वरूपनी सेवा अने भेट श्रीठाकुरजीनी के श्रीगुरुंदीनी सात बालकोनी, वैष्णवोप समजवी?' हस्ता मुखार्चिवदी अने मनप्रसन्नती उत्तर तिलकायितश्रीए आयो के 'ते' सेवा अने भेट सात स्वरूपे एटले श्रीगुरुंदीना सात लालजीओना घरी गादीए विराजता टिकेत श्रीगोस्वामी बालकोने अर्पण करवामा आवे छे तेम समजवुं. ए सेवा अने भेट श्रीठाकुरजीने अर्पण थयेली छे एम मानवुं नहीं.' (श्रीहृषालालाजी संस्था द्वारा प्रकाशित 'पुष्टिमार्गा वैष्णवोंने खास, तेज धर्मविलासीओने सामान्यवर्ण जाणवा अने मनन करवा जेवा धर्मना विषयेयेतु ईष्ण अथवा 'संग्रहस्थान' पृष्ठ ५२-५३ ले. प्रका. काशीदास नारणदास दलाल. प्रका. वर्ष : संवत् १९५४).

“आवी रीते हवेली अने तेमां बिपजता स्वरूपो अने तेने लागती स्थावर-जंगम

मिलकरो महाराजोनी खानगी मिलकर होवाई श्रीराजकोट मुकामे तिलकायितश्री अपेसो जबाब रास्त गणाय अने ते सेवा अने भेट स्वरूप-श्रीठाकुरजी-नी मानो के जेमने माथे ते बिराजता होय तेमनी मानो पण छेवटे सरवालो एकसीखो छे एम कही शकाय. परन्तु सुरती गादी साथे शेराङडवाली गादीनी श्रीबालकृष्णजी लीधे तकराउ छे ते तरफ जोताँ ए सरवालो कामनो नथी. एमां तो गंभीर सवाल ए छे के जो ते ठाकुरजीना निमिते काहयेली होय तो ते ठाकुरजीनी कहेदाय अने ज्यां ते स्वरूप बिराजबुँ होय त्यां वैलावोए मोकही देवी जोईइ. पण जो सेवाभेट छड्हा बालकी, ऊपर जणावेला तिलकायितश्री गोवर्धनलालजीना अभिषार प्रमाणे, थरी होय तो ते शेराङडवाला महाराजने छड्हा घरना तिलकायित तरीके रेमने मढ्ही जोईइ...

सुरतवाला तरफी घणी दलीलोमांनी एक एवी दलील हेय एम जणाय
छे की श्रीहारिरायकी महाराजे एक नमन श्लोकांमां आ स्वरूपने छाडा घटाणा श्रीजुनाथजीना
कही नमन कर्यु छे... उक्त श्रीहारिरायजीना वहुजी महाराजे धोळ बनाव्या छे
तेतुं एक लघुतुक हमेसे खासा आ तकरार माटे वांचवासार आपावामा आव्यु
छे. तेमांना एक धोळांमा लाढ्यु छे — ‘जोडी हाथने कहे छे जुनाथजीरि
लोल, मन बस्या छे हमारे तो श्रीनाथजी रे लोल, कृपानुग्रही श्री आप
पधरावीआ रे लोल, श्रीबालकृष्णजी हमारे मन भावीआ रे लोल, त्यारे प्रसन्न
थझे तात मन वांगु रे लोल, स्वरूप पधराव्यु. श्रीकल्याणरायजी तांगु रे लोल...’
आ धोळ सुरतवाला महाराजश्रीना घरमांमी युजरातीमां प्रकट करवामा आव्यु छे...
सुरतनी हवेलीमां सेवाविधिमुं एक हस्तलिंगित उपस्क छे तेमां चैत्र सुद ६
ने दिवसे आ छाडा लाल श्रीदानन्दनानी उत्सवो जणाव्ये छे. ते दिवसे केसरी
वक्षो एवे प्रसांगे धूपवाळा जोईं तेसे बदले खाणा (काळी) चुंडी धरावी
एवुं लाढ्यु छे. आ शुं सूचवे छे?... शेराणदवाला महाराजजी गिरधत्तालजी
ए स्वरूप ऊपर कोई प्रकास्ती हक के दावो धरावता नवी एम एमनुं खुल्ला
शब्देपांम हमो प्रत्ये बोलव्यु थांयु छे... एमी तकरार एट्टी ज छे के तेओश्री
जणावे छे के सार स्वरूपनी सेवा अने भेट वैणवो तरफी मले छे तेमां
छाडा घरसे मलती सेवा भेट लेवानो, तिलकायित तरीके हक तेमनो ज छे
अने सुरतवाला महाराजश्रीने ते लेवानो हक नवी... सुरतमां हात बिराजता
महाराजजी गो. श्रीब्रजरत्नलालजीना फऱ्य... श्रीसोदा बेटीजीए ‘सात स्वरूपेनी
कहाडी भेट तथा मनोरथ भेट नी व्यवस्था वाचत सप्रमाण विवेचन’ ए नामने

लघुपुस्तक संवत् १९६५ मां छपावेलुँ छे” (वर्ही पृष्ठ ५९-६३)

उस लघुपुस्तकके आद्यन्त पश्चोकी प्रतिलिपि :

અધ્યક્ષ વાંચી સંજાય હરે-હરે-અને-હરાયું કહે।

— 10 —

શ્રીઅણાંગો। વિજય

આત સ્વરૂપેની કાળારી ભેડ પથ

મનોરથ બેટની જ્યાલાંખા

બાબત સપ્રમાણ

ਲਿਖੇਅਨ

ମୋହନି ପତ୍ରି । ୧୩୫୧୩ -

સુરતનામા ઓ ફિલ્મ રિવિઓ અને વિગત

શ્રીમતી કટ્ટિળ મહારાજની આચ

१४८

સત્ત્વ-૧૯૭૫ અર્થ શુદ્ધિ ૨

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਨਕਾਨ

2024EDU

1

आतोच्य ग्रन्थके पूर्वोदृष्ट आमुखोंले लिखा गया है - “वर्तमान शास्त्राद्वयमें साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यापनकी परम्परा उच्छिप्राप्त हो जानेसे...”。 इस शब्दावलीद्वारा पाठकके हृदयमें ऐसा आभास प्रकट करनेका प्रयास किया गया है कि आतोच्य ग्रन्थके विधान या निष्कर्ष साम्प्रदायिक ग्रन्थोंके यथावत् अध्ययनाध्यापनकी परम्परामें दीक्षित व्यक्तिद्वारा किये गये हैं। अतः हमें थोड़ा सा यह भी देखना है कि अन्य परम्पराओंको थोड़ी देके लिए भूल कर भी केवल सूरक्षेके घरसे भूतकालमें क्या-क्या विधान-प्रशंसा-निष्कर्ष प्रकट हुए होंगे! यदि उन सभीसे विरुद्ध विधान तथा निष्कर्ष इस ग्रन्थमें प्रकट हुए हों तो सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थमें भी जैसे ग्रन्थगत विद्वानात् परम्परा

३ गुरुआकृति संस्कृतेवे नेने मुख्य शिल्पालयात्रुं अवश्यक
न् ५८६ देमार्जे श्रीमुद्दीपन लेखाकाशमध्ये हुमारा श्रीमहात्मापाद
भक्तिप्रसादां अंगीरसां वराहा इत्यत्त्वी अने ते वाणीतानी त्याची
कुमारी भूषण घटावी भेदेव देवी.

३०८

શ્રીપરોહા બેટીલુ મહારાજાની આજીવાદી છપાવનાર,
તેમના પૂરીઓના લક્ષ્યના રમણ્ય.

विनंती

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

કંઘ અહુસાયે, કે?" માટે હુરિ શ્વરઃ

निष्पादने हुआ गाँठ तरी म. १८

ଆଜିର ଦୁଇମାତ୍ର ଅଧିକ ଜୀବିତ

अधीत या अध्यापित थे उनसे निरान्त विशद ही है।

निवाद के केसमें पू. पा. श्रीवरजनलालजी महाराजी द्वारा दी गई सारी दि. २०४ नवंबर ४६ (का हिन्दी अनुवाद)

पू. पा. म. श्री : निवादमें स्वयंके स्वत्व की विवाद नहीं होती होनेसे स्वयंके उपयोगेमें उन वल्युओंको लिया जा सकता है। निवादमें स्वत्वमें हीती नहीं यह बत श्रीवल्याणगी सह इटिसे समझते हैं। अब जो प्रभुओं अवित की गई वस्तु यह बन जाती होती हो तो हमें उन्हें उपयोगेमें लानेकी आज्ञा श्रीमहाप्रभुकी दे नहीं सकते (पुष्ट ५) सप्तवादके अनुसार लिये गये समाधारें अर्णव की गई वस्तु अण्डकतक पास रहती हैं।

वकील : आपके कथनतुराहर वैष्णवाद्वारा श्रीठाकुरीजीको जो मिलकर अर्णव की जाती है उसपर उस (वैष्णव) की मालिकी हृषीकेश नहीं जाती। क्या यह सच है ?

पू. पा. म. श्री : वैष्णवके घरमें विषयते श्रीठाकुरीजीको बोयें पूछा जा रहा है कि युक्ते घर विषयते श्रीठाकुरीजीको उद्देश्य करके यह प्रम है ?

वकील : यह प्रम श्रीठाकुरीजी वैष्णवके घर विषयते हों या अन्य कोई वैष्णवके घर विषयते हों, श्रीगोस्वामी बालकोके यहां विषयते हों, पुष्टिगारीय मंदिरोंमें विषयते हों, अथव जगन्नाथ पुष्टिगारीय स्वरूप विषयते हों उनके बायें हैं।

पू. पा. म. श्री : गोस्वामी बालकोके घरमें विषयते स्वरूपोंको वैष्णव अर्णव कर ही नहीं सकते, परन्तु युक्तोंको ही भेट दी जाती है। अतः वहां देवावालेकी

सेवा-देवव्रतादिविषयमां तथा से. दे. वि. सारंगप्रभा ओडिपत्रसहित

फलकांडा एवं काशव्य को छोड़कर अपने समस्त द्रव्यका प्रमुखे लिए विनियोग करना वित्तजा सेवाका नश्वरप है। तब जिस प्रकार भगवदसेवामें विनियुक्त करते हेतु पतिष्ठाप प्रदत्त द्रव्यमें सामग्री लाकर प्रमुखों अंगीकार करनेमें परन्तीकी दुरुजा सेवामें वापा नहीं तथा पतिष्ठे भी उस द्रव्यको देखें उसका सेवामें वापा नहीं, उसी प्रकार एक वैष्णवाद्वारा भगवदसेवामें विनियुक्त करते हेतु दूसरे वैष्णवोंका सामग्री दिये जानेपर प्रभुद्वारा उस सामग्रीका अंगीकार होनेमें वापा नहीं होती चाहिए। तब विष्णोरीवाईनी बातमें यह उल्लेख कैसे आया ? "... यामें यह जाताये जो वैष्णवोंको औंगीकारी सामग्री अपने श्रीठाकुरीजीको आरोपिती नहीं, और कह कह वैष्णवोंसे लेके श्रीठाकुरीजीको विनियोग न करावने, सो श्रीठाकुरीजी अंगीकार न करे"

उत्तर : "विसिद्धै तुविष्वत्ता" की व्याख्यामें समाप्त वर्णितां मानसीकी सार्थिका नुस्खा, वित्तजा कौन है व कौन मानसीकी सार्थिका नहीं है यह बताने आयी हैं, विष्णोरीवाईनी बातमें समाप्त विसिद्धै भगवनके लिये दूसरे द्वारा प्रदत्त सामग्रीको अंगीकार करतेरेके निषेधमें हैं। अतः दोनोंका प्रतिवाद विषय मिल है... यह विषय सार्थिक है अथवा संस्कृत ? सार्थिक यदि हो तो इसी प्रकार भगवदसेवामें विनियुक्त करते हेतु युक्ते शिष्य द्रव्य नहीं दे सकते हैं तथा न तो युक्ते शिष्यको द्रव्य दे सकते, पतिष्ठाप प्रदत्त सामग्रीको यापी प्रभुको अंगीकार न करते, उत्र विषयाका सामग्री प्रमुखसेवामें विनियोग न करे इत्यादि अपरिहर्य अस्ती हैं... प्रकृततोंको विषय वैष्णवने श्रीठाकुरीजीके लिए सामग्री दी है वह किसोरीवाईकी परिवारका है या शिष्य है इसमें कोई प्रमाण नहीं। (पुष्ट ४८, तथा १८)

मालिकी रह नहीं जाती... और वहां 'अर्णव' नहीं परतु 'भेद' वापर जाता है। खुल्के पर (अर्थात् एक वैष्णवके घर) कोई स्वरूप विवाजता हो तो उस स्वरूपको अपने उपयोगेमें लानेमें पहले अर्णवकारी घर शुल्क शुल्कजीवों वैष्णव अर्णव नहीं सह सकते थे यह भी स्वीकारा था। एक करोर एक सरोर देवावालेका स्वत्व निवृत्त होता है और देवावालेका स्वत्व पैदा होता है। और सार्थक करोर देवावालेका स्वत्व कायम रहता है। अतः दोनों एक अपमें कहीं दो बातें नहीं...

वकील : साप्ताहादिक विस्तीर्णी भी मनिर कि जिसमें गो, बा. हों या न हों देखे किसी भी मंदिरमें श्रीठाकुरीजीकी सेवाके लिए वैष्णव भेद घर सकते हैं या नहीं अथवा विन मंदिरमें गो, बा. हों उन्हींने नहीं दे सकते ?

पू. पा. म. श्री : कहीं भी नहीं
(पुष्ट ४८, तथा १८)

[यहां तुलनाय है कि परम्परा अधीत प्रथानियत्र में पू. पा. महाराजाद्वारा समाधार और भेटका पृथक्करण निरूपित किया था। एक वैष्णवद्वारा अपने गुल्मे जब भेट की जाती है तब वहं शिष्यके स्वत्वकी निवृत्ति लानीकारी थी। युक्ते शुल्कजीवों वैष्णव अर्णव नहीं सह सकते थे यह भी स्वीकारा था। एक करोर एक सरोर देवावालेका स्वत्व निवृत्त होता है और देवावालेका स्वत्व पैदा होता है। और सार्थक करोर देवावालेका स्वत्व कायम रहता है। अतः दोनों एक अपमें कहीं दो बातें नहीं...]

यह यीक है कि पहले कहीं सारी बातोंके इससे अधिरोपण लेने की तरह रखी गई है। परतु पूर्सीकृति या इस ग्रन्थके बीच किसी एकको अज्ञान स्वार्थ से प्रेरित स्वीकारा होता है। इसमें सब क्या यह तो प्रन्थकार ही बता पायेंगे !

(गो. श्याम)]

ता. २-१२-८० के दिन श्रीव्रजनाथास परीष्कृत पुस्तकार्थ प्रदत्त आर्थीविचनमें पू. पा. महाराजाद्वारा आज्ञा करते हैं - "आ पुस्तक अपे सादीपान्त वांची गया छोड़े अपने अपने लायूं छोड़े के पुस्तक सामान्य शिक्षित वैष्णवने पण लीलामुभावन करवा माटे अति उपयोगी थई पड़ो। पुस्तकां ज्यां आवश्यक सुधारा करवा जणाया है अपे करव्या हे। आवृं सुन्दर पुस्तक प्रकट श्वाशी अपने धणो आनन्द थाय छे।"

साप्ताहादिक ग्रन्थोंके यथावत् परम्पराध्यायनप्राप्त बोधके अनुसार सेवावैष्णव है या सेवावैष्णव एतद्विषयक ऊहापोहके संदर्भमें यहां एक मजेदार बदतोव्याधात उभर कर आता है :

श्रीब्रजरत्नदासभाई परीखकृत पुस्तक, जो पू. पा. महाराजभीड़ाग्रा अभिनन्दित है

...पेताहुं घर ब्रज-गौकूल के अने यथां यथां श्रीठारोली विरागे छे थां होंसे-होंसे गव्हीं जईं, श्रीयोगीमायांी आँख लईं, श्रीबालकृष्णालाले लाल लडापैरे छीं तेवी भाववाही विनारे सेवा जोड़ुं अथवा नंदायोगीया आप्ते पाडोली छींए, श्रीयोगीमायाए, श्रीबालकृष्णे कृष्ण करीने थोड़े समय खेलवावा आया छे, तेवें आशण थेर पधावी लाल्या छीं तेवे ब्रजकलामां भावाची विनारे सेवां पैरेहुं, श्रीमहाप्रभुंसे सेवा मुहूर वे प्रकार बालाये छे (१) साधनलाला सेवा (२) कललाला सेवा, साधनलाला सेवा शरीर अने लक्ष्या विनियोगाहारा थाप छे, ते जातेजे गोपीजनी भावनायी प्रेमवृक्ष-दीनमार्पी कली जोईं, स्वामींसे देते कली, कलित्पि प्रकार न करती... आम शरीर अने द्रव द्वारा सेवा करताकरां भावालकृष्णी ज्यारे मन एकाहु थई तल्लीन थई जाप त्यो मानसी सेवा वे फलबल्लप छे ते आगोआप सिद्ध थाप छे. (पृ. ११-१२).

इस तरह हम देख सकते हैं कि सन '८०तक सेवाके जो दो ही प्रकार थे वे कहनेको वैसे यहां तीन हुवे हैं परन्तु शान्त वित्तसे विचारनेपर केवल तीन नहीं रह जाते हैं. यह कैसी बद्धा स्वयमार्पि सिद्धान्तोंके साथ की जा सकती है! यथा —

(१) केवल स्वतन्त्र केवल स्ववित्त द्वारा सम्पन्न मानसीअसाधिका सेवा (उदाहरणतया अधिकारा निःशासीत वैष्णवोंद्वारा अनुषित).

(२) स्वतन्त्रविचासहकृत परतनुद्वारा सम्पन्न श्रीता मानसीअसाधिका वित्तजा सेवा (उदा. स्वसिद्धान्त-निःशासीयोगीहित देवलकमोहित प.भ.धनिकोंद्वारा अनुषित).

(३) स्वतन्त्रविचासहकृत परवित्तद्वारा सम्पन्न वित्तिता मानसीअसाधिका तुनुजा सेवा (उदा. कतिपय गो.महाराजों तथा अबोध अकिञ्चन भावुक वैष्णवद्वारा भी अनुषित).

(४) स्वतन्त्रविचासहकृत परवित्त-परतनुद्वारा श्रीता-विक्रीता मानसीअसाधिका नामैककरणिका सेवा (उदा. गो.बालकोंके नामामात्र स्वामित्वाती — कलोत, भरु जैसी सूरक्षी — हवेतिओरें अनुषित).

सेवा-देवलक्ष्यादि विभाग तथा से. दे. विभागसांसाधन कोडपत्रसहित

ऐसी स्थितियें फललाला और साधनलाला इस प्रकारते गया करनेवे सेवे दो प्रकारकी होती हैं। मानसी, तुनुजा और वित्तजा इस प्रकार तुनुजा करने वित्तजा करने की प्रकारकी होती है। “उक्तसेवासाथे इसे तीन ब्रह्मालक्ष्यातिति” ऐसा श्रीप्रभुचालनि लिखा है... इस विभागमें दिवचनका प्रयोग होनेवे तुनुजा और वित्तजा इस प्रकारसे साधनलाला दो प्रकारसे विभाग होती है. अतः मानसी, तुनुजा और वित्तजा इस प्रकार तीन प्रकारकी सेवा मन-कलित नहीं विन्यु प्राप्तिकर्म है (पृ. ५-६).

(५) परवित्तद्वारा सम्पन्न विक्रीता मानसीअसाधिका होनेपर भी अनिविदा तुनुजा सेवा (उदा. ‘पुष्टिसिद्धान्तसंक्षणशिरोमणि’ त्वसाधिका!).

(६) परतनुद्वारा सम्पन्न श्रीता मानसीअसाधिका होनेपर भी अनिविदा वित्तजा सेवा (उदा. देवलक्ष्यामोहित अधिकांश वैत्तव जनता जिसे आज परमधर्म समझती है).

इस तरह तीनकी जगह छह प्रकार की अनिविद सेवायें अब अकस्मात् परम्पराधीत-ग्रन्थ-निकर्षतया ‘द्वन्द्वाते श्रूमणां’ हो रही हैं!

वैसे प्रातःस्मारण्य नि.ली.श्रीगोविन्दरायजी, जो स्वमार्पि सिद्धान्तोंको निष्ठापूर्वक जीनेवे एक मूर्मिमान आदर्श थे, वे क्वचनामृत इस सन्दर्भमें अतीव मनीय हैं. वे आज्ञा करते हैं — “पूर्ण पुष्टोत्तमका ही भजन यह (चतुः पुष्टुर्धर्म) भक्ति है. इस लोककी या परलोकीकी किंतु भी फलशासके विना प्रभुमें अपने वित्तको जोड़ देना, तदवणण... श्रुतिमें किया गया है. ऐसी सभी श्रुतियोंके आशयको लेकर श्रीहामप्रभुने सिद्धान्तसुत्तावलीमें ‘कृष्णेसोवासदा कार्या मानसीं सा परा मता, चेततत्प्रवर्णां सेवा तत्प्रियत्रै तुवितजा’ इत्यादि का समावेश किया है. (श्रीगोविन्दप्रभुरुद्र २४ वचनामृतान्तर्गत लेखवनमृतका हिन्दी अनुवाद)

कहां तो फलांकाशाहितात्मके सन्दर्भमें तुवितजा सेवाको निहारेकी उनकी भक्तियां दृष्टि और कहां उकेद्वारा सुपाठित होनेपर भी उके ही आत्मतोंकी ‘तुवितजा’ के दिवैक्यको भांग करके स्वसेव्य प्रभुकी सेवार्थ परवित ऐनेकी वकालातकी बृति! अस्तु भगवदिच्छा!

कुल निला कर बात यही है कि अध्युनाप्रकटित ग्रन्थोक्त बातें यदि परम्पराधीत सिद्धान्त होता तो श्री आके.भट्टकी ‘श्रीमद वल्लभाचार्यके दार्शनिक आचार की परम्परा’ पुस्तकका पुनःप्रकाशन क्यों किया गया? वह भी श्रीगोविन्दप्रभु द्रष्ट (सुरत) द्वाया ‘उज्ज्वलमणि’ तथा प्रातःस्मारण्य नि.ली.श्रीगोविन्दरायजी द्वारा प्रशस्त होनेके उल्लेखके साथ क्यों यह पुस्तक प्रकाशित की गई? भट्टजीके इस पुस्तकको ‘अत्युत्तम’ कहकर विदेवावाले सुरतके घरके पष्टीपैके दावेमें भीन रहेवाले पू.पा.तिलकायतश्री को क्या खुश काने के लिए? क्या श्रीबालकृष्णी-श्रीकल्याणरायजी-श्रीबालभारायजी अपने पितॄराणको परम्पराया अधीत नहीं मानते? और यदि यह विरुद्ध न हो तो द्रष्टव्य है कि इस ग्रन्थके पृष्ठ ११८-११९ पर यह साष्ट उल्लेख किया गया है कि सेवार्थ धन देना (तुनुजा सेवा) या देना (वित्तजा सेवा) दोनों ही वर्जित प्रकारकी सेवा है. गुणक सेव्य स्वरूपको नहीं प्रत्युत गुरुको ही जो भेद धर्नी हो सौ वैष्णवोंको धर्मी चाहिये. सार्वजनिक देवलयके प्रकारसे अन्योंको दर्शन करना इस ग्रन्थमें

सिद्धान्तविरुद्ध बात मानी गई है। (प्रष्ट ७४-७५, १९२-१९३ तथा १९८-१९९)।

अब परन्तु लगता है कि स्वजनक-श्रीगोविन्द्यामुखस्तर 'उच्चलमणि' उनके आत्मजोनीयों धारणाके अनुसार भूलिघूरित या स्वार्थीवस्तुकर्मलिप्त हो गई है। अन्यथा यह नवी परम्परा अक्समात् कहाँसे प्रकट हो गई? अन्यथा उनके तीर्तीयों आत्मज अपने उच्चलमणिप्रशंसक पितृचरणकी परम्परासे विरुद्ध परम्पराके साथ अपना नाम किसे जोड़ पाते?

अहमदाबादवाले प्रातःस्मरणीय नि.सी.श्रीणांडलालजीके वचनामूर्तोंका तो दो बार सुनितसे प्रकाशन हुआ, बावचूद इसके कि ४८४ तथा ४८७ वें वचनामूर्तोंमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि "... अपने यहां भी समुख भेट जो होती है वह देवदत्त्व है और उसे सामग्रीके काममें नहीं लाया जाता। श्रीगोकुलनाथजी और श्रीचन्द्रजानीके धर्ममें तो अभी भी यह नियम पाला जा रहा है... हम श्रीनाथजीके समुख जो भेट धरते हैं वह श्रीमहाप्रभुजीके पाठुकालजीके धरते हैं तो भी उसे अकंकारादेव वापार जाता है, सामग्रीमें नहीं। समुख भेट धरतेमें बोहत अनावरण होता है (४८४)। श्रीठाकुरुकीपि निषित कुछ भी मांगना नहीं चाहिये या कुछ भी देना नहीं चाहिये। इस रीतिसे प्राप्त इत्य देवदत्त्व बनता है। श्रीठाकुरुकी उसे अंगीकार नहीं करते अतः वह सामग्री महाप्रसाद बनती नहीं औं सेवावालेकी बुद्धि विगांडे बिना रहती नहीं (४८५)।"

लगता है कि परम्परा अधीत सिद्धान्त इन वचनामूर्तोंके प्रकाशनके समय विस्तृत हो गये होंगे!

किसे एक हीकीत यह भी है कि इन वचनामूर्तोंकी मूल प्रतिमें स्पष्टतम शब्दोंमें लिखा था: 'छठे घरके श्रीकल्याणायजी हैं। श्रीदुनाथजीकी आसक्तिका यह स्वरूप है। और उन्होंने उच्चपाप इनकी सेवा की थी। उन्होंने श्रीबालकृष्णालालजीको नहीं स्वीकारे उसका कारण यह था कि यह बालस्वरूप है और एस(मण्डल)में उस स्वरूपकी स्थिति ही सम्भव नहीं, क्योंकि रासमें तो प्रीढ़ स्वरूपकी स्थिति ही सम्भव है। अब जो घर होता है वह बालकसे होता है श्रीठाकुरुकीसे नहीं (६२)।' सुनतेके घरकी पृष्ठीष्ठतया लाभपूजाभिवृद्धयर्थ क्योंकि स्वदेव्य श्रीबालकृष्णालालजीको बहुनिधि तथा स्वव्यक्तों 'श्रीबद्धुआथाहृपर्पोद्धव' कहा जा रहा है उसमें यह विधान आडे आ रहा था, सो प्रथम आवृत्ति इस अंशके निकासनके साथ प्रकाशित करतायी गयी थी। बास्में जब 'पुष्टिमार्यी पीठाधीशः स्वरूप और कर्त्त्व' पुस्तकमें ऐसी सभी स्वमार्योंका इस छलकपटर ध्यान आकर्षित किया तब द्वितीयावृत्तिमें इस वचनामूर्तको स्वस्थानच्युत करके परिशिष्टया ग्रन्थात्में मुद्रित करवा दिया गया था। उल्लेखर्य, परन्तु, यही है कि परम्पराधीत सिद्धान्तनिर्णय

तब यदि ज्ञात थे तो अपनी असहमति प्रथमावृत्तिमें न सही द्वितीय संशोधित आवृत्तिमें तो प्रकट कर्नी थी! इससे सिद्ध होता है कि 'सेवा दे. ड्र. विमर्श' ग्रन्थ परम्पराधीत सिद्धान्तबोधके आधारपर लिखा गया नहीं है।

हम कह चुके हैं कि संमुक्त धोषणाप्रयत्नमें तुवितजैवका सिद्धान्त श्रीबालकृष्णालालजीने अपने हस्ताक्षरप्रेत पत्र दि. २२-१०-८६ द्वारा मान्य किया था। इससे सिद्ध होता है कि तब तक श्रीबालुराजाका अध्ययन तथाकीथित परम्पराके अनुसार नहीं हुआ होगा। अब, अर्थात् सन् '८६-९२ वर्षोंमें परम्पराप्राप्त सिद्धान्तग्रन्थोंकी ग्रन्थिकानिराकरण अक्समात् दैवीवाणीके सदृश प्रकट हुई परम्परासे हुआ भी स्वीकारर लें तो भी बाल बनती नहीं है, क्योंकि हाल ही में गर्वर्ष श्रीहरिराजी(जगन्नार)के द्वारा पुष्टिमान्तरचर्चासभामें परिधीहीत पक्षोंको अभिनन्दनीय मानकर उन्हें प्रशस्तिप्रति प्रदान किया गया था। उनके द्वारा परिधीहीत पक्षोंकी सूचिराग भी द्वितीयात इस प्रसंगमें आवश्यक हो जाता है:

(१) पुष्टिमार्यी सिद्धान्त आनंदीकी साधारणता या सेवा उपदेष्ट हुई है वह एक तनुवित्ता है या योः (क) तनुजा (ख) वित्ता है? - इस संशयमें वैविध्यपक्षको श्रीहरिराजीने अधिकारिभेदवश मान्य किया था। अर्थात् उत्तमाधिकारी तनुवित्ता करता है, मध्यमाधिकारी तनुजा या वित्ता एवं जघन्याधिकारी लोकार्थी बनकर।

(२) भगवत्सेवा सेवाकर्ताकी मालिकीके धरमें ही कर्ती चाहिये। (ऐसी स्थितिमें वैविध्येद्वारा की जाती वित्ता सेवाको स्वीकारेपर उका मालिकाना हक्क सूत सदृश हवेलिओंपर स्वीकारा होगा अन्यथा स्वीकृत परिभाषाके अन्तर्गत वह सेवा ही सिद्ध नहीं होगी।)

(३) गोस्वामियोंके सेवस्वरूप स्वार्थ-परार्थ अर्थात् उभयार्थ होते हैं।

(४) पुष्टिमार्यी सेवाकर्ता भगवत्सेवाद्वारा भेट या सामग्री उपाजित कर सकता है या नहीं इस संशयमें तथाभिन्निदित 'पु. सि. सं. सि.' श्रीहरिराजीद्वारा ग्रहीत पक्ष यह था कि अधिकारिभेदवशात् उत्तमाधिकारी नहीं बनाता पर जघन्याधिकारी तो बनाता ही है। इस अधिकारिभेदके अन्तर्गत भी आजीविकातया भगवत्सेवा करनेवाला देवलक होता है यह भी स्वीकारा था ही। (जबकि अब इस नून पक्ष के अनुसार देवलक नहीं होता। ऐसी स्थितिमें बस्तुतः होता हो कि नहीं होता यह दूसरी बात है, कमसे कम एक वर्ष पूर्व परम्परा अधीत विषय या तो विस्मृत या अज्ञात था इसमें सन्देह नहीं। अन्यथा चिं. हरिराजीको तो अभिनन्दित नहीं ही किया जाता। अथवा यह परम्परा अधीत सिद्धान्तमूलक निर्क्षण न होकर स्वयं कर्त्ता जघन्याधिकारी सिद्ध न हो जायें ऐसा प्रतिभावनभीतमूलक तो नहीं, साथ

ही साथ आजीविकातया अनुष्ठित भावत्सेवाद्वारा आर्थिक लाभके मोहपर भी काबू न पानेके कारण प्रकट हुआ पक्ष तो यह कहाँ नहीं है।)

(५) स्वसेव्स्वरूपसादावहण विधयके अन्तर्गत तथभिनन्दित 'पु. सि. सं. शि.' चि. हरियाजीका पक्ष था कि सरकारी कानूनोंस्वीकार भगवत्सेवार्थ फेमलेट-नर्सिंद्राद्वारा परवित्तावहण देवलकरतापादक होता है। (वह भी इस नूहन ग्रन्थमें छोड़ा गया है स्वार्थसंरक्षणार्थ।)

(६) आचार्यवचनाशय-निर्धारणप्रकारके अन्तर्गत जो प्रामाण्यवस्था भी तदन्तर्गत तथाभिनन्दित 'पु. सि. सं. शि.' चि. हरियाजीसे मैंने पालेंदाती सभामें यह पूछा था कि उन्हें पू. पा. म. श्रीके विधान प्रमाणितया मान्य हैं कि नहीं? क्योंकि स्वयं उन्हकी परिवारकी नडियाद्वाली हवेलीके केसमें एक मात्य विशेषज्ञकी हैसियतमें पू. पा. श्रीझरललालजी महाराजजीने गवाही दी थी। पू. पा. महाराजाजीसे वकीलने पूछा था— 'किसी भी पुष्टिमार्गीय मंदिरमें वैष्णव श्रीधरकुमारजीकी सेवा तथा नेपोग के लिए तथा श्रीधरकुमारजीकी सेवाके निर्वाहार्थ भेट इत्यादि देकर वितजा सेवा करता हो तो; और उस मंदिरमें तुजुना सेवा करता हो तो वह मंदिर पुष्टिमार्गीय नहीं है ऐसा आपका कहना है?' इसपर पू. पा. म. श्रीने प्रसुतर दिया था— 'पुष्टिमार्गीय मंदिरमें वैष्णवोंद्वारा तुजुना या वितजा सेवा, स्वतंत्र करनेकी कोई प्रक्रिया नहीं है और ऐसी सेवा की जाती हो तो उसे 'साम्राज्यिक मन्दिर' नहीं है जा सकता।'

बिचारे तथभिनन्दित पु. सि. सं. शि. की वाणी लड़खड़ने लग गई और अन्तमें 'मुझे इस बारेमें कुछ भी नहीं कहना है' कहकर शाखाक्रमणकरना पड़ा। यदि चर्चावासकी पूर्वानिको आदरणीय श्रीगोविन्दराजजी (पोखरेंद)के यहाँ श्रीकल्याणराजीय, श्रीबालकृष्णलालजीने अपने अपोषित प्रतिनिधित्या जब चि. हरियाजीको उपस्थापित करना चाहा था तथा चर्चावासके संचालनके नियमोंमें संशोधन-परिवर्तनादि संवादस्थापकमण्डलद्वारा करवाये तो इतीनी सूचना और दे दी होती तो यह हाल तो नहीं होता। क्योंकि स्वचननगौल या स्वचननप्रामाण्य स्वयंको अनभीष्ट हो तो बिचारे 'पु. सि. सं. शि.'को चर्चामें बुद्धजनकी गौरवदानिकी भीतिसे लड़खड़ना तो न पड़ता। हकीकित पन्तु यही है कि तबतक परम्परा अधीत (!) सिद्धान्तबोधका उदय ही नहीं हुआ था।

'पुष्टिने शीतल छांयडे' में परम्परा अधीत जैसे सिद्धान्तोंका निरूपण हुआ है वह तो विश्वविशेषधनिका एवं क्रोडाक्रीडनक्कीडाविभग में यथावसर आगे चलकर निरपित करेगे ही।

कुल मिलाकर इन सभी मुहूँका गंभीर आकलन करनेसे मनःप्रत्यय नहीं होता कि मुखपृष्ठपर इंगित पू. पा. श्रीजरललालजी महाराजजी इस ग्रन्थके कर्ता हों।

पूर्वमें भी 'कल्याणराज' समानार्थी 'खेमराज' छव्यनामसे अनगत बातें परिचयोद्घारा प्रकाशित करवाई गई तब भी मैंने निवेदन किया था कि अधीत भ्रातृवीयोंको यह शोभा नहीं देता। परन्तु अब मेरी प्रार्थनाको स्वीकार कर के अपने मतको, यथि स्पष्टकृतान्मा न सही किंतु भी स्पष्टभावामें, सो भी अतीव परिमार्जित शालीन तथा निर्वैयक्तिक भाषामें, ग्रन्थ प्रकट किया है वह बस्तुतः जितने भी अभिनन्दन दिये जायें उससे कुछ अधिक ही अभिन्दनीयतासे मण्डित है—इसमें सदैह नहीं।

इस आमुख-दर्शनमें या आगे भी जहाँ-कहाँ मुझे वैयक्तिक सन्दर्भमें कुछ चर्चा छेड़नेको बाधित होना पड़ा है या होना पड़ेगा उसके कारण मेरा मन भीतरसे अपराधबोधसे तो प्रस्त छो ही रहा है तथा आगे भी होता रहेगा—इसमें संशय नहीं। पर 'दूधका जला छाछको भी पूँक मारकर पीता है' वैसी ही कुछ मेरी भी मनोग्रन्थियां बध गई हैं। अतः सभी सहदय पाठक इस पर्वकी ओटोंमें खेले गये नाटकके विवरणको पढ़कर मेरे प्रति सहानुभूतिपूर्ण शमाभाव प्रकट करोगे। मैं अपने बनते यथाशक्त निर्वैयक्तिक युक्ति-प्रतियुक्तियोंके निर्वैयक्तिक समाधान ही देनेका भरसक प्रयत्न करूँगा। किंतु भी यत्र-तत्र होनेवाले स्खलनकी पूर्वक्षमायावना मांगना चाहूँगा। सो सर्वविद्युतेक श्रीकृष्णचरणकमलके परामर्श मेरे भाव तथा भाषा परिपूर रहें ऐसे शुभमनोरथके साथ।

— गोस्यामी श्यामकलाहर



॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥
॥ श्रीमद्बार्यचरणकमलेभ्यो नमः ॥

रेवाप्रकरण

जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विद्वानेष्वरः प्रभुः श्रीमान् ।
पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्यगते ॥

प्रस्तुत प्रकरणमें मुख्यतया विचार्या विषय हैं : श्रीमहाइष्मपूर्णदृष्टि सिद्धान्तमुक्तावलीके प्रारम्भके स्तोक तथा उपर विचरित श्रीप्रभुचरण, श्रीगोकुलनाथजी, श्रीकल्याणराधजी, श्रीपुष्पोत्तमजी, श्रीविलुप्तेशालज श्रीवल्लभजी, श्रीधुनाथसंजय श्रीविलुप्तजी तथा श्रीनरसिंहलालजी की टीकाएं, तदुसार सर्वप्रथम मूलवचन हैं—

नन्ता हर्ति प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्तंविनिश्चयम् ।
कृष्णसेवारै सदाऽकार्यै मानसी सा परा मता॒॥
चेतस्तत्प्रवर्णं सेवार॑ तस्मिद्दृढै तनुवित्तजा॑ ॥
ततः संसारदुखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् ॥

कुल मिला कर इन दो काठिकाओंमें (१) उपदिश्यमाण कर्तव्यकी सिद्धान्तविनिश्चितता (२) उपदिश्यमाण कर्तव्यके कर्म अथवा विषयका स्वरूप (३) उपदिश्यमाण कर्तव्यांगभूत कालका स्वरूप (४) उपदिश्यमाण कर्तव्यकी कृत्यरूपा तथा आवश्यकता (५) फलतलक्षण (६) स्वरूपलक्षण (७) साधनलक्षण तथा (८) अनुरोधिक या अवान्तरफल लक्षण—इनी बातें हैं।

तदन्तर्गत विप्रतिपत्तिग्रत अंश प्रायशः द्वा उचां तथा एवां हैं फिर भी प्रमुख तो उचां अंश ही है सो उसपर ही सर्वप्रथम विचार आवश्यक है :

(१) “तद-सिद्धैर्थे तत्त्व-विद-जा”

इठे श्लोकांशं “चेतस्तत्प्रवर्णं सेवा” अर्थात् ‘तत्-कृष्ण’प्रवणचित्तरूपा सेवा पूर्वीकृत होनेसे उसका ही परामर्श ‘तत्-सिद्धैर्थे अन्तर्गत तत्’ पदसे हो रहा है, अथवा फलोपयोगीव्यापोगस्तत्विकी ‘मानसी सेवा’रूप फलका भी परामर्श प्राचीन टीकाकारोंमें स्वीकारा है. किसी भी व्यंतिमें ‘मानसी सेवा’रूप फलके व्यवहित होनेके कारण स्वरूपद्वारा ही परामर्श उसका शक्य है. इस एक प्राचीनक निरूपणके बाद अब यथोचित “तस्य = तद्वरणचेतसः अथवा तस्याः = मानस्याः सिद्धैर्थे = तत्सिद्धैर्थे” विहके अनुसार अर्थग्रहण करना चाहिये. यहां ‘तत्सिद्धैर्थे’ में चतुर्थीको ‘पत्ये शेरे’ तदाहरणद्वारा “क्रिया यमप्रतीति सोपि सम्प्रदानम्”

नियमानुसार लेनी अथवा “मुक्तये हरि भजति” तदाहरणद्वारा “तादर्थे चतुर्थी वाच्या” नियमानुसार लेनी अधिक उचित है? प्रथम कल्पमें कृष्णप्रणवचित्तसिद्धि एक ऐसा सम्प्रदानकारक बनेगा जिसके पूर्वसिद्ध होनेपर ही तनुवित्तजा क्रिया सम्पन्न हो पाती है अन्यथा नहीं। उल्लेखनीय है कि “चित्तकी कृष्णप्रवणता” कृष्णसेवा का स्वरूपलक्षण होनेसे फलावस्था-साधनावस्था उभयासाधारण सिद्ध होगा. अतः अकृष्णप्रणव विचाराना अनुषिठ तनुवित्तजा विद्या कृष्णसेवा ही नहीं रह जायेगी. और यदि कारक क्रियार्थ होते हैं— क्रिया कारकार्थ नहीं, तदुसार तद्वरणचित्तसिद्धदर्थ तनुवित्तजा सेवाका अनुष्ठान यदि उपदिष्ट होता मानना हो तो तदित्यरथेजानार्थ तनुवित्तजा का अनुष्ठान भी अर्थवाली ही आ जाता है।

इसी तरह ‘तनुवित्तजा’पदवारा विसितावाक बारेमें जो तीव्र विप्रतिपत्तियां उभी हैं, उस सन्दर्भमें कुछ मीलिक व्याकरणके नियमोंको एक बार हृदयेणम करनेके बाद ही भवितमार्थी दिद्धान्त एवं व्याख्याओं की विवेचना उपकारणी हो पायेगी।

एतदर्थे ‘सेवा-देवद्वाराविमर्श’ग्रन्थकारका पक्ष ‘विमर्श’ नामा तथा श्रीमहाइष्मपूर्णभूति प्राचीन ग्रन्थकारोंका पक्ष ‘विशोधनिका’ नामा दिया जायेगा. तदुसार-

विर्माशः ‘तनुवित्तजा’पदसे तनुजा एवं वित्तजा का बोध : यहां तनुष्ठ वित्त च तनुवित्ते ताभ्यां जाता तनुवित्तजा. ‘तनुवित्त’ पदमें द्वन्द्व समास है, अनन्तर ‘जा’ पद आया है. अतः “द्वन्द्वन्ते श्वयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बन्ध्यत्” इस नियमके अनुसार ‘तनु’ और ‘वित्त’—इन दोनों पदोंके साथ ‘जा’ पदका अन्य होता है. इस प्रकार ‘तनुवित्तजा’पदसे ‘तनुजा’ ये दो सेवाएं मानसीके साधन निश्चित होती हैं।

विशोधनिका : “चार्थे द्वन्द्वः”— पाणिनिस्त्रैके वार्तिक तथा भाष्यमें वार्तिककार तथा भाष्यकार कहते हैं—“चार्थे द्वन्द्ववचने असामासपि चार्थसंप्रत्ययादनिष्टं प्रानोति ‘अहरहर्नयमानो गमसं तु पुरुषं पशुं वैवस्त्री न तृप्यति’... सिद्धं तु सुप्रापदधिकाणवचने द्वन्द्ववचनात् सिद्धपेतत्. कथप्? युगप्रदधिकरणवचने द्वन्द्वे भवतीति ववत्यम्”. प्रदीपीकारोंने इसका स्थानीकरण इस तरह दिया है कि एक-एक शब्दसे जब एकसाथ कोई एक बात ऐसी कहनी हो, जो समुदायरूप हो, तब द्वन्द्व होता है. “गाय, घोडा, पुरुष, पशु के प्राण यमराज प्रतिदिन लेता रहता है परन्तु सन्तुष्ट नहीं होता” वरन्में ‘गाय’, ‘घोडा’ आदि पदोंमें द्वन्द्व समास नहीं होनेका कारण यही है कि यमराज गायकी अपेक्षा रखते हुए घोडेका अथवा घोडेकी अपेक्षा रखते हुए गायके प्राण नहीं हरता. वैसे दोनों अर्थात् विस्ती

भी प्राणिके प्राण हरता है तो इतरतयेश्वतया-स्वतन्त्रतया प्राण हरता है। अतएव ऐसी स्थितिमें ‘गाय’-‘घोड़ा’ पदांकों द्वारा समासमें जोड़ा नहीं जाता। प्रत्युत गाय एवं घोड़े का भिन-भिन शब्दोंद्वारा पृथक्कीर्ति ही पैदा होता है।

अतएव ‘लक्षण्योर्धों’ समासके उदाहरणमें द्वन्द्व समासके स्वभावको समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं— “सहभूतवेद अन्योन्यस्य अर्थम् आहुतुः न पृथग्मौ” (यर्षी) अर्थात् द्वन्द्व समासमें समासधकके दोनों पद परस्पर सहभूत होकर ही अपना एक अर्थ कहते हैं, पृथग्मूल होकर नहीं। इससे समझायें आना चाहिये कि ‘तुविजाता’पदमें भी ‘तु’-‘वित्’पद यदि सहभूत होकर ही अपना अर्थ कह पाते हों पृथग्मूल होकर नहीं तो द्वन्द्वानश्चतुर ‘बा’ पद भी अपना अर्थ द्वन्द्वधकके सहभूत ‘तु-वित्ते जन्म’तया ही अपना अर्थवैधन करा पायेगा, पृथग्मूल ‘तु’ और ‘वित्’ से जन्मतया नहीं। अतः “द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमिस्मध्यते”का झड़ा हाथमें लेकर दैनेवाले स्वयं द्वन्द्व समासके अर्थे, स्वभाव एवं नियम से निनात अनभिज्ञाता प्रकट करते प्रतीत होते हैं।

वास्तविकता जबकि यह है कि प्रतीपकाने भी स्वयं ‘च’के (१) समुच्चय (२) अन्वाचय (३) इतरतयोग (४) समाहारस्य चार अर्थ समझाये हैं। परस्पर निरेष पदार्थोंके जब क्रियामें समुच्चय होता है, उदाहरणतया, “गाय, घोड़ा, पुरुष, पशु (सभी)का यमराज प्राण हरता रहता है” वाक्यमें परस्पर निरेष गाय, घोड़ा आदिका समुच्चय प्राणहराणात्मिका क्रियामें द्योतित हो रहा है। वह ‘च’काके बिना भी द्योतित हो रहा है। अतः समासमें जुड़ा पानेको ‘गाय’, ‘घोड़ा’ आदि पद समर्थ नहीं है। ‘च्यग्रोधको देखो’ कहकर जब “और प्लक्कों भी” कहा जाता है तो अन्वाचयका उदाहरण बनता है। यहां दर्शनक्रियामें न्यग्रोधकी प्रधानता और प्लक्कीकी गौणता प्रकट होती है। अतः प्रधान-न्यग्रोध-प्लक्क कीणलक्षका क्रियान्वय होनेदेहे द्वन्द्वसमासका घटक बन पानेको समर्थ नहीं है। क्योंकि प्रधानपद ‘न्यग्रोध’ ‘च’ के अन्वाचय अर्थमें प्रयुक्त नहीं है। गौणपद ‘प्लक्क’ ही अन्वाचयके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। अतः यहां भी द्वन्द्वसमास नहीं होता। ‘च’का तीसरा अर्थ है: इतरतयोग, ‘इतरतयोग’ यानि परस्पर अपेक्षा रखनेवाले अनेक पदोंके एक अर्थमें समन्वित होनेपर ‘च’शब्दसे द्योतित होती उनकी परस्परहितता। अतः यह द्वन्द्व समासका योग्य उदाहरण है। कुर्तुर्थ समाहारके अर्थमें भी परस्परसहितका भान होता होनेसे वहां भी द्वन्द्वसमास हो सकता है।

अतएव महामोपाध्याय जयराम न्यायपञ्चानन भट्टाचार्य समासवादमें इसका स्पष्ट खुलासा देते हैं कि ‘च’के चारों से दो अर्थमें द्वन्द्वसमास हो सकता है। (१) इतरतयोग (२) समाहार। जहां अवयवार्थकी प्रधानता होती है वहां

इतरतयोगरूप द्वन्द्वसमास होता है। प्रधानता यानि विभक्तिके अर्थसे उडान। अतएव द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग इतरतयोगद्वाराँ होता है। उदा. ‘धवजादिरौ’ ‘धवजादित्याशाः’, जहां संहिता-सहिता प्रधान होती है वहां समाहारद्वारा होता है। दोनोंकी या दोसे अधिककी सहिता क्योंकि एक अर्थ ही अतः वहां एकवचन और न्युसकलिंगका प्रयोग होता है... अतएव ‘चार्ये द्वन्द्व’ पाणिनियममें समुच्चय और अन्वाचय अर्थके अन्तरावाद इतरतयोग और समाहार ही ‘च’के अर्थतया अभी हैं। समाहार = सहित्य = सहिता तथा इतरतयोग=सहित्यविशिष्टता। अतएव “धर्मर्थकामादि जो कुछ सप्तन करने हों इसके साथ करना” — इस विधानमें पलीका सहभाव ही द्योतित होता है, सहित्य नहीं। अर्थात् पलीकी अनुपतिद्वारा भी धर्मर्थकाम सम्पत्र किये जा सकते हैं। जबकि सहित्य यदि विवक्षित हो तो अनुष्ठानक्रियामें सहकर्तृत नियत बन जायेगा।

अतएव इस सन्दर्भमें सिद्धान्तकामुदीतत्वबोधिनीकारका भी एक मनीय स्पष्टीकरण है—“... अतः इतरतयोग और समाहार में परस्परसहित्यके विभानम रहेके काणे द्वन्द्वसमास होता है। समुच्चय या अन्वाचय में उसके न होनेके काणे द्वन्द्वसमास नहीं होता। फिर भी इतरतयोगमें परस्पर सहित्य विशेषण होता है और परस्परसहित द्रव्य विशेष। जबकि समाहारमें परस्पर सहित्य प्रधान तथा द्रव्य विशेषण।” (सि. कौ. तत्त्ववा. द्वद्र प्रक. २/२/१९)।

इसपर टिप्पणी करते हुए म. म. शिवदत्तशास्त्रीने भी स्पष्टीकरण दिया है कि कौमुदीकाद्वायाप्रदत्त ‘मिलितानामन्वयः इतरतयोगः - समूहः समाहारः’ लक्षणमें ‘मिलितानोंका अर्थ है परस्परसेषा रखनेवाले उद्भूत तथा भिन्न अवयवोंवाला समूह। उसके ‘अन्वय’का अर्थ है एकव्यावचिन्छन्नतया अन्वित होना। इसीतरह समाहारान्वयति ‘समूह’का अर्थ है अनुद्भूत तथा भिन्न अवयवोंवाला समूह। यहां इतरतयोगमें क्योंकि उद्भूतवयवेभद्र समूहकी प्रतीति होती है अतः प्रवृत्तिनिमित प्रत्येकवृत्ति धर्म होता है। जबकि समाहारमें विभिन्न अवयव अनुद्भूत रहते होनेसे समूहका अतिरिक्ततया भान होता है। अतः समूह ही प्रवृत्तिनिमित बनता है।

प्रकृतमें विभक्तिकामे भी “तुविते वित्तं च तुविते” कहकर समाहार द्वन्द्व तो स्वीकारा नहीं है। अतः ‘तुविते’ द्वन्द्वमें तु और वित को फहले उद्भूतपेद तथा प्रत्येकवृत्ति पद्वयविचिन्मितर्थमवान मान कर पश्चात् एकर्थम् = तुवित्यत्वरूपसे अपने प्रथमा उद्भव अथवा तुवीया द्विवचनमें अन्वित मानना पड़ेगा। ऐसी स्थितिमें त्रिकालमें भी ‘तुविजात्यां जाता तुवित्तजा’ का अर्थ “तुजा और वितजा” निकल ही नहीं पायेगा।

ऐसी स्थितिमें “द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमिस्मध्यते” नियम भी केवल इतनी ही बात कह पायेगा कि जिस सेवा = क्रियाका अनुष्ठान तनु-वित्तसे सम्पन्न

कला है वह तमुहित वित्त अथवा वित्तरहित तनुसे सम्पन्न नहीं हो सकता। वह क्रिया प्रत्येकसे अभिसम्बद्ध होनी चाहिये। अतः प्रत्येकके साहित्यसे ही उसे सम्पन्न कला पड़ेगा। भूलना नहीं चाहिये कि इन्द्र यहां तमु-वित्तका है, तज्ज्ञ या क्रियाका नहीं। ऐसी स्थितिमें “तनुजा और वित्त” अर्थ कला पाणिनि-काल्यान्यन्-पतंजलि-जैयंट-नगोशादिके आश्र लिये बिना शब्द नहीं है।

इतरतयोग इन्द्र कौमुदीकाके अनुसार भी, “मिलितानाम् अवयः” अर्थात् प्रकृत सद्भर्मि द्विद इन्द्र होनेसे “मिलितयोः अवयः” तदनुसार “परस्पराप्रेक्षयोः तनुवित्तयोः” उद्घूतावयभेदयोः = तनुवाचच्छिन्नप्रतियोगिताक-वित्तयोगिक-वित्तत्वाचच्छिन्नप्रतियोगिताक-वनुयोगिकभेदसमूहस्तरप्ययोः तनुवित्तयोः सेवारूपक्रियानिवृज्जन्यतानिरुपितकरणतावच्छेदकरूप = एकधर्मच्छिन्नत्वेन = तनुवित्तलेन अवयः” अकाम-गलेपतित है।

यदि यह नहीं स्वीकारते तो “समस्तवित्तुणां निरतिशयानन्द-ब्रह्मलोकावाप्त्यादि-कन्यादानकल्पोक्तफलावाप्तये अनेन वेण अस्यां कन्यायाम् उत्पादयित्यमाण-सन्तत्या द्वादशावग्रन् द्वादशपराम् पुरुषांष पवित्रीकर्तुं आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रतीये अमुकोत्रोत्पन्नाय विष्णुरूपिणे रामकृष्णादासनामे वराय इमां लक्ष्मीरूपिणीं कन्यां तुप्यमहं सम्प्रदद्” के संकल्पपूर्वक दिये गये कन्यादानके बावजूद कोई ऐसी स्वैरिणी “द्वन्द्वाते श्रूयामाणं पदं प्रत्येकमित्समव्यात्मते” व्याकाणनियमकी दुर्वार्द्द देकर रामकृष्णादासनामक स्वपतिके अलावा किसी “रामदास” एवं “कृष्णदास” नामक जापुरुषोंसे सन्ताति प्रकट करने लगे तो भी द्वादशावर द्वादशपर पुरुषोंके निरतिशयानन्द-ब्रह्मलोकफलावाप्तिपूर्वक स्वयं कन्यादानाको श्रीलक्ष्मीनारायणप्रतिरूपफल मिलना चाहिये।

अन्यथा अधिकसे अधिक यहां भी यह तो कहा ही जा सकता है कि उत्तर फलाप्रिप्रसाधिका केवल रामकृष्णादासस्त्र वर्ते उत्तरन सन्ताति होंगी। एतावता ‘रामकृष्ण’रूप इन्द्रके अन्तर्में श्रूयामाण ‘दास’पद, व्योक्ति राम और कृष्ण उभयसे अभिसम्बद्ध है एतावता रामदास एवं कृष्णदास नामक उपपतियोंके साथ रमणको कथमप्रीति असंकल्पित अर्थात् तो कहा ही नहीं जा सकता! तब तो लोग व्याकरणशास्त्रके व्यधिचारशास्त्र ही मानने लग जायेंगे। इन्द्रसमाप्तका ही द्वन्द्वात कर देंगे!

उल्लेखनीय है कि विमर्शकार भी श्रीमहाप्रभुद्वारा संकल्पित प्रकारसे स्वतनुवित्तजन्या सेवाको मानसीकी साधिका तथा “द्वन्द्वाते श्रूयामाण...” नियमानुरोधवश तनुजा और/अथवा वित्तजा को अनिविद् मान रहे हैं —यह उत्तिष्ठित स्वैरिणीसंदृश ही अर्थात् है।

(II) श्रीकृष्णघरण-विवित-विवृति

(१) ‘स्वसिद्धान्ते’ति... स्वसिद्धान्तरूपं शाश्वार्थनिष्ठयं वक्ष्यामीत्यर्थः. (२)

तमेवाहुः ‘कृष्णसेवे’ति. फलात्मकनामोक्तस्य स्वतः पुरुषार्थेचेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो नतु अवश्यप्रत्येकेनोति ज्ञायते... (३) सेवा ति सेवकधर्मः; तदुक्तव्यं जीवानामशेषाणां सहजदासात्मं ज्ञायतम् अतएव न कर्णीणाव्रत्रा कालपरिच्छेदेवोत्सत्याहुः ‘सदेति. (४) आवश्यकार्थ्यपूत्रत्ययात्मकार्यप्रदेक्षत्या तदकरणे प्रत्यवायी भवतीति भावे ज्ञायते. (५) साच फलरूपा साधनप्राप्ता चास्ते. तत्र ‘मानसी सा परा’ फलस्त्वयर्थः; यथा व्रजीमन्मतीम्, तदेव तद्राष्ट्रानाथेन गति “ता नविदृश मध्यमुखवद्वयिः स्वमानमदस्तथेदम्” इत्यादिः. (६) एतदेव सेवास्वप्रपूर्वम् इत्याहुः ‘चेत्’ इति. (७) उत्तर-सेवे-साधने इतरे इत्याहुः ‘तदिति. वित्तं दत्ता अनेन पुरुषेण कृत्वा कातिता एका, एताहैन उंसा कृता चापारा —तदादृशी ते तत्प्राप्तिके अधिकारीप्रकारं पदम्, एतेन भावदधृते निष्पविद्यस्वर्वैनिवैदूर्याके तदैव स्वेदेहविनियोगे भेण्णि जाते सा भवति इति भावः. (८) एतादृशस्य अवान्तरफलं भवतीत्याहुः ‘तत्’ इति. अहन्तामातात्मकः; संसारं नतु प्रपञ्चात्मकः; तस्य द्व्राह्मणमक्तवात्, ततिव्यायानिष्टिवित्तस्ता, इष्टानिमाहुये। स्वातन्त्रि प्रपञ्चे च अक्षरद्वाह्मणात्मकत्वेन ज्ञानम् भगवत्सेवायामनिविष्टस्य यद्यपि अनभिलिपिते ते तथापि वस्तुस्वभावाद् भवत इति भावः. (सि. मु. वि. १ - २).

(९) इस प्रथम अंशमें तो यही केवल मननीय है कि जिस तरहका अनिश्चितरूप कृष्णसेवाका आज हमने बना रखा है उससे कितने विपरीत भाव पिता-पुत्रके हैं।

(१०) द्वितीय अंशमें मननीय यह है कि श्रीप्रभुरूपने स्पृश शब्दोंमें कृष्णसेवाके, अन्यशेषतया नहीं प्रत्युत स्वतः पुरुषार्थेचेन, अनुष्ठानको ही स्वसिद्धान्त मान है। धर्मप्रचारार्थं या आजीविकोपर्यनार्थं अन्यशेषतया कृष्णसेवाका अनुष्ठान स्वसिद्धान्त न होकर सर्वथा अपसिद्धान्त है।

(११) तृतीय अंशके मनन करेपर यह भी स्पृश हो ही जाता है कि आधुनिक कालमें पुरुषोत्तमप्रस (= मनोरथोके आंडबद्धारा द्रव्योपार्वनकी सीझन) के कालपरिच्छेदको अथवा दैनिन्दिन अठासाप्रकी ज्ञावीके कालपरिच्छेदमें अथवा वार्षिक उत्सवोंके कालपरिच्छेदमें वैष्णवोंको विजातसेवक करनेके लिये जैसे उक्साया जा रहा है वह भी अपसिद्धान्त है। क्योंकि परिच्छिन्नकालके निषिद्धानुरोधवश नहीं प्रत्युत कालपरिच्छिन्न अठासाप्रसापनुरोधवश कृष्णसेवाकी कर्तव्यताका ही सिद्धान्त है। वह तो अर्थोपर्यनार्थं स्ववित्तस्वर्यसे बढ़ा-चढ़ाकर भगवत्सेवाका प्रदर्शन करनेवाले सार्वजनिक मन्दिरोंमें नहीं परन्तु अपने धर्में ही संभव है।

(१२) चतुर्थशर्मों विशेषतया उत्तरोनीय यही बात है कि एकविधि, द्विविधि, त्रिविधि, चतुर्विधि, षष्ठविधि, नवविधि या द्वादशविधि भी सेवा क्यों न हो, स्वमार्गप्रवर्तकं पिता-पुत्रके अनुसार सेवा स्वमार्गांमें एक ऐसा कर्तव्य है जिसे यथोक्तरूपमें

न् कलेपर व्यक्ति प्रत्यवायी बनता है। अतः कृष्णसेवाका सिद्धान्तभिंत स्वरूप एकविधि हो तो उसके अकरणपर और अनेकविधि हो तो उसके अकरणपर मार्गानुशासी प्रत्यवायी बन जाता है। ऐसी स्थितिमें क्योंकि यथाश्रूत 'तुवितज्ञ' पक्ष तो निसंदिधं सिद्धान्त है अतः विशेषानिकाद्वारा उसपर भार देनेसे प्रत्यवायी होनेका कोई प्रसंग नहीं जबकि अश्रुत स्वार्थकल्पित त्रिविधि पक्ष संदिधं है अतः उसके अनुच्छानमें प्रत्यवायसे नहीं बजलेगायित है।

(५) पांचवें अंशकी व्याख्या करते हुए श्रीप्रभुकरणने यह स्पष्ट कर दिया है कि मूलतः कृष्णसेवा तो एक ऐसा कर्तव्य है कि जिसके दो रूप होते हैं : (क) फलावश्यपनरूप (ख) साधनावश्यपनरूप। अर्थात् स्वयं कृष्णसेवा ही कभी साधनरूप होती है तो कभी फलरूप। कृष्णसेवा ऐसा साधन नहीं है कि जिसका साध्य कृष्णसेवसे अतिरिक्त कोई फल हो।

जैसे द्विजका नित्यकर्म वेदादिवास्त्राद्यायरूप ब्रह्मयज्ञ, अक्षयाह्न अर्थोदय तात्पर्यबोध आवर्तनोंकी विभिन्न अवस्थाओंमें, स्वयं उत्तरतर साध्यफलभावपन होता रहता है। अवानरफलरूप निशंक कर्मानुषानकी कथा दूसरी है। (अनुसंधेयः 'निकारां ग्राहणेन पद्धत्यो वेदोऽधेयेवेष्वशः')।

एक और उल्लेखीय बात जो श्रीप्रभुकरणने इस अंशमें निरूपित की है वह यह है कि इस मानसीसेवाको फलरूप कहा और इसके व्यक्तिलुभावतया द्रव्याणिकाओंका उल्लेख किया है। इसीतह प्रमाणवचनोदाहरणतया "तानाविद् मय्युपांगबृद्धियः स्वात्मानानमदस्थैरं यथा समाचौ मुनयोऽन्वितोये नदः प्रविष्टा इव नामस्ते"। श्रीवावतस्त्रोकाका उल्लेख किया है। युगलानीके प्रसंगमें द्रव्याणिकाओंकी मानसी लीलानुभूतिका वर्णन उपलब्ध होनेपर भी तथा व्यासवचनमें लेतात् भी ईंटत्रामाण्यका तो कोई प्रन न रहनेपर भी एकादशरूपन्धन्यात्मकान्धीय भावद्वचनका प्रमाणवचनत्वेन उपन्यास यहां किसी विशेष बातकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इस वचनमें दो तथ्य वर्णित हुए : (अ) भगवद्वृंगवद्धीता (आ) स्वप्नः। ऐहिक-पारलैकिक सर्वैवस्मरण। ऐसी स्थितिमें प्रपञ्चविस्मृतीर्वर्क भगवदासक्तिरूप निरोध ही यहां विवक्षित है—इतना तो स्पष्ट है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मानसी सेवा, मानस ध्यान या चिन्तन के रूपमें परा = फलरूप ही नहीं परन्तु प्रपञ्चविस्मृतीर्वर्की भगवदासक्तिके रूपमें ही परा = फलरूप है। ऐसी स्थितिमें धर्मप्रचारार्थ-धर्माप्रसारार्थ-धनसंग्रहार्थ प्रपञ्चाभिनिवेशार्थीका भगवदासक्तिरूपा फलसिद्धिके लिए तो कृष्णसेवेपदेरा हो ही नहीं सकता। अतः विषमर्पिकाका अविद्यानाश होना विद्युत्तनुवृत ही है।

(६) इस षष्ठ अंशमें प्रभुकरण कृष्णसेवाकी फलावश्यके स्वरूपसुरोधवश कृष्णसेवाका सामान्यस्वरूप 'एतदेव सेवास्वरूपम् इति आहु 'चेत्' इति' अंशद्वारा निरूपित

कर रहे हैं। यहां फलावश्यका ही निरूपण है अथवा सेवाके फलसाधानोभयावस्थासाधारण सामान्यस्वरूपका —इसमें टीकाकारोंमें प्रस्तानभेद है। इसका यथावसर आगे चलकर स्पष्टीकरण दें।

(७) यह अंश निरतिशय विवादग्रस्त बन गया है। अतः यहां अविशय साधारणीर्वर्क मननकी अवश्यकता है। अतः सर्वप्रथम इस अंशगत विभिन्न विधानोंका विवाचवलोकन कर लेना चाहिये :

उत्थानिका : (क) उक्तसेवा-साधने इरे इति आहुः 'तत् (सिद्धै तनुवितज्ञ)' इति।

अभिप्रायज्ञापिका : (ख) विंत दत्वा अन्येन पुरेण कृत्वा कारिता एका, एताद्वारे मुंगा कृता च अपरा—एतादृशी ते तत्सधिके न इति अभिप्रायज्ञापिकं समस्तं पदम्।

निष्कर्षः (ग) एतेन भगवदर्थं निरूपयित्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेष्मि जाते सा भवतीति भावः।

(क) 'उत्तरसेवा' = छठे अंशमें अथवा प्रथमसे प्रारम्भ करके छठे अंशतक जैसे कारकर्त्ता सेवा निरूपित की गई है वैसी सेवा।

'साधने इरे' = 'तत्-वित्ते अर्थ लेना या 'तनुज-वित्तजे' लेना इसमें विमर्शीपक्ष है 'तनुज-वित्तजे'। श्रीमहापुरुषे प्रारम्भकर पावर्ती प्राप्तः सभी टीकाकारोंको अभिप्रायार्थ 'तनुवित्त' ही प्रतीत होता है। जिहोने—अर्थात् श्रीवल्लभभी, श्रीवाराजाचार्यी, श्रीलालूभूजी तथा श्रीद्विरकेशानी—यथायथ कभी सामाधिविहार्थ अथवा कभी "प्रशस्ततय प्रतिवेषो" न्यायसे 'तनुजवित्ते' लिया है वह सिद्धान्तानुमोदित अनुष्ठेयतया नहीं। इसपर विस्तृत विचार क्रोडक्रीडनक्रीडाविभंग परिच्छेदमें आगे चलकर किया जायेगा।

हम देख चुके— द्वृद्धसमासके प्रयोगकी व्याकरणशासीय मर्यादाके अनुरोधवश स्वयं वाक्यपति वक्ता भी "तुनुजा और वित्तजा"के द्वन्द्व की विक्षेपवश यदि 'तनुवित्तजा' प्रयोग करे तो उसे अशुद्ध प्रयोग अथवा आर्थियोग ही मानना पड़ेगा। ऐसी स्थितिमें किसी भी व्याकरणाद्वारा वैसे अर्थका ऊह कसना या तो स्वयंके व्याकरणशासीय निरतिशय अज्ञानका घोटान है अथवा मूलकारपर अशुद्ध प्रयोग करकेके आक्षेपमें ही फलित होगा। अतएव स्वयं विमर्शीकारको (४-१२-३३) इतना तो स्वीकारना ही पड़ा है कि केवल तुनुजा अथवा केवल वित्तजा मानसीकी साधन नहीं है। उदाहरणतया ऊह बानेके लिये चावल, धी, दूध, चीनी, अंडा, पात्र, सोई बनानेवाला —इन सबकी आवश्यकता होती है; इनमेंसे एक भी सामग्री कम होगी तो ऊही नहीं बन सकती। ऐसी स्थितिमें मानसीकी साधात्मसाधनता तो विमर्शीकाके भी मर्तमें तनुवित्तजार्थ ही गलेपतित है। रही

बात परम्परा साधन होनेकी - अर्थात् 'तुवितजा' को कारणसामग्री मानकर तनुजा एवं वितजा के कारणसामग्रीटक पर्याप्त माननेकी - तो निरपेक्षभाववश विचार्यविषयविमर्शीर्थ यदि विमर्शकारी प्रवृत्ति होती तो मझमें जिसी तरहकी कठिनाई न आती कि केवल वित्तसे, अर्थात् स्वकीय या परकीय तनुके साहित्यके बिना, भावासेवाका अनुष्ठान शक्य ही नहीं। इसी तरह जबतक मानसी सिद्ध न हो तब तक केवल नुसे भी, अर्थात् स्वकीय या परकीय वित्तके साहित्यके बिना, भावासेवाका अनुष्ठान अशक्य न भी हो तो दुश्क तो अवश्य होता है। अतः 'स्वकीय या परकीय तनु या वित्त के साहित्यपूर्वक ही सेवात्मिका क्रियाका वस्तुस्वभावानुधोधवशए एकत्र तो त्रिकालाधित सत्य है। अतएव द्वित्त तो अकाम भी तुवितजानि दृष्ट ही हो सकता है। तुवितजा क्रियाये दो नहीं कही जा सकती तो द्वित्ताधिकरणीभूत साधनाप्रत्येक दो क्रियाओंमें नहीं परंतु पर्याप्तिसंबंधेसे तनुवित्तमें ही आयेगी। वित्तसाहित्यहिततनुजा या तनुसाहित्यहितवितजा क्रियाओंमें स्वरूपासिद्ध दोष होनेसे तथा कथचित् स्वरूपापत्ति देनेपर उन क्रियाओंमें द्वित्ताधान तुवितपर्याप्तद्वित्तद्वारा ही साध्यादित होता होनेसे; तथा विमर्शकारद्वारा प्रदत्त चावल, चीनी, दूध आदिके उदाहरणानुसार भी यह अप्राप्याल्येय होनेसे अकामापेतित है। अतः 'गलिंगं यदवचनं या च... विशेषस्यापि' निम्न सार्वत्रिक या क्वाचिक छोनेकी विचारणा अक्षिरित है। वैसे 'साधने'का न्युसंकलिंगके द्वित्तचनमें प्रयुक्त होना न्युसंकलिंगके द्वित्तचनान्त 'तुवित्तविशेषणके विशेषणतया सुरंगत है। फिर भी उत्थनिकामें तनुजा-वितजा सेवाको उद्देश्य बना कर ऐसे साधनत्वका विधान करना कि जिसका अव्यवहितोत्तर तात्पर्यनिरूपणमें निषेध करना है - एक असंबंधस विचाररित लगती है। उदाहरणतया कोई कहे -

मूलवाक्य : खीर बनती है चावल, चीनी, धी, दूध, पात्र, अग्नि, पाचक सामग्रीसे।

व्याख्या : खीर बनाने के साधन इतर सात हैं - यह निरूपित करते हैं "खीर बनती है..." वचनसे, कोई चावलके बिना चीनीसे या चीनीके बिना धीसे या धीके बिना दूधसे या दूधके बिना पात्रसे या पात्रके बिना अपिसे या आदिके बिना पाचकसे खीर बनाना चाहे तो खीर बनायी नहीं जा सकती। अतः इन कारणसामग्रीके जुनैपर ही खीर बनती है।

विमर्श : खीर की पूर्णोत्त सात साधनोंके साहित्यका दुंग्रह रखना उचित नहीं है, क्योंकि इनमें प्रत्येक भी साधन तो होते ही हैं। फिर किंतु एकसे केवल खीर सिद्ध हो जानी चाहिये - ऐसी आपति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि वह तो सातोंके मिलनेपर ही होगी। एतावता प्रत्येको साधन न मानना कैसे सुरंगत हो सकता है?

विशेषाधिनिका : खीरकी कारणतासामग्रीके घटकतया सिद्ध चावल, चीनी, धी, दूध आदिकी परस्पर इतरसापेक्ष साधनतासे अतिरिक्त इतरसापेक्ष साधनताके प्रतिपादनका प्रयोजन खीर बनाना तो हो नहीं सकता। अतः अन्य कुछ प्रयोजन स्वीकारना पड़ेगा। अतः ऐसी साधनात अप्राप्तिकी होनेसे अनिरुपणीय ही है।

दार्ढन्तमें विमर्शकां भी केवल तनुजा या केवल वितजा को मानसीसाधिका न मानकर केवल अबाधिका मनवाना चाहते हैं। वहां यह प्रश्न उठता है कि 'उत्सेवासाधनेमें'को उद्देश्य बनाना द्वित्तविशिष्ट इतरत्वका विधान यहां विमर्शकारको अभिलिप्ति है या 'इतरों'को उद्देश्य बनाना उनकी 'उत्सेवासाधनेमें' का विधान अभिलिप्ति है। प्रथम कल्पमें प्रभुकरणकृतविवृत्यस्थ 'फलात्मकामोक्षव्याप्त्ये' की व्याख्यामें 'ननु 'मानसी सा पे' त्येन मानस्यः फलत्वेन वश्यमाणसात् तदर्थत्वमेवैतत्त्वेवायाः सिद्धयत् और उन स्वतो पुरुषार्थत्वं किन्तव्यन्वयोत्तमिति चतु... प्रवृत्त तस्याव देवायाः अवस्थाभेदेन मानसेवालङ्घफलत्वेन विजात्यवाभावाद्' (श्रीवल्लभजीति टिप्पणी) 'द्वित्तवनशात् इतरता ही अनुपत्र है तो द्वित्तविशिष्ट इतरता भी सुरांत अनुपत्र सिद्ध होगा। अतः 'इतरों' को उद्देश्य बनाना उनके बारेमें 'उत्सेवासाधनता' का यथोपदिष्ट विधान मानना पड़ेगा। यहां यह पृष्ठ्य होता है कि विध्यस्यमान तनुवितजानभूत तनुवितजाकी द्वित्तविशिष्टसाधनताका विधान अभिलिप्ति है या तदनन्तर्भूत तनुजा एवं वितजा की एकत्रत्वविच्छिन्नसाधनताका विधान अभिलिप्ति है? प्रथम कल्पमें वदत्रोव्याप्तात दोष आ पड़ेगा। द्वितीय कल्पमें उत्थनिका और अभिषेषज्ञपिका अंशोंमें "आप्रान् पृष्ठे कोविदापर्यन् व्यगच्छे" वाली निष्कर्षपर्यवसायिनी उत्थनिका होनेका दोष आ पड़ेगा।

केवल तनुजा या केवल वितजा कोई क्यों करना चाहता है? स्वकीय तनुवित्यनियोग या स्वकीय वित्तवित्यनियोग की अरुचि या असामर्थ्य के कारण उपदृष्ट तनुवितजास्वरूपपूर्वीर्थ अथवा तदितप्रयोजनपूर्वीर्थ। यदि सेवेतर किसी भी प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वित्तग्रहण किया जाता है तो वित्तदाता द्वारा किया जाता वित्तदान वितजा सेवा नहीं रह जायेगी, क्योंकि वित्त लेनेवाला दम्भ कर रहा है और देनेवाला अपना अद्वायाद्वयप्रदर्शन। यदि वह वित्त तनुवितजासेवाके स्वरूपनिर्वाहार्थ दिया-लिया जा रहा है ऐसा स्वीकारते हैं तो इस लेने-देनेके लौकिक-अदौकिक, विहित-निषिद्ध एवं उत्सा-अपवाद रूपोंके विवेकके बिना 'गोमय पायस' नहीं कर देना चाहिये।

एतदर्थ सर्वप्रथम एक सारणीपर दृष्टिपात कर लेना उचित होगा :-

विचदान

दान	अर्पण	निवेदन	क्रय	परायतीकरण	न्यास	निहेय
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	

सहज सम्भव है कि इनके अलावा अन्य भी कुछ प्रकार विचदानके हो सकते होंगे परन्तु इन प्रभेत्रीके लक्षण तथा उपभेदों को जानेपर ही वास्तविकताका पता चला पायेगा।

(१) दान:

शास्त्र निवेदन दानं ह्यर्पणं त्रिविधं स्मृतम्।

निवेदनं समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनं मतम्॥

दानं स्वकीयतात्माः परस्वापादनं विदेः।

अर्पणं स्वामिभोग्यस्य स्वामिने ज्ञापनं मतम्॥

(सिर. श्रीपु. वि. श्लो. ४८५ उद्धृत)

इन कारिकाओंमें निवेदन तथा अर्पणसे भिन्न “दानं स्वकीयतात्माः परस्वापादनं विदेः” कहकर जो ‘दान’की परिभाषा दी गई उस संदर्भमें यह अवधेय है कि—

दान

(स्वत्परित्यागपूर्वकपरस्वत्वोत्पादनातुकूलं ‘तुम्यमहं सम्प्रददे न मम’ इत्यादिशब्दभिव्याप्तेः मनोव्यापादः)

शाश्वतिहित		स्वेच्छाप्रयुक्त	
अकर्णे	करणे पुण्यविचारन-कर्त्तव्य	शाश्वतनिविद्	शाश्वतनिहित
प्रत्यवायरूप नियत	अनुमत	(क)	(ज)

(क) कर्मदिक्षिणा, गुरुदिक्षिणा, प्रायविचारार्थं गोदानादि, कन्यादान, राज्यको करदान आदि अनेक रूपोंमें शाश्वतिहित विचदान होता है।

(छ) तत्रद् देश-काल-कर्मादि निभित्वशात् शास्त्रोंमें वितादि दानोंका वर्णन उल्लब्ध होता है।

(ज) ‘प्राभृत’ = देवता-गुरु-राजा-मित्रादिके स्वेच्छाया दिया जाता उपहार अर्थात् उपायन, ‘वीतक’ = योगवीत, विवाहादि अवसरपर सौंग संबंधि बुकु, वरवू आदिको दिये जाते उपहार, ‘मुदाय’ = देवता, ‘दाय’ = अपनी संपत्तिपर अपनी जीवितावस्था या मरणोत्तरता में अंशताया या पूर्णतया स्वत्वत्यागपूर्वक अपने पुत्रादिके स्वत्वका

स्थापन, ‘भिक्षा = दीन-दरिद्रोंपर द्याविवशा दिया जानेवाला द्रव्यादि।

(झ) ज्येष्ठपुत्रदान, पद्धत्यदान आदि।

शाश्वतनिहित (स्वकुलाद्वाविरोधेन देयं दासुलाद्वावे नाव्ये सति सर्वस्वं देयं यच्चान्यन्तर्गतम्—याज्ञ. व्य. १।११७९) प्रकारको छोड़कर दानके अन्य सभी प्रकारोंमें दाताद्वाप शाश्वतिहितया स्वत्परित्यागपूर्वक परस्वत्वोत्पादन किया गया होनेसे प्राप्त वित्त वित्तग्रहीताका ही होता है। सो ऐसे वित्तसे स्वयं की जाती सेवाके ततुविचरण देवा होनेमें कोई विसंगति नहीं है।

वैसे विचदान सेवाकर्ताको अथवा उसके सेव्यस्वरूपको —यों देनेमेंसे किसी भी एकको सम्भव है। सेवाकर्ताको कोई कुछ देता है तो देवेवाला अपना स्वत्व खत्तम करके सेवाकर्ताका स्वत्व पैदा करता है और अन्यके सेव्यस्वरूपको देनेपर देवेवाला अपना स्वत्व खत्तम करके सेव्यस्वरूपका स्वत्व पैदा करता है। प्रथम कल्पमें तनुविचरणके स्वरूपका बाध नहीं होता जबकि द्वूष्में न केवल तनुविचरणका स्वरूप खंडित हो रहा है अपितु देवस्वापहारादेव भी शक्य हो जाता है, देवस्वत्व पैदा हुआ होनेसे इसे स्वीकार न करनेपर गोस्वामी महाराजोंको धरी भेट भेटकर्ता स्वयं भरे ही न ले सके परन्तु इतर वैष्णव या महाराजश्रीका समाधानी या खवास कों नहीं सकते —यह खुलासा देना पड़ेगा, पूछनेकी आवश्यकता जैसे देवस्वापहारी महाराजोंको नहीं देसे महाराजोंका स्वत्व अपने प्रभुरूप है ऐसे ही वैष्णव या समाधानी को महाराजोंपर होता। ठाकुरजी बोलते नहीं पर महाराज तो बोल सकते हैं अतः आज्ञा बिना नहीं लेनेका नियम हो तो जो छोटे-छोटे बाबा-बेटीजी बोल न पाते हो उनका तो कमसे कम लिया जा सकता है —ऐसे स्वीकारना चाहिये।

(२) निवेदनार्पणः

“निवेदनं तु तदीत्यत्वातुसंधानपूर्वकः स्वत्वाभिमानत्यागातुकूलः ‘तुम्यं समर्पयामि निवेदयामि’ इत्यादिशब्दभिव्याप्तेः तद्विलक्षणो मनोव्यापादः” (श्रीपु. नव. विवृ. प्रका. १). अर्थात् जैसे देहादिविषयिणी आविष्टीकी अहंता-ममताके त्वाय करनेपर भी पांच्चौतिक देह या उसपर स्वामित्व छूट नहीं जाता वैसे ही निवेदन और/अथवा समर्पण की प्रक्रियामें स्वस्वत्वके परित्याग बिना निवेदित और/अथवा समर्पित वस्तु या वित्त का अन्यार्थक विनियोग सम्भव है। इसमें विशेषतया अवधारणीय यही है कि —

तनुसेवाकर्तुपुरुषार्थक	परस्वेभावस्वत्वस्वरूपार्थक	स्वसेव्यभावस्वत्वस्वरूपार्थक
(च)	(छ)	(ज)

(क) इस कल्पणे विचाराताका स्वत्व निवृत्त नहीं हुआ होनेसे ऐसे विद्यके विनियोगार्थीक स्वत्वतुरुद्धारा की गई भावत्वेवा ततुवितजा नहीं कही जा सकती। परन्तु जिन संबंधोंमें विचारशिप किन्हीं थे जोनोंका अविभक्त स्वत्व हो -यथा मातापिता-सन्ति, पति-पत्नी, भ्रातृब्राती, मिश्रद्वयी या अन्य भी यथायथक सम्भूय समुत्थान हो (द्रृष्टि)। “विष्वभृतयो यत् कर्म सम्भूय कुर्वते तत्सम्प्रयसमृथ्यान् व्यवहारपदं स्मृतम्” नारदस्मिवचन -व्यवहारप्रयुक्त सम्भूयप्रक।—“बहूनां समतो यस्तु देवोको धनं न रक्षणं करायेद् वापि सर्वैर्वा कुर्वते भवेत्” बुहपतिचन -व्यवहारस्मृत्युं संभूयसम्भूयप्रक।) तो किसी एकत्रद्वारा अन्यतरको सेवार्थ द्रव्य देनेपर न तो देवोको स्वत्व निवृत्त होता है न ही लेनेवाले पूर्वस्मिन्द्वयत्वसे अधिक कोई स्वत्व पैदा ही होता है। अतः इन अपवादके उदाहरणों छलसे विभक्त स्वत्ववाले किसी एक व्यक्तिद्वारा अन्यको सेवार्थ अपर्यंत किये गये धनसे तनुजासेवा करेपर तनुवितजासेवा रिद्धि हुई नहीं मानी जा सकती; जैसा कि विमर्शकार छल करना चाहते हैं, गुरुद्वारा शिष्यसे द्रव्य लेनेके संबंधमें गुरु-शिष्याओंकी सम्पत्ति यदि अविभक्त हो तो दोनोंमें किसी एकके पिताके दिवाकर होनेपर अन्यको दायभागी भी मानना पड़ेगा। जैसे गोस्वामी महाराजके नित्यलीलाप्रियेषु होनेपर बहुती-बालकोंकी तरह वैष्णवोंको भी उनके हिस्सेकी संपत्ति मिलनी चाहिये। किसी वैष्णवके भी गोलोकवासी होनेपर गोस्वामी महाराजोंको वहां दायभाग मिलना चाहिये। सम्भवतः ऐसी स्थितिमें जिनजिनका दायभाग गोस्वामि महाराजोंको मिलता है उनउनका सांवासरिक शाद्व भी उनका आवश्यक कर्तव्य हो जायेगा। एवं मृत्युस्थका न चुकाया हुआ क्रण भी चुकाना पड़ेगा: “अविभक्तैः कुरुम्यार्थे यदृणं तु कुर्वते भवेद् दद्युत्सद् रिक्तिः प्रेते” (याज्.स्म.व्य.२।४८)।

(छ) भगवत्स्वरूपार्थक निवेदित-समर्पित द्रव्यप्रसे क्योंकि निवेदन-समर्पणकर्ताका स्वत्व निवृत्त नहीं होता अतः स्वसेव्यप्रमुकी सेवामें ऐसे पद्धत्यके विनियोगार्थीक स्वयं तनुजासेवा करनेसे ततुवितजा सेवा रिद्धि हुई नहीं मानी जा सकती। स्वमार्गतुरामी अधिकांश वैष्णवजनोंको आज कह कर ही बराताया जा रहा है कि अपने यहां “गिन्मार्पणं मतम्” आशुमोर्धवश दान होता ही नहीं, अतः समर्पित द्रव्य-सामग्रीका प्रसाद लेनेमें दोष नहीं है। परन्तु उस स्थितिमें या तो गोस्वामिओंकी सम्पत्तिपर अनुगामि वैष्णवजनाताका अविभक्त स्वत्व या अनुगामि वैष्णवजनाताकी सम्पत्तिपर गोस्वामिओंका अविभक्त स्वत्व गलेप्रति होगा। अन्यथा तनुवितजाके स्वरूपका बाबा दुर्परिहार्य हो जाता है। अर्थात् इस आपत्तिसे बचनेके लिये यदि विभक्तस्वामीत्ववाली सम्पत्तियां मानी जाती हैं तो ततुवितजाका स्वरूप ही घटित नहीं होता, जैसाकि किशोरीबाईकी वातामें है। और आधुनिक मुश्टिगिर्योंके सौभाग्यसे, अपने गुरुके अन्य अपठित गोस्वामिओंसे विपरीत, क्योंकि विमर्शकाने

वार्तासाहित्यका प्रामाण्य स्वीकारा है अतः किशोरीबाईकी वाताकि प्रामाण्यपर तो पराइ सत्ताके द्रव्य अथवा सामग्री का अंगीकार ही पुष्टिश्रम नहीं करते थे थरा गया भेग प्रसाद ही नहीं रह जाता है।

विमर्शकार एक गजबका छलावा यहां करना चाहते हैं कि “तस्मिद्द्वयै ततुवितजा”द्वारा प्रतिपादियोगित तो केवल मानसीकी साधिका कौनसी सेवा होती है और कौनसी नहीं होती है -यही है, जबकि परपे (अथात् अपरिहारिक या अशिय) व्यक्तिसे स्वसेव्यस्वरूपार्थ द्रव्य-सामग्रीके निषेधार्थ किशोरीबाईकी वार्ता है, अतः दोनोंकी प्रतिपादा विषयवत्तुमें अन्त है। आजकी व्यावसायिक दुकानोंपर जैसे ग्राहककी धर्म-जाति नहीं पूछी जाती वैसे ही मंदिरोंमें भेटसामारींग्रहलोभविष्या समाधानी दर्शनार्थी और मनोरिधियोंकी धर्म-जाति नहीं पूछते हैं। ऐसी स्थितिमें ऐसी सेवा पुष्टिश्रमी कैसे हो सकती है? विमर्शकार छलावा कला चाहते हैं या पति या पत्नीको भगवत्स्वर्थ जैसे द्रव्य देता है एतावता पति या पत्नी के द्वारा अनुषित वितजा या तजुगा मानसीकी वापिकी नहीं बन जाती। ठीक इसी तरह गोस्वामी महाराजोंको धर्मिक विषिष्य पुष्टिश्रमार्थ गोस्वामी महाराजोंके सेव्यस्वरूपार्थ द्रव्य या सामग्री देनेपर भी (अकर्मण्य शैषणेपर तुरौजैकसेवार्थविष्या) महाराजों अथवा विषयोंकी मानसीसेवामें कोई प्रतिबन्ध नहीं आता।

द्रव्यसंग्रहकाभिनिष्ठुति होनेके कारण एक इतनी मोटी बात यहां या तो विमर्शकारके साझेमें नहीं आ रही है या फिर जगद्वाकर छलावा किया जा रहा है। पति-पत्नीकी सेव्यस्वरूप समान हैं तथा पति-पत्नीका वित्त अविभक्तस्वत्ववताला है अतः पतिद्वारा पत्नीको सेवार्थ प्रदत्त वित्त केवल पतिके ही स्वत्ववताला नहीं अपितु पत्नीके भी स्वत्ववाला है। क्या ऐसा अविभक्तस्वत्व महाराजों और विनिधियोंकी विभक्त संपत्तिओंपर स्वीकारा जा सकता है? यदि हां तो एकदूरके क्रमी पिताके देहत्वाके पश्चात् एकदूसरेका एकदूसरेकी सम्पत्तिमें दायभागी होनेसे क्रण चुकानेका उत्तरायित्व भी स्वीकारा पड़ेगा ही! “रिवथ्ग्राहः क्रणं दद्याद्” (याज्.स्म.व्य.२।४७)।

(ज) इससे सिद्ध होता है कि स्वसेव्य-भगवत्स्वरूपार्थ निवेदित-समर्पित द्रव्य या सामग्री परसे क्योंकि निवेदन-समर्पणकर्ताका स्वत्व नए नहीं होता अतः प्रक्रमें इसी एक कल्पमें तनुवितजा सेवाका स्वरूप अबाधित होता है।

(३) क्रयः
क्रयमें विक्रेताके स्वत्ववाली क्रय वस्तु क्रेताको क्रेय लगती हो तो वह क्रय वस्तुके मूल्यवाले विक्रेता विनियोगद्वारा स्ववित्तपर स्वत्वत्व खतम करके विक्रेताका स्वत्व प्रकट करता है। उसी तरह विक्रेता अपने स्वत्ववाली क्रय वस्तुपरसे

अपना स्वत्व खत्म करके भ्रेताका स्वत्व प्रकट करता है। फलतः द्रव्यका बस्त्वतासे विनियम होता है। अतएव विकीर्त बस्तुरप्त भ्रेताका स्वत्व अबाधित होनेसे विकीर्त बस्तुका जब वह स्वयं भगवत्सेवामें विनियोग करता है तो तनुवित्तजाका बाध नहीं होता। “बद्ध्यस्मान्पश्चातो देया दाशानामप्ययं विधिः योगेष्वमवतो लाभ समर्लेन विभव्यते” (स्मृ.च.व्यव.अवि.प्रकट)। पशु-भूद्य-दास-दासीकी भी क्योंकि विभाग्य विततया गणना की जाती है अतः सेवापरिक वरतु या भूद्य गृहस्वामीके वितत्तरप्त होनेसे जैसे घरकी गायका दूध भगवनको भोग घरेसे अथवा घरकी बैलगार्हीमें प्रभुओंके कहीं पथरानेसे गाय या बैल की तुजुज मानी नहीं जाती तद्वत् गृहस्वामीके वेतनकीत या मूल्यकीत भूत्य गृहस्वामीके वितान्तर्गणित होनेसे उनका भगवत्सेवामें विनियोग तनुवित्तजाका बाधक नहीं होता। यदि आचार्यवंशज गोस्वामी भी दर्शनार्थी धनिक विधिक जनोंके वेतनकीत या मूल्यकीत दास हों तो इनकेद्वारा भगवत्सेवा करेनपर तनुवित्तजाका बाध नहीं होता। ऐसी स्थितिमें गोस्वामिओंके मंदिरोंकी वास्त्विक स्वामी होणी दर्शनार्थी जनता। गोस्वामी बड़ेगे वेतनकीत या भूद्यकीत दास। तब तो गोस्वामिओंके सेव्य भगवत्तरप्तरोंके उपर भी महाश्वरोंगोस्वामिओंकी मालिक दर्शनार्थी जनताका सिद्ध हो जायेगा। उदाहरणतया तथाकथित एवंविधिरप्त स्वत्वके दावेके आधारपर तथाद्यावृत्तीशता भी दर्शनार्थी जनतामें निहित हो जायेगी। उस स्थितिमें वेतनवित्तरप्त गोस्वामिओंका भी गोवृभूषणस्त्रा भगवत्सेवार्थ विनियोग अनुरूप हो पायेगा। क्योंकि उस स्थितिमें गोस्वामिओंद्वारा स्वतनुवित्तरप्त भी भगवद्विधियाणी कृति गोवृभूषणतिव्यापेन न तुजुज और न वित्तजा सेवा ही है जायेगी। गोस्वामी सभीके सभी विनियोगीकी भगवत्सेवोपरिक सम्पत्ति बन जायेगी।

अन्यथा सेवोपरिक वित्तद्वारा परिजीत सेवोपरिक सामग्री, चाहे चेतन हो या अचेतन, का स्वकीय भगवत्तरप्तकी सेवामें विनियोग तनुवित्तजाका बाधक नहीं होगा। कर्मपार्मणि, परन्तु, क्रितिज्ञेद्वारा अनुष्ठित कर्कका यजमान जैसे दक्षिणा प्रदानद्वारा परिक्रय करता है क्षैति भक्तिमार्पणी भगवत्सेवारूप कर्मर्थ अन्यका पौरोहित्य स्वमार्पणे अविहित होनेसे अकर्तव्य ही होता है। यही बात श्रीपुषोदत्तमीने कही है: “नच यागो यजमानस्य वित्तद्वारुः फलतीति शंक्यं, तत्र क्रितियक्षिणावरणादिवद् अत्र तदानुदेष्ट भक्तिमार्पणे भगवता अनुकृतत्वात्। अतः तथा न कार्यं किन्तु भगवदुत्तरीतैव कार्यं।” (सिमु.वि.प्र.२)। आसुनिक उष्मितार्मार्जिओंके दुर्बल्यग्रावा विमर्शकारा (पृ.१५० पर)ने इसका भावानुवाद देकर अपने कर्तव्यकी इतिश्री मान ली। फलितार्थका विचार ही नहीं किया।! उस फलितार्थकी भयंकरता विमर्शकारके विस्मयकर मौकी मुखर साथी है!!!

इससे सिद्ध होता है कि स्वयंके तुरुसे अनुष्ठीयमाना भगवत्सेवामें स्ववित्तकीत

चेतनाचेतन वस्तुओंपर स्वस्वत्व स्थापित हो जाता होनेसे उनका विनियोग तनुवित्तजा सेवाका बाधक नहीं होता। इस संदर्भमें यह वचन अनुसंधेय है: “गृहजातस्तथा क्रीतो लघ्बो दाशादुपागतः अनाकालभृतः तद्वद् आहितः स्वामिना च चः मैक्षितो महत्तर्षण्डं युद्धप्राप्तः पणे जितः तवाहमित्युपागतः प्रवृज्यवासितः कृतः भक्तदासस्थ विजेतः तथै वडवाहतः विक्रेता चाचमः शाले पञ्चदसः स्मृतः” (मिता.२१८२)। इसमें सिद्ध होता है कि परिक्रीत-दाशादुपागतादि वित्तभेदसदृशा दासोंके भी प्रभेद मान्य होते थे अतएव दास वितान्तर्गणित वित्तोपम उनका विनियोग तनुवित्तजाके स्वरूपका बाधक नहीं होता।

(४) परायतीकरण :

‘परायतीकरण’ का अर्थ न्यायकोशकारसे यौं दिया है: “तत्कर्तुकनिर्णयेच्छाप्रकाशको व्यापारः यथा ‘रेजकस्य वस्त्रं ददाति’ इत्यादौ ‘ददाति’ अर्थः ‘निर्णयेन’ च मलापकर्तः” (न्या.को.दान.२)। वैसे यह एक हकीकत है कि प्रायः धर्मवित्तसिक धनिक लोग अपनी कमीका मलापकर्ण सार्वजनिक मंदिरोंमें प.भ.मनोरथी बनकर कट्टा लेते हैं। फिर भी परायतीकरणको इन्हे सीमित अर्थोंमें न लेकर आपूर्णानिर्माणार्थ स्वार्णकाके स्वरूपानुरोधवश गुणाधानार्थ भी स्वकीय वस्तु या द्रव्य को परायत बनाया जा सकता है। इन सभी उदाहरणोंमें, पन्तु, स्वत्ववित्तिकी नहीं जाती अतः परायतीकरणकी प्रक्रियाद्वारा प्रदत्त वित्तसे भगवत्सेवा करेनपर तनुवित्तजाका स्वत्वप्रति छहित होता ही है, वित्तदाताका वित्तके उपरसे स्वत्व निवृत्त नहीं हुआ होनेसे। यह वित्तनिष्ठ अनिवेदितत्व-सामर्पितत्वरूप मत्के अपर्कर्मार्थ रजकारप्त गोस्वामिहस्तमें परायतीकरण स्वीकारा जाये अथवा वित्तदाता वित्तनिष्ठ-सामर्पितत्वरूप गुणातिशाके आधानार्थ स्वर्णकारोपम गोस्वामिहस्तमें परायतीकरण स्वीकारा जाये, परिस्थितिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

वैसे युक्ते मनोभित्तिपत्रकी पूर्तिके लिये युक्ते सेव्य भगवत्तरप्तके सम्बुद्ध दर्शनार्थी जनता अपनी भेट-तामगी भावदायत्र करती है—ऐसी क्षितिकलना करेनपर भी वित्तदातामें क्योंकि अपने वित्तपरसे स्वत्वनिवृत्तिरूपक गुरुत्वत्वापादन नहीं किया है एतावता श्रीपुरुषोदत्तमजीके स्ववृत्तिवादस्थ “तेन गुरुत्वमेव वृत्तित्वेन फलति, युक्तं चैतद्, अनुपकृत्य प्रस्तवाणेऽप्रगतित्वेन वृद्धयस्य प्रसंजनात्।” किन्तु ऋतोत्तम्य अमृतावायाः अयावित्तवृत्ते: उक्तत्वात् तस्यामपि शिष्यस्त्रैव ग्राहां न इतरस्य तु — एवं संबोधे तस्यामपि प्रश्नत्वसिद्धिः” वचनानुरोधवश आगीत्वमी प्रदत्तव्योजीकिनी वृत्तिके अपराधशमा प्रगतित्वेन वृद्धप्रसंगं तो वृद्धलेपपतित ही है। स्वयं वृद्धत्वकृति अन्यका उद्धव क्या करेगा! “आजीवू च्छेच्छा दद्यते दाशादुपत्त्वापि सोदयं याचितान्वाहितन्यासनिक्षेपपत्त्वयं विधिः” (वाग्म.समु.व्यव.३६९) की व्याख्यामें यहां स्पष्टतया कहा गया है कि ‘याचित’ = किसी छोट-मोटे कामके लिये मांगी

गई कोई वस्तु। 'अन्वाहित' = किसी अर्थिक कट्टमें कंसे हुए व्यक्तिद्वारा गिरवी रखी हुई वस्तु; अथवा किसी वस्तुके प्रतिग्रहणमामें केवल प्रतिग्रहीतनमानार्थी ही उपकरणलेन प्रदत्त अन्यथा अप्रदत्त वस्तु। 'न्यास' = किसी निर्दिष्ट स्वरूपवाली वस्तु जो केवल खाणार्थी सौंपी गई हो। 'निशेप' = किसी एक व्यक्तिद्वारा किसी दूसरेको देनेके लिये तीसीके हाथोमें सौंपी गई वस्तु। इसे जो अपनी आजीविका चलाता हो तो शासकका कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्तिको बण्डित करके उसके पाससे द्रव्य या वस्तु खींसकर सच्चे मालिकको लौटा दे।

इससे सिद्ध होता है कि परायीकरणकी प्रक्रियाद्वारा लब्ध वित्त प्रतिदेय होनेसे तुवितआका स्वरूपसाधक नहीं है।

अतएव शास्त्रमें कहा गया है—

'वर्ती वस्तु यद् हस्ते तत्वं स्वामी स एव न।
अन्यस्वमन्यहस्ते चौराहैः किं न वर्ती ? !!
तस्माच्छात्रतात् स्यात् स्वाम्यं नानुभादपि।
नवं स्वयुच्यते तद्वत् स्वेच्छया विनियुच्यते॥
विनियोगोपि सर्वस्य शाशैव नियम्यते ।'

(सुनिचन्द्रिका व्यव.क्र.प.६००-६०१)

कहां धर्मशास्त्रोंका यह उदात्त आदर्श और कहां विष्णवाकरका अधेदितिहासीनके तत्व—

(ट) "उक्ती आज्ञा प्राप्त होनेपर गुरुघरमें जब वैष्णव गुरुरके ठाकुरजीका दर्शन करते हैं तब...उपायनद्रव्यका अर्पण—ये दोनों गुरुकी आज्ञाके पालनके रूपमें होनेसे गुरुस्नायोषकक्रियात्मक होनेसे गुरुसेवाके अन्तर्गत ही है, गुरुसेवाके बहिर्भूत नहीं। गुरुस्तेके ठाकुरजीके लिये वैष्णवोंद्वारा गुरुको अर्पण किये जानेवाले द्रव्यपर स्वत्व नहीं रहता और न तो ठाकुरजीकी ही स्वत्व रहता है, इस विषयमें सबसे दृढ़ प्रमाण यह है कि गुरुघरमें ऐसे द्रव्यको पृथक् रखेनेकी व्यवस्था नहीं रही न है।" (विर्मास पृ.१३८)

(ठ) "गुरुका पूर्णस्वत्व स्थापित होनेपर देवद्रव्यभक्षण किंवा देवद्रव्यग्रहण का प्रसंग नहीं है। जहांपर गुरुका पूर्णस्वत्व स्थापित न होता हो तबांपर मनोरंगसंपादनके लिये प्राप्तद्रव्यका भावत्सेवामें विनियोग होनेपर महाप्रादायणमें कोई दोष नहीं। परन्तु यहां यह विशेष ध्यातव्य है कि मनोरंगसंपादनके लिये प्राप्तद्रव्य ठाकुरजीका उपायनद्रव्य न हो, तथा ठाकुरजीको 'तुम्हार्ह सम्प्रदेव न मम' कहकर दान किया न हो।" (विर्मास पृ.१४०)

(ट) वचनमें देवार्थ उपायनपर गुरुका निर्हेतुकस्वत्व मान लिया गया है। (उ) वचनमें उपायन न हो तो देवद्रव्य नहीं होता ऐसा कहा जा रहा है।

पृ.१४६पर श्रीमहाप्रभुने क्यों नहीं सोनेकी कटोरी गिरवी धरनेपर प्रसाद लिया उसका शुतकारण — "जो कटोरी धरिके सामग्री आई सो तो ओग श्रीठाकुरजी आपहीके द्रव्यको आपही आरोगे सो आपहीको भगो, जो श्रीठाकोत्ताको द्रव्य खायागो सो मैरो नहीं अझ मेरो सेकप भावदीय (क्योंकि आधुनिक गोसामी तो भावदीय नहीं होते, त्वयं पुरुषोत्तम होते हैं) होयागो सो देवद्रव्य कवहून खायागो, जो खायागो सो महाप्रवित होयागो, तातो वा प्रसादमें भोजन करवेको अपनो अधिकार न होतो—" छोडकर प्रकृतमें सर्वांश्च अशुकारणीकी कल्पना कि "दाने हि न स्विनियोगः" नियमवशात् अपने प्रसाद न लिया और श्रीमहाप्रुके दुखी होनेसे दुखित वैष्णवोंमें भी नहीं लिया। इसी तरह जहां न्यासप्रलेखाम उरुने स्वत्व निवृत्त कर दिया हो वहां निवृत्ति अज्ञानकृत एवं बलकृत होनेसे स्वत्व अनिवृत्त ही रहता है। स्पष्ट है कि यह अज्ञान ऐसा क्याना उसका नहीं है क्योंकि उसके तो अनेकोनेक उपायोंके आधुनिकगुह महाविज होते हैं। अज्ञान केवल सिद्धान्ताका होता है और निर्बलता अर्थात्तर्जन्मधय मिश्यालेख कर स्वात्मा, स्वानुगामी तथा स्वदेशासनको छलनेमें नहीं परन्तु केवल अपनी शुद्ध चरणभेटर यहृष्टालाभमंतुष्टु होनेकी निर्बलता विवक्षित है। अन्यथा अज्ञानी अस्वामीपरायण अर्थात्तिभिन्नेशी और अुरु तो तमधकाशवान् होने जैसी विलुप्तमश्रीयी पुश्तोत्तमता ही हो सकती। अपना तो भागवतमूलक प्रेजङ्गितकैतव धर्म (!) है न ? अस्तु, भगवद्विजेत्र बलीयसी सर्वदाविरोधिनी !

अतः परायीकामणीकी प्रक्रियाद्वारा प्राप्तद्रव्यसे न तो तुवितजा संपन्न हो सकती है और न स्वोपेश और न किसी दूसरे कीतीनियाजीके सदृशको दान ही।

वैसे यदि गुरुको ही उद्देश्य वना कर दिये जानेवाले विज्ञदानको गुरुके सेव्य भावत्सरूपके सम्मुख परायन किया जा रहा है —ऐसी अद्यावत् विस्ती भी दर्शनार्थी विज्ञदानके मनोव्यापारकी अविष्यीभूत कल्पना भी "तुम्हुरु दुर्जन" न्यायेन करते हैं, तब भी स्वयं मेरे पास सुकृती हवेली तथा यहां श्रीयदुनाथजीकी हवेलीकी रसीद एक विज्ञने दोनों बंडीयों गुरुभेटके अलावा श्रीठाकुरजीकी भेट-सामाजीकी अलग अलग सीरिंग हैं जो इस बातका प्रमाण है कि गुरुस्वार्तार्ता श्रीठाकुरजीकी भेट-सामाजी नहीं ली जा रही। सुकृतोंके समाधानमें केसेटोंमें यह कहा है कि महाराजामणी भेट धर्मी हो तो उपर जाओ, यहां तो श्रीठाकुरजीकी ही भेट-सामाजीके रूपे, लिये जाते हैं। पर श्रीठाकुरजीकी विस सेवके लिये ले रहे हैं — ये लिखके नहीं दें क्योंकि कानूनी लफड़े हो जाते हैं। अस्तु,

वैसे इस सारे केतवका घटस्पोट श्रीपुरुषोत्तमजीकी यह पंक्ति कर देती

हैः “दानं नाम स्वत्वपरित्यागपूर्वकः परस्पत्वोत्पादनानुकूलः ‘तुभ्यमहं संप्रददे न मम इत्यादिशब्दाभ्यांशो (न तु शब्दोच्चारणैवत्यरूपो, अन्यथा समर्पणीय तद्विशब्दोच्चारणाभावे समर्पणाभावप्रसक्ते दुष्कृत्वात् – गो.श्या.म.) मनोवायापातः (न तु वायापातः – गो.श्या.म.) तस्मिन् कृते सति ‘ह’ निश्चयेन ‘न स्वविनियोगः’ दत्तापहारदोत्पादकत्वात्, निवेदनं तु तदीत्यत्वानुसंधानमर्हकः स्वत्वाभिमानत्यागानुकूलः ‘तुभ्यमहं समर्पणमिति निवेदापाति’ इत्यादिशब्दाभ्यांशः तद्विलक्षणो मनोवायापातः, तस्मिन् कृते तु न स्वविनियोगे दोषाय, दत्तापहारदोत्पादकत्वात्, तत्र गमकमाहुः ‘अयत्येत्यादि, यदि स्वत्वत्यागपरस्वोत्पत्त्यानुकूलयोः दाने निवेदने च तु तुल्यतायामपि क्वचिद् विशेषो न स्याद् तदा पुराणेषु अनिवेदितस्य निषिद्धत्वात् निवेदितानादेः भोजनं नोवर्तं स्यात्.’” (नव.विवु.प्रका.१). इस विमर्शकितवकी धर्मवत्सलता(!)का यह मुख्य प्रमाण है कि दान-निवेदन दोनोंमें ही विमर्शकार भगवद्विनियोगानन्तर उपभोगको प्रशस्त मान रहे हैं। ऐसे ही ‘न स्वविनियोगः’ और ‘न विनियोगः’का महान विमर्शाङ्कम् भी एकत्र दत्तापहारदोत्पत्ति अपत्र दत्तापहारदोत्पादुत्तिके वैलक्षण्यसे स्वतः प्रत्याख्यात हो जाता है। क्योंकि यहां स्व-परोपयोगेके स्वकृत या पक्षत उभयत्र ही समानवाचसे प्रवृत्त एवं निवृत होता है। शब्दोच्चारणके कर्माङ्करनियतिकी हास्यास्पद कल्पना तो केवल बाललीला ही है!

(५) नामः

“एवजौरभयाद् दायादानाऽच्च बच्चनात् स्थाप्यतेऽन्यागृहे द्रव्यं न्यासः तत्परिकीर्तिम्” (द्रव्यहस्तिविचम - स्मृ.चिदिंनिको.स्था.) वचनानुसार यह स्पष्ट है कि न्यासी विचारता आमे स्वत्वके सुझाके लिये किसी सुकैजो जब वित देता है-हैं-पौत्रता है, तब वितपर्से उसका स्वत्व निवृत नहीं होता। अतः ऐसे विचारा भागवत्सावामें विनियोग मानसीसाधिका त्रुवित्तिका स्वरूपका नाशक होनेसे तथा पद्धत्यापहरणके दोषका भी जनक होनेसे यह कल्प तो प्रकृतिकारोपयोगी नहीं है।

फिर भी धर्मशास्त्रामुलाकार आमुनिक कार्याधान कानूनोंसे अपनी सेवोपयोगिसाप्रविकी सुझाक करको बनाये गये सार्वजनिक ट्रूस्टीडं कि जिसमें द्रस्टनिर्माता गोस्वामी स्वयं प्रलेख कर देते हैं कि सेवास्थलं उनका निजी गृह नहीं – सार्वजनिक देवालय है – सेवोपयिक वित कराधानाह नहीं क्योंकि उनका नहीं प्रत्युत जनराजा जनराजा के प्रतिनिधि द्रस्टिझोके सहयोगसे संचालित भागवत्यापिका वितरे अनुभूत्यमाना सेवार्थ है इत्यादि-इत्यादि। ऐसे सब मिथ्या प्रलेख अञ्जनवश या प्रशासनभवश निर्मित हुए होनेसे उनके वास्तविक स्वरूपके बाधक नहीं होते। इस सन्दर्भमें विमर्शकाके हारा किया गया कुशकाशावलन्नन जितना अविचारितरमणीय है वह विमर्शकत्वके समान अन्य वक्तव्यको विम्बप्रतिबिन्बभावसे देखेनपर पता चलेगा।

विमर्शविम्ब

जो लोग समझते हैं कि बंद करमें भगवत्सेवा करा ही भगवत्सेवा है वे स्वयं प्रमाण हैं, क्योंकि बंद करमें जो भगवत्सेवा होती है वह न्यायालयकी परिभाषामें सदा गृहसेवा ही रहेगी – इस बातकी कोई शाश्वती नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसे लंपट बलात्कारी गुडे ऐसी दुर्विवाद बांध ले कि बंद करमें पुरी रहनेवाली किसी भी सुशील पत्तिके शीतलकी छाँटी ही नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसा नियम बना कि “भगवत्सेवा जाहं होती हो वह स्थल सार्वजनिक होता है.” फिर भगवत्सेवा बंद करमें हो या बंद करमें न हो, वहां दर्शनार्थ लोग आये या न आये वह सेवा सार्वजनिक ही है। तब क्या करना ? (विमर्श पृ.१८२).

...देवदर्शनके लिये लोगोंके आने मात्रसे स्थल सार्वजनिक नहीं हो जाता। सार्वजनिक स्थल एवं गृहकी परिभाषा धर्मशास्त्रामुसार ग्राह है न कि अधार्मिक न्यायालयीय विण्यानुसार (परिभाषा) ग्राह है। अतः सम्प्रदायमें आज भी तरह स्थलोंमें होनेवाली सेवा गृहसेवा ही है, सार्वजनिक नहीं। जिन स्थलोंमें आपत्तिकालीन व्यवस्थाके रूपमें भगवत्सेवोपयुक्त सम्पत्तिके रक्षणार्थ द्रस्टका बाहु स्वरूपमात्र दिया गया तथा मनसे द्रस्ट न बनाया गया हो वहांकी सेवा गृहसेवा नहीं – ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। जिन स्थलोंमें अज्ञानसे या बलजबरीसे द्रस्ट

विशेषधर्मप्रतिबिन्ब

जो पति समझते हैं कि बंद करमें पलतीका उपर रहना। पलतीके शीतलकी सुझाह है...वे स्वयं प्रमाण हैं क्योंकि बंद करमें जो पलतीयां पुरी रहती हैं वहां लंपट बलात्कारी गुडोंके कभी पहांच कहीं पायेंगे – इस बातकी कोई शाश्वती नहीं है...मान लीजिये कि कल ऐसे लंपट बलात्कारी गुडे ऐसी दुर्विवाद बांध ले कि बंद करमें पुरी रहनेवाली किसी भी सुशील पत्तिके शीतलकी छाँटी भ्रष्ट हो जाएँगे हैं...उसका शीतल तो लंपट बलात्कारी भ्रष्ट कहेंगे ही। (एक स्वरैणिकी डायरीके पृ.१८२ पर)।

...लंपट बलात्कारी गुडोंको अपने घरमें देनेमें किसी सुशील गृहवधुको दुश्माना नहीं माना जा सकता। सुशीलता एवं दुश्मानता की परिभाषा धर्मशास्त्रामुसार ग्राह है न कि शंकाशील पतिकी कल्पित परिभाषाके अनुसार। अतः पासपडीरामें आज भी जन गृहिणीओंके पास लंपट बलात्कारी गुडोंका आमा-जाना बहु हुआ है उस सभीको सुशील गृहवधु ही समझना चाहिये, वारवृ नहीं। जहां कहीं आपत्तिकालमें किसी गृहवधुको लंपट बलात्कारी गुडोंको अपना तब बाहरसे मात्र समर्पित करना पड़ा परन्तु मात्र से लंपट बलात्कारी गुडोंको अपना तब समर्पित न किया हो उन्हें भी वे सुशील गृहवधु नहीं – ऐसा भी कहा नहीं जा

बनाये गये हों वहांके ट्रस्टका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। अतः ऐसे स्थलमें होनेवाली सेवा गृहसेवा नहीं—ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है। (विमर्श पृ. १८३)

जा सकता, जिस गृहधूका पातिक्रत्यधमकि अज्ञानवशा या 'बलजबरीसे शीतलभ्रष्ट किया गया हो वहां तो चरिप्रष्टाका कोई प्रसंग ही नहीं है। अतः ऐसी सभी गृहधूक परमपुरीशल पातिक्रत्यधमपराणा नहीं—ऐसे भी कहा नहीं जा सकता है। (एक स्वैरिणीकी डाक्यरीके पृ. १८३ पर)

१.“बलाद् दत्तं बलाद् भुक्तं बलाद् यच्चापि लेखितम् सर्वान् बलकृतानश्चनिकृतान् मनुद्विवीत्” (मनुस्मृ. ११६)।

वैसे मूरूकार मण्ड शब्दोंमें कहते हैं कि “(दायर्णिण्योपयोगिस्वत्वं) तच्च क्रप्रतिरिहग्रहिदिज्यन्यनितिविशेषं, तत्कारणात् तु लोकव्यवहारादेव गम्यते, न शास्त्रात्, तदभिज्ञानामपि तद्विनादं इति तत्त्वोक्तिरिद्विकारानुवादकं स्वामित्यच्छंसामान्येण यत्स्वस्य भवति तस्मैन् विकथिमिति प्रयुक्तं लोकं।” (व्यवहारमयूख. स्वत्वनिरूपणम्).

यदि धर्माचार्य स्वयं न्यासप्रतेषु वक्ता हैं — न्यासप्रतेषु नुसार स्वयं आचरण करता है तथा अयोक्तो भी वैसा ही उपरेका देता है तो ३-४ पीढ़ियों उसका शिष्टाचारामाण्य भी शिद् ही ही जायेगा, जो विमर्शकारका विचारसंरक्षण है। जबकि धर्मशास्त्रोंके अनुसार कोई धर्मिक प्रशासक निर्णय भी लेने जायेगा तब “प्रगाम रीतिहिंतं रेतुषुः तेसाक्षिण्याचेति कर्तिर्मम्” (याज. सृ. व्य॒. ११२) बननुसार १५००सप्तेषुपत्र तदनुसार रेजनाशारणद्वारा उस स्थलका धर्मिक उपरोक्त और देशादि—तीनों ही मिल जायेंगे। तब धर्मित व्या न्याय था और व्या अन्याय कैसे पता चलेगा? क्योंकि धर्मिक प्रशासक भी धर्मशास्त्रानुसार ही न्याय देता यथा—

“पश्यतोऽबुवतो भ्रोहर्निविशितवार्यिको।
परेण भ्रुम्यमानाया धनस्य दशावर्यिकी॥”

तो जहां पचीस-पचीस वर्षोंसे सार्वजनिक अथवा सर्वजनस्वामित्यके विरुद्ध अर्थस्तोत्र-शैषण-कामुख भी रुद्र बनकर आवाज न उड़ाइ जाये और बादमें ऐसे अर्थमात्रा समर्थन खुदपर हुए अव्याचारके बहानेके द्वारा किया जाये कि “सर्वान् बलकृतानश्चनिकृतान् मनुद्विवीत्” तो वह धर्मनिर्णय होगा कैसे?

क्यों मुकु—“पेहेतार्थन् प्रसोनं न विश्वदेह कर्मणा। न विद्यमनेप्येषु नार्यामपि यत्स्ततः (मनुस्मृ. ११५)” बननुसार अपनी चरणभेटसे सनुष्ट हह कर अपने सेव्यभुग्र अपना कानूनी स्वत्व रखेनकी विशुद्ध भवाना नहीं है? क्यों सेवोपयोगि सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिये सेव्यपरसे कानूनी दावा निस्त हो जाये इस हद तककी

अर्थाभिनिवेशिता रही जाती है? क्या कोई पति, अपनी सर्वाभरणभूषिता पलीका अपहण कोई गुण अर्थ-कामवासनापूर्यर्थ कर रहे हों तो, “पलीको चाहे ले जाओ परन्तु उसे सुख पहुँचानेवाले आभूषणोंके छोड़ देंगे तो यह ही मेरी पत्नी नहीं तुम्हारी है” — ऐसा प्रलेख केता? यदि नहीं तो स्वेच्छ प्रभुस्वरूपसे अधिक क्या सेवोपयोगी समर्पित हो सकती है? यह कैसा कैतवजात फैलाया जा रहा है! इसके दुष्प्रणाम क्या होंगे यह कभी स्वार्थान्वयके त्याग करके हमें विचारना है कि नहीं?

अतः विमर्शकैतव धर्मार्थ नहीं परन्तु धनार्थ है यह सुस्पष्ट है। अन्यथा पुरोपम शिष्योंकी कहीं बहुजीओंपर कुटूंबि न पड़े अतः अपनी बहुजीओंको गोस्वामिण जनानेमें परदेहें रखते हैं! अपने ठाकुरजीका गाम्यों प्रदर्शन वह धर्मपुरुषोंद्वारा दिया जाता के भूलकर भी देखें तो कुछ और ही बात समझमें आती है। जनताके लिये जनताके द्रव्यसे चलते मंदिर सार्वजनिक ही होते हैं ऐसे कानूनीके रहते हुए भी अपने सेव्य भावत्स्वरूपकी रक्षाके लिये व्यग्र होनेके बजाय जनताके लिये जनताके द्रव्यसे जनताके स्वत्काम न्यासप्रतेषु भी करनेकी बकालत करते आज हम लजित नहीं होते — यह आर्चर्यकी बात है! प्रतीत होता है हमारी परम आराध्य जनता है और जनादं तो केवल जनाराधारार्थ एक बृत्युपाय!

(६) निक्षेप:

निक्षेपी की परिभाषा याज्ञवल्क्यस्युपिके व्यवहाराच्यावके उपरिप्रकरणमें ६१वें श्लोकका व्याख्यामें, “निक्षेपो अन्यहस्ताप्व यद अन्यस्तै देयत्वेन निक्षिम्पू” कहकर दी है। परन्तु व्यवहारमध्यरूप नारदेके “स्वद्रव्यं यत्र विश्वामिक्षिपत्यविशकितो निक्षेपं नाम ततोक्तव्यं व्यवहारपं चू॒ै, असद्व्यायातमविज्ञातमपुरुषं यनिधीयते तं जानीयाद् उपनिविधि निक्षेपं गणिकं दिवु” बचव देकर “यो निक्षेपं नार्यति यश्वानिक्षिप्य याचते तातुपूर्वी चौरत्व शास्त्री दाची वा तासंसं दमपू” मनुस्त बचनद्वारा निक्षेपान्हारीको चौराद् दण्डनीय भी माना है। अतः अन्यार्थनिक्षेप अथवा स्वार्थनिक्षेप — यों दो प्रभेद भी उके मान लें तो अन्यार्थ निक्षिप्त तत्त्वाभिक बन जाता है; जहां निक्षेपदाता या निक्षेपहीता के स्वामित्वका कोई प्रसंग नहीं। स्वार्थ निक्षेपमें निक्षेपदाताने अपना स्वत्वलाभ नहीं किया होता है। अतः ऐसा निक्षिप्त वित्तका भगवदर्थ विनियोग तदुवित्तजाके स्वरूपका तो वित्तक होता ही है। अन्तर इसमें केवल यही है जिअपवादलेण भगवदर्थ निक्षिप्त वित्तसे भी आपत्तिकालमें अपवादलेण भगवदत्वेको अनुदान संबंध है। विमर्शकाद्वारा, परन्तु, “गोमयपायस्” न्यायेन प्रस्तावित “भगवदुपोगात्माकृ देवद्वयत्वेन अनुभोगार्हता तथा भगवदुभोगनन्तर भगवत्प्रसादत्वेन उपभोगार्हता” व्यवस्था तो शुद्ध अकाङ्काण्डव है। क्योंकि उस

स्थितिमें निवेदन-समर्पण और दान(अपने समस्त अवान्तर उपभेदों सहित)के बीच कोई अन्तर ही नहीं रह जायेगा। फिर तो श्रीमहाप्रभुद्वारा उसे “दत्तापहरतचनं तथा च सकृं हेऽन म ग्राह्यगिति वाक्यं हि भिन्नमार्पणं मतश्” (सि.र.६) कहना और “असमर्पितवस्तुन् तस्माद् वर्जनमाचरेद्” (सि.र.४) कहना सर्वथा निष्प्रविष्ट कथन कथन सिद्ध होगा क्योंकि समर्पणनन्तर अर्थात् भगवदुपभोगानन्तर दस भावदुपभोगवश तथा भगवदुपभोगवश ही सारी बातोंका समाधान हो जाता है।

भगवदर्थ निषिद्ध भेद-सामग्रीपर जो गोस्वामिओंका निंकुश स्वत्व हो, जैसा कि आभास विमर्शकार पैदा करना चाहते हैं, तो आगामी संस्करणोंमें घरुवार्ताका सेनानीकी कटोरीवत्ता प्रसंग, चौरासी वैष्णववाताकि अन्तर्गत संतदासकी वार्ता, २५२ वैष्णवोंकी वातकि अन्तर्गत विशेषज्ञाईकी वार्ता, आशकणदासकी वार्ता प्रसंगोंको मनवी संसोधन-परिवर्धन-परिवर्तनके साथ प्रकाशित करवाना पड़ेगा। जैसे २५२ वैष्णवोंकी वार्ताकी किसी भी प्रतिनिधि सातस्वरापान्तर्गत स्वस्त्रेव्य श्रीबालूणालंजीका नाम न होनेपर भी कुछ वर्च फले संसोधित-परिवर्धित संकरण प्रकाशित करवा दिया था! (इस बहुनिष्प्रयुक्त षष्ठीपीठाधीशतावादका विस्तृत विचार “पुष्टिमार्गी पीठाधीशः स्वत्वं और कर्त्य” नामा प्रकाशित ग्रंथमें श्रुतिप्रकरणके परिशिष्टाया आगामी परिच्छेदोंमें किया जायेगा.)

प्रकृतमें अवधेय यहीं है कि स्वत्वकी प्रामाणिक परिभाषा क्या होनी चाहिए — इसपर शास्त्रारोंके प्रस्थानभेद द्विषोचर होते हैं:

स्वत्वम्— (क) यथेष्ट विनियोगयोग्यता — ऐसा प्राचीनोंका कहना है। जैसे “चैका धनं” कहनेपर धनपर वैत्तिनिष्पत्ति स्वत्वका निरूपण हो रहा है। यथए विनियोगयोग्यता शाश्वत अनिषिद्ध विनियोगयोग्यता, जो क्रय प्रतिग्रह आदि हम करते हैं, उसका विषय (अर्थात् क्रीत या प्रतिग्रहीत) होता है। यह बहिरित्रिव्यवेद्य गुण नहीं होता क्योंकि प्रतिग्रहादि मानसज्ञानविशेषरूप होते हैं अतः बहिरित्रिव्यवेद्य गुण नहीं होते।

यहां कुछ विविध प्रस्थान दिखाई देते हैं यथा ‘स्वत्व’ वस्तुनिष्ठ गुणधर्म है या अलोकिक गुणधर्म? स्वत्व शाश्वतसमयमय होनेसे वस्तुनिष्ठ है — ऐसा जीमूलावाहनादिका पक्ष है। लोकप्रसिद्ध होनेके कारण लौकिक गुणधर्म ही है जैसानेथरेत्रित्रिव्यवेदित विज्ञानविशेषरूप वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।

(ख) ‘स्वत्व’ क्रय-विक्रय क्रियाओंमें किसी भी द्रव्यका यथेष्ट विनियोगक

धर्मविशेषरूप होता है। इसे यथेष्टविनियोगयोग्यतारूप केवल नहीं माना जा सकता — ऐसा दीप्तिकार आदिका नवीन पक्ष है। यह स्वत्व दानादिसे नए होता है तथा प्रतिग्रहादि सेवने के बाद भी स्वत्वव्यवहार होता होनेसे दानसे स्वत्व नष्ट होता है तथा प्रतिग्रहादिसे उत्पन्न होता है। अतएव भावितव्यस्तुपर स्वत्व सम्भव है। अन्यथा प्रतिमास प्रतिर्वद देयत्वेन प्रतिशुत धान्यादि भावित पदार्थ हैं वहां स्वत्व उत्पन्न हो नहीं पायेगा। कुछ लोग “मैं अपने स्वत्ववाले घरको डेख रहा हूँ” अनुव्यवसायके आधारपर इसे प्रतिक्षणाया मानते हैं और कुछ लोग अनुमानगम्य। (न्यायकोशः ‘स्वत्वम्’).

कुल मिलाका बात इतनी इस विवेचनाके आधारपर समझी जा सकती है — धर्मोपायिक अलौकिक स्वत्व धर्माशास्त्रिद्वयी ही होता है लौकिकिद्वयी नहीं तथा शाश्वत अनिषिद्ध लौकिक व्यवहारोपयक स्वत्व लौकिक प्रत्यक्ष अनुमान या ऐतिहासिक दिवसे होता है। यथा धर्मपत्नीत्व धर्मपुरुष धर्मोपयोगिशुद्धि धर्माशास्त्रिद्वयी विवाहसंस्कृतिद्वयी द्वारा होती है तथा लौकिकभावार्थ लौकिकित्पुरुत्व लौकिकग्रामांगोंसे गम्य होती है। शाश्वत अनिषिद्ध लौकिकव्यवहारका औचित्य अथवा अनीचित्य लौकिक प्रमाणोंसे ही होता होता है। अतएव बहुनिष्पत्त्वलूप षष्ठीपीठाधीशत्वस्तुदिविके लिये लौकिक न्यायालंबोंकी शरणमें जानेको अपने अनुयायियोंको ऐतिहासिक तिलकविधि हुई थी।

अतः लोकोंमें अन्यार्थ निषिद्ध भेद-सामग्रीपर गोस्वामियोंका अकारण निंकुश स्वत्व स्वीकार लेना न शाश्वतिद्वय है और न लौकिकिद्वय है। ऐसी स्थितिमें विमर्शकारक यथा कथन कि गोस्वामियोंके घरमें उनकी आजासे उनके ताकुरजीके लिये उपायन गुणसेवके अन्तर्भूत होता है — केवल छल है। क्योंकि (१) स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक उपायनीकृत परवित्तका यह परिग्रह है या (२) भावनिमित्तक स्वसंप्रदानक प्रतिग्रह?

(१) यदि स्वनिमित्तक भगवत्संप्रदानक उपायनीकृत परवित्तका परिग्रह हो तो जैसे स्वनिमित्तक स्वकल्यासंप्रदानक स्वत्व-युक्ताध्यवकर्तृक उपायनपर स्वत्वं पिताका नहीं परन्तु कन्याका स्वत्व उत्पन्न होगा जिसका उपभोग करतेपर कन्याद्रव्यापाहारी पिता बनता है। वैसे ही गोस्वामीका स्वत्व नहीं परन्तु श्रीबालूणीका ही स्वत्व उत्पन्न होगा। गोस्वामीके हाथोंमें वह केवल निषिद्ध ही माना जायेगा। ऐसी स्थितिमें —

मूलः गुरुर्व्यापाहारी अविनियन् देवतातिषीर्ण।
सर्वत् प्रतिग्रहीयात् नन् तृत्येत् स्वत्वं ततः॥

अनुवादः गुरुर्व्यापाहारी, देवतातिषीर्ण, अतिथ्यर्चनार्थं, किसीसे भी प्रतिग्रह किया जा

सकता है परन्तु उसके उपभोगसे स्वयंको तुम् नहीं करना चाहिये, (वासिंधुवचन याज्ञ.सू. ग्रा. ब्री. आचार. ११२१३में उद्दत).

मूल : स्वदतां पौः दानां हरेत् सुविग्रीयोः।

वृत्ति स जायते दिभुग् वर्षणामयुतायुम्॥ (भग्. ११२१४५४).

अनुवाद : स्वप्रदत्त या परेदत् सुवृत्ति (अर्थात् देवतारथनार्थ निषेप) का अथवा विशाविकार्य निषेपका जो हणं करता है वह अयुतायुत वर्षेष्यत विडु खोवाला (शूक्र) बनता है.

मूल : चिकित्सकादेवलकानांसविक्रियणस्तथा।

विषेण च जीवतो वज्याः स्युः हृष्टकव्ययोः॥ (मनुस्. ३।१५२).

यहां व्याख्या करते हुए (१) मेपातिथि (२) सर्वज्ञात्यवण (३) उलुकु (४) एवानाद

(५) नदन् (६) रामचन्द्र (७) मणिराम तथा (८) गोविन्दराज -सभी व्याख्याकार एकत्र हैं, यथा क्रमशः (१)... 'देवलका' प्रतिमापरिचारकः आजीवनसम्बन्धेतौ प्रतिष्ठिष्येते, (२) 'देवलकान्' धर्मार्थं देवार्चकान्, (३) 'देवलं' प्रतिमापरिचारकः वर्त्तनार्थिनेवत्तरम् कुर्वद्दीर्घं निषेधो ननु धर्मार्थम्, (४) 'देवकोशोपभोजी च नामा देवलको भवेद्' इति देवलेन निर्णयतः, (५) "देवकोशोपभोजी हु नामा देवलको भवेद्" इति सूत्रयत्तरवचनम्, (६) धर्मार्थं तु चिकित्सकदेवलकयोः दोषभावः, (७) 'देवलं' प्रतिमापरिचारकः 'देवकोशोपभोजी च नामा देवलको भवेद्' इति देवलवचनात् एतत्त्वम् कुर्वत् एवायं निषेधो चेत्, (८) 'देवलकं' प्रतिष्ठेऽन धर्मार्थं तत्र विहितत्वात्.

ये स्वार्थप्रतिष्ठापित देवकी आजीविकार्य आराधना करनेवाले अर्थात् स्वार्थप्रतिष्ठापित देवसंप्रदानक निषेपके उपभोग करनेवालोंको उद्देश्य करके हैं, उत्तमतया. अपवादतया परार्थप्रतिष्ठापित देवसंप्रदानक अन्न-बस्तु-पुणि निवेदित-समर्पित या मालासहृदा भगवदुभृत वस्तुओंके भगवद्युद्देन उपभोगकी निंदीयताका प्रयाप्त नहीं है अर्थात् पूर्वोक्त उत्तरांका अपवाद है, परन्तु परार्थप्रतिष्ठापित देवमूर्तिको ही किसी वित्तदाताद्वारा देवत्वस्त्वत्वोत्पत्त्यर्थं उपाहृत-उपायनीकृत रजतसुवर्णम्॒भूमिकूपक्षेत्रादिका अपहरण देवद्रव्यापहारदोषोपत्यादक होता ही है.

अतः या तो गोत्रामित्रोंको अपने आराध्य भगवत्स्वरूपको परार्थप्रतिष्ठापित सार्वजनिक देवलत्यमें विराजनाम् मानवर स्वयंको पूजारी मानना पड़ेगा. ऐसी स्थितिमें किसी भी प्रधान द्वितीय या पृष्ठ, सप्तमी पीठोंकी पर्याप्ताधीशताका दाया खिंचित हो जायेगा. और स्वार्थप्रतिष्ठापित भगवत्स्वरूप स्तीकारेपर भावदर्थ की बातकि अनुसार देवलय मानवर अपने उपमोगमें लानेकी लालसापर काल्य पाना पड़ेगा. अयथा देवलकव या देवद्रव्यापहार वक्रलेपायित ही होगा.

(२) एतदर्थं भावनिमित्क स्वसंप्रदानक उपायनीकृत परविकास प्रतिग्रहका

कल्प अंगीकार करनेपर अधेलिङ्गित दोपापति आती है—

मूल : न तीर्थं प्रतिगूर्हयामा प्राप्तैः कवटातैरपि।

अपि कामातुरे जन्मुकों रक्षति मातरम्॥

तीर्थं प्रतिगृहं यस्तु तीर्थविक्रियेव सः।

विक्रीतायां तु गंगायां विक्रीत स्याज्जनार्दनः॥

जनादेने तु विक्रीते विक्रीतं भुवनयम्।

यस्तु लौल्याद् द्विजः क्षेत्रे प्रतिग्रहरूच भवेत्।

नैव तस्य परे लोको नायं लोको दुरात्मनः॥

(प्रायश्चित्तमध्यूकौदृत पायवचन)

अनुवाद : तीर्थमें प्राण कायमें अटके हो तब भी प्रतिग्रह नहीं करना चाहिये, कोई कितना भी कामातुर हो परन्तु अपनी मांकों तो छोडता ही है. तीर्थमें अर्थात् तीर्थीनिमित्क प्रतिग्रह तीर्थविक्रिय ही है. (जैसे आधुनिक गोस्वामी ब्रजबालाद्वारा अर्थोपर्जन करते हैं) गंगायों बेनेपर तो जनार्दनको ही बेचा समझना चाहिये. जनार्दनको बेचा तो भुवनवयको बेच खाया! अतः तो भवशा तीर्थेक्रियनिमित्क प्रतिग्रहरूचिवाले दुरात्मा ब्राह्मणका ऐहिक पारसीकिक सब कुछ बिंगड़ा हुआ समझना चाहिये.

अतएव सर्वीनिर्णयनेबन्ध तथा भागवतार्थनिबन्ध को भागवतपुराणनिमित्क प्रतिग्रहकी निन्दाके ये वचन भी मननीय हैं— "...तो भागवतं कूर्मं, एतदप्यसनाल्लोको मुच्यते उपजीवनात्॥६७॥

सामनं परेतद्विद्धि श्रीभगवत्मादारात् पठनीयं प्रवत्तेन निर्हेतुकमद्भतः॥२४२॥

पठनीयं प्रवत्तेन सर्वेहुत्विवर्जितम्। मृत्युर्थं नैव युजीत प्राप्तैः कण्ठरौपैरपि॥

तदभावे यथैव स्यात् तथा निर्वापयेत्॥२४३-४॥

इदं भागवतं नामात्मकं भावतो रूपं तत् स्वविक्रेतरि विक्रयसाध्यातिरितं फलं न प्रयच्छति. (भागवतपूर्णका. १।२७).

लोकार्थी चेद् भजेत् कृपां लिलाण्डी भवति सर्वथा॥ (सि.मु. १६)

'लोकार्थी ति श्लोकस्तु संसारिण्येवं यो जन्याधिकारी तत्परिति उपेक्षितः परं तत्र अयमर्थः— लाम्बूजाश्येत्यलत्य उपर्थमेवदेवलकत्वादिस्पादकवात् तदव्यतीक्षेत अनिविष्टद्वारकरेत् 'ऐहिकं मे भवतु' इति अनुसार्य व्रृत्ते लोकार्थीं. (सि.मु. प्र. १६.).

ऐसी स्थितिमें एकत्र नहीं किन्तु अनेकत्र तीर्थं भागवतादिनिमित्क प्रतिग्रह उक्ता विक्रिय ही होता हो तो "असति बाधके अन्यत्र (सेवायाम्) अपि चुक्षेत्" (प्रष्ट.विमर्श.प. १५१.) क्षेत्रों नहीं स्फीकार जाता? क्योंकि यदि साक्षात् भागवत्स्वरूपनिमित्क स्वसंप्रदानक प्रतिग्रहों धर्म्य मान लेते हैं तो पुनः "एकत्र निर्णयति शास्त्रार्थं असति बाधके

अन्यत्रापि युक्तेरे" न्यायसे तीर्थ-भगवतादिपर भी लागू होगा। यदि तीर्थ-भगवतादिमें कठोरत निषेधको बलवान मानते हैं तो यहां भी कठोरत निषेध तो अनेक उपलब्ध होते ही हैं। किंतु अन्तर कैसे आयेगा?

अतः स्वार्थप्रतिष्ठापित भारतस्वरूपमिति स्वसंप्रदानक प्रतिश्रूतिको भी स्वमार्गमें अत्यन्त गही भानना चाहिये—यह सिद्ध होता है।

इस तरह "विनं दत्वा अपेन पुश्येण कुत्वा कणिका एक" वचनांशके विवेचनतया वित्तदानके अनेकविधि विहित अनुगत अनिन्द्य तथा कुछ निन्द्य प्रकारोंके भी स्वरूपोंको विचार कर कैसे वे उपर्युक्त त्वचिरजा सेवाके स्वरूपघटक हो सकते हैं या नहीं वह हमने देखा। उसके बाद "एतद्वृष्टेन (विच्छीत्रा) पुंसा कृता च अपरा" वचनांशके विवेचनतया वित्तप्रहणके कुछ प्रकारोंका भी स्वरूप समझ लेना उपकारक होगा—

वित्तागम या वित्तपरिणाम

दाय	लाभ	क्रय	जय	प्रयोग	कर्मशांग	सत्प्रतिग्रह
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)

यहां व्याख्याकारोंके प्रस्थानभेद हैं। तदनुसारा कुछ व्याख्याकारोंके मतमें ब्राह्मणके लिये दाय-लाभ-क्रय-सद्विग्रह—यों विचरित्याहके चार धर्म प्रकार हैं। क्षत्रियके लिये दाय-लाभ-क्रय-जय, वैश्यके लिये दाय-लाभ-क्रय-प्रयोग-कर्मशांग; तथा कुद्रके लिये दाय-लाभ-क्रय। अत्र व्याख्याकारोंके अनुसार जय-प्रयोग-कर्मशांग भी क्रमशः वादिय, अध्यापन, याजनके रूपोंमें ब्राह्मणके ही वित्तागमके धर्म्य प्रकार हैं।

वैसे इन सात विभागोंके धर्म्यत्वनिरूपणका शास्त्रीय तात्पर्य यह हो लेशमात्र भी नहीं है। ब्राह्मण इन धर्म्य उपायोंसे केवल वित्तपार्जनपरायण ही बन जाये क्योंकि श्रीमद्भागवत तथा मनुसृति दोनोंका सम्पूर्ण आदेश है।

मूलः इच्याध्यनदानानि सर्वेषां च द्विजनामार्।

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्तैव याजनम्॥

प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयोत्पुदम्॥

अन्याभ्यामेव जीवेत शिरैर्वा दोषदुक्तयोः।

ब्राह्मणस्य हि देहेये क्षुत्रक्रामये नेत्यते॥

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानन्तामुख्या च॥

शिलोऽच्छुत्वा परितुचित्तो धर्मं महान्तं विरजं त्रुषाणः।

मध्यार्पितामा युहेव तिष्ठत् नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्॥....

यस्त्वासक्तमतिरिहो उपुत्तेषणातुरुः।

सैणः कृष्णधीरुहो ममाहमिति वध्यते॥

एवं गृहाशायाकिस्त्रहयो मूढधीरम्।

अतुपस्ताननुभायान् मृतोऽव्य विशते तमः ॥ (भाग. ११।१५।४०-४८).

अनुवादः यजन शास्त्राध्यायन और दाय सभी द्विजोंके कर्तव्य हैं; याजन शास्त्राध्यायन और प्रतिग्रह ब्राह्मणके ही जिनमा अधिक प्रतिग्रहमें रचता पचता है उतने ही ब्राह्मणके तप तेज और यथा का नाश होता है। अतएव अध्यापन और याजन द्वारा ही आजीविक चलाना ब्राह्मणके लिये श्रेष्ठस्कर होता है। अथवा उनमें भी दोषदर्शन होता हो तो शिलोऽच्छुतिसे जीवा चाहिये। क्योंकि यह ब्राह्मणयोनि क्षुद्र (लाभपूजाकामनाओं जैसी) कामनाओंकी पूर्ति के लिये नहीं मिलती है। यह तो मिलती है भूतलपर कृच्छ्र-तपके लिये तथा देह क्षुट्येवा अनन्त (पारामित्यक) सुख पानेके लिये। शिलोऽच्छुतिसे परितुष्टि चित्तवाला महान विरज धर्माका सेवन करनेवाला परामर्शदाता भी गृहाकृत्योंमें अतिप्रसक्त है, हमेवाला ही शान्तिको पाता है। परन्तु यथे जिसकी मति असत्त न है विवेषणा ऐसे जो आगु है ऐसा सैण कृष्णणी मूर्ति अहन्ता-ममतामें बन्ध जाता है—यह मूढ़ घर भरनेके चक्करमें कभी तुम हो नहीं पाता और घरके लोगोंका ध्यान करते करते मरेपर अवधारनकारोंको प्राप्त करता है।

अतएव मनुसृतिमें भी यही कहा गया है—

अध्यापनाध्ययनं यजनं यजनं तथा ।

दायं प्रतिग्रहश्चैव पदकर्माण्यग्रजनमः ॥

षणां तु कर्माणमस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ।

यजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ (१०।७५-७६).

"विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः" का वास्तविक स्वरूप समझनेके लिये याज्ञवल्क्यका यह वचन मननीय है—

अयाचिताहृतं ग्राह्यमपि दुकृतकर्मणः ।

अन्यत्र कुलाण्डपतितेष्यस्तथा द्विषः ॥ (याज्ञ. आचा. १।२।१२).

अतएव मनुसृतिमें कहा गया है—

अदोहेव भूत्यानामल्पद्रोहण वा पुनः ।

या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेत्यापदि ॥

याजनामत्प्रसिद्धर्थं स्वैः कर्मभिराहितः ।

अकलेशेन शरीरस्य कुर्वीत धनसंचयम् ॥

क्रतामृतायां जीवेतु मृतेन प्रमृतेन वा ।

सत्यानृताध्यामपि वा न श्वत्या कदाचन ॥

ऋतमुच्छविशिं द्येममृतं स्याद्यावित्तम्।

मृतं तु याचित् भैक्षं प्रमुखं कर्त्त्वं स्मृतम्॥

स्तम्भन्तु तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीवोते।

सेवा श्रवृत्तिराघाता तस्मात् परिवर्जयेत्॥ (मुमृ.भ.२-६).

अतएव श्रीपुरुषोत्तमजीने श्लोकादि ऋतमुच्छविको अपना पानेकी आधुनिक ग्राहणीको असामर्थ्यको लक्ष्य करके अध्यापनोपदेशसारिका अमृतालया अशाचित्वादमें प्रतिपादित की है। वहां वृत्त्यर्थ भगवुपायनीकृत भेट-सामर्थ्य, व्याधि, स्पष्ट निषेध नहीं किया किन्तु उस वादान्धको तथा “न च यागो यजमानस्य विताद्गुणं शंकयं, तत्र ऋतिवृद्धिक्षणवर्णादिवद् अत्र तदानामेव भक्तियोगं भावता अनुकरतः अत तथा न कर्त्ता किन्तु भावतुर्त्तरैव कार्यम्” (सि.मु.वि.प्र.२) और “लाभपूर्णार्थयनस्य उपर्यात्वदेवलक्षणमादकत्वात् तदल्पतिवेन अनिष्टिप्रकारेण...” (सि.मु.वि.प्र.१६) वर्णनेके परस्पर सामन्यपूर्वक तात्पर्यान्यन्यन करनेपर विहित-निविद् प्रकारोंका बोध स्वर्था सुलभ है। फिर भी श्रीपुरुषोत्तमजीके ही धर्ममें उनके ही उत्तराधिकारियोंका यह कहना कि — “वहां यह ध्यातव्य है कि अपने निवाहिके लिये की जानेवाली सेवा...महद्विषय भक्तियोगकी दृष्टिसे उपर्याम है या नहीं यह सन्दर्भ है। परन्तु इस दृष्टिसे वह परमं अवश्य है” (विमर्श.पृ.५७-५८.) एक विलक्षण अकाङ्काष्ठावृत है।

आशर्थी होता है कि यहां श्रीपुरुषोत्तमजीका खण्डन विमर्शकारको चिकीर्षित है या श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनभियावागमें स्वासामर्थ्य!

यदि खण्डन अधिष्ठेत हो तो तब तो “तो भागवतं कृतम् एतदभ्यसानालोको मुच्यतेऽनुजीवनात् परस्प्रैको महान् दोषः तदुपजीवनमिति। अतस्तदभावामह अनुपजीवनादिति। वृत्त्यर्थसुयुग्मो न कर्त्तव्यः” (सर्वनि.प्र.६७)। “पठनीय प्रयत्नेन सर्वहीनिविजितं वृत्त्यर्थं नैव युज्जीत् प्राणीः कण्ठगतैरपि तदमारे यथैव स्यात् तथा निर्वाहामाचेत्” (सर्वनि.२५३-४)। “सूतत्वाद् वृत्तिरिपा हि तस्मान् फलितं तथा यथायेषा न विकीर्ता नामविक्रयात्तथा नामात्मकं भगवतो रूपं, तत् स्वावेकेतरि विक्रयसाध्यतिरिक्तं फलं न प्रयच्छति।” (भाग.नि.प्रका.१२७)। भगवत्के वृत्त्यर्थ उपजीवनमें हेतु श्रीमहाप्रभुके “भवतो रूपम्” अर्थात् “गाप्यत्वात्” दिया है। अतः “एकत्र निर्णितः साक्षात् असति बाक्के अन्यत्रापि सुज्ञते” (विमर्श.पृ.१५१) स्वाध्यूपेत् न्यायानुसार स्वाराष्ट्र श्रीबलकृष्णालजीको भगवद्गुण मानते हो तो श्रीष्ट ही वृत्त्यर्थ उपजीवनका त्याग करना चाहिये अन्यथा स्वाराष्ट्रकी भगवद्गुणा अधिष्ठेत न हो तो श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनका खण्डन श्रीमद्वार्यावचनके खण्डनमें पर्यवसित हो रहा है। इस स्वारूढशाखोच्छेदनकी विचित्र अर्थभिन्नेशितात्मताके बारेमें क्या कहना ?

यदि श्रीपुरुषोत्तमजीके वचनोंके अभियाकागममें खुदके असामर्थ्यका द्वेष विवरित हो तो निलोभ निर्देश होकर यहां भी ‘क्योंकि प्रकृतिमें अनेकात्मे अंगोंको विकृतिमें लेना या नहीं—इस विषयमें मीमांसाशास्त्रका सिद्धान्त है कि वे अंग प्रधानके उपकारक हो तो उन्हें लेना। (अर्थात् उपकारक न हो तो न लेना) प्रकृतमें यह ध्यातव्य है कि प्रधान भगवत्सेवा है।” (विमर्श.पृ.१७५). अत देवलकप्रकारणद्वात् वे सारे शाश्वतबन जो वृत्त्यर्थ विष्णुनाम भी देवलकता नहीं आती ऐसा प्रतिपादन करते हैं वे स्वतः अप्रासंगिक हो जायेंगे। क्योंकि “वचनात्प्रवृत्तिः वचनात् निवृत्तिः” ही एकमात्र शरण होती है। क्वैसे इन सारे वचनोंके आधारर क्रिये गये विमर्शका विशोधन आगामी द्वितीयादि परिच्छेदोंमें तो सविस्तर होंगा ही।

अतः वित्तागमके दायादिके सारोंके सात धर्म प्रकारोंद्वारा स्वस्वत्वापन वित्ताद्वारा सेवा कलेपर ही तुवितजा शूलप अङ्गिष्ठ रहेगा। अन्यथा स्वनिपित्तक भगवत्संप्रदानक अथवा भावान्वितक स्वसंप्रदानक विदेश स्वैयोभेगपर्यवसायी परियह करनेपर या तो देवस्वापरहण या देवलकाता देष बज्जलपायित है।

ऐसी स्थितिमें श्रीमद्भुत्तरणकी विवृतिके (४४) वचनांश, जो श्रीमाध्युष्मके “तस्मिद्दृष्टौ तुवितजा” अंशके अभियाकागमानार्थ है, उसमें वित्तान तथा वित्तप्राप्तिहके वजिताविजितकारोंकी व्यवस्था स्पष्ट हो जानेपर तदुत्तरोद्देश निष्कर्षरूप (ग) “एतेन भगवदर्थं निलृधिस्वस्वर्वनिर्वदनपूर्वकं तत्रैव स्वदेहविनियोगे प्रेण्मा जाते सा भवति इति भावः” विधानका आशयान्यन करना चाहिये न कि निष्कर्षर्थुपेदवशा मूलवचनाभियाकाय अन्यान्यन, व्याप्तिचनके अनुपोद्देश पक्षमें साध्यनिर्णय की प्रतिक्षा की जाती है न कि प्रतिक्षान्तुद्वारा व्याप्तिस्वरूपका उपापान न्यायशास्त्रके इस सामान्यनियमका उल्लंघन विमर्शकाद्वारा स्वगृहमें विशुत नैयायिकोंके संरक्षण देनेकी उयोगीतापर एक प्रश्नचिह्न लगाता है।

(ग) तदुसारा इस प्राचुर्यान्प्रदत्त निष्कर्षमें कुल कितनी बातें आयी हैं उनका अंकविनासपूर्वक परियह उचित होगा—

* एतेन “(१) भगवदर्थं (२) निरूपय- (३) स्वसर्वस्वनिवेदनपूर्वकं (४) तत्रैव स्वदेहविनियोगे (५) प्रेण्मा जाते (६) सा भवति”* इति भावः।

* “एतेन इति भावः” अंशोंसे प्रस्तुत पांचत्र स्वावृद्धवित्तपूर्वोक्तिका निष्कर्षरूप है—यह द्वौतित करता है।

(१) “भगवदर्थं”पदका अभियाय सेवके प्रयोजनका परिकारक है यथा—

न लौकिकं प्रभुं कृष्णो मुते नैव लौकिकम्।

भगवस्त्राप्तस्मदीयः सर्ववैक्षिकं स्तः॥

परलोकश्च तेनायं सर्वभवेन सर्वथा सेव्यः। (शिक्षाश्लोकी).

लोकार्थी चेद् भजेत् कृपणं किस्तियो भवति सर्वथा ।

नमु कस्त्रिद् जीविकार्थमिति भजते तस्य का गति ? इत्यतः आहु लोकार्थी
इति. लोकपदेन लौकिको अर्थः मुजये ते. तदर्थी चेत् कृपणं भजेत् तदा व्यापारद्
अर्थे सिद्धे तस्यापि अन्यरूपत्वेन तत्कृतभजनस्य भक्तित्वाभावात् तत्कृतं सर्वं कलेशरूपमेव
अतः लिख्ये भवति इति अर्थः न केवलं ऐहेकं क्षेत्रशः किन्तु पालोकोपि
नवयति निषिद्धचरणाण् इति सर्वथा । उत्तम् यथा स्वत्प्यापि ज्ञानं स नैव
करोति सर्वथा तद्रहितं कस्त्रिद् एवं कुर्याद्यपि इति चेद् इति उत्तम्
(सि.मु.वि.श्रीगंगाम्बुधराण्डक स्वेष्टाप्राप्तेष्ट श्लो.१६).

तस्य सेवां प्रशुद्धतया वावज्जीवं स्वधर्मं ।

न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठाप्रसिद्धेण ॥

श्रीमदाचार्यमाणेण नान्येनापि कदाचन ।

न कल्पितप्रकारेण न दुर्भावसमन्वयात् ॥

(श्रीहरित्रयकृत शि.प.१११२-१३).

“लाभपूर्वार्थयत्नस्य उपधमिदिवलकात्वादिसम्पादकत्वात् तदव्यतिरिक्तेन अग्निपिद्य-
कारेण...” (सि.मु.वि.प्र.१६).

(२) ‘निरपेक्षः’ : ‘निरस्तिया’ का सुगमतम् स्वरूप तो श्रीप्रभुवरणने ‘फलात्मकामोक्त्या
स्वतः पुरुषार्थत्वेन सेवाकृतिः स्वसिद्धान्तो न तु अन्यशेषत्वेन इति ज्ञायते’ त कहकर
मनङ्गा ही दिया है.

यहांपर श्रीबल्लामध्यी तथा श्रीब्रजनाथथी के बवन भी अनुसंधेय हैं. यथा—

‘फलस्पृष्टं तस्य स्वतःपुरुषार्थत्वं (न तु वृत्यर्थत्वं-पीठाधीशत्वप्रतिष्ठार्थत्व-
कहाडीभट्टारात्म्यर्थत्वं : गो.शा.म.) धर्मविच्छिन्नसेवाकृतिः... फलसेवनं दि स्वतःपुरुषार्थः
यथा कामिन्याः... कामप्रयत्नयोः एकं (भगवत्प्रवचनचिरत्वरूपं) विषयत्वेन इति (अर्थात्
एतदिवरिव्यक्तत्वे निष्पत्तिभूमिः) अर्थः’ (सि.मु.वि.टि.१).

इस तरह श्रीब्रजनाथथीका स्पृष्टीकरण भी नितान्तं मनीय है— “‘फलसेवनं
हि स्वतःपुरुषार्थः इति. अतएव धर्मर्थीयोः कामोक्षद्वारा पुरुषार्थता. कामोक्षयोरेव
साक्षात् सुखेतुत्वात् स्वतःपुरुषार्थत्वम्.’” (सि.मु.वि.टि.१).

(३) ‘स्वसर्वद्वयिनिवेदनपूर्वकृ’ के अवलोककर्त्ता यह तो स्पष्ट हो जाता है कि
सर्वप्रथमं तो विकास स्वप्रभुभृत्यानक दान-निषेष-यास-प्रायकर्त्तिकरण नहीं किन्तु
निवेदन-समर्पण ही इतिरत्वयत्था अभीष्ट है. ताकि स्वयंकामा ‘स्वत्वं’ उपरपरे
निवृत्तं न हो जाये. अतः ‘स्व-स्व(वित्त)निवेदनं’ किया जाता है. दूसरे कुछ
अपनी स्वनिमितक-स्वसंप्रदानक चरणभेदका स्वार्थोपयोग तथा भगवन्निमितक-स्वसंप्रदानक
अथवा स्वनिमितक-भगवत्संप्रदानक विचका भगवत्सर्वार्थ उपयोग करना, इसी तरह
एवं देवलक्तारास्पनिषिद्धत्वित्यार्थ अथवा देवस्वका ही भगवत्सर्वार्थ उपयोग करना

— इस तरह अंशतः नहीं किन्तु ‘स्व’ = स्वत्वविशिष्ट-‘सर्व’ = सकलचेतनाचेतनरूप
‘स्व’ = वित्तके निवेदन(तदुपलभित समर्पण/विनियोग)पूर्वक भावस्वेवा कर्त्तव्य है.

अथवा ‘स्व’ = देहप्राणेन्द्रियान्करणतदर्थमविशिष्ट आत्मा स्वयं तथा ‘सर्वस्व’ = दा-
रणाग्रामावासित्वेहापरम् निषेध निवेदन — अर्थ भी शब्दय है. अतः यहां ब्रह्मसंबंधीकामा
ही प्रभुचरण प्रमार्श कर रहे हैं.

(४) ‘तत्रैव स्वदेहविनियोगे’ : यहां स्वयं तथा सकलत्वकीय के निश्चयित
निवेदोत्तर अवश्यकत्वाताक स्वस्वीयके विनियोगकी बातपर भार दिया जा रहा
है, अन्यत्र विनियोगप्रतिहारार्थः “असर्वार्थत्वस्तुतां तस्माद् वर्जनामाचरेत् निवेदिभः
समर्पीवं सर्वं कुर्याद् इति स्थितिः.” (सि.प्र.४-५) वर्जने से वह आगे विवक्षित
है ही.

यद्यपि विमर्शाकारे इस अंशका दुरुपयोग तनुआ-वित्तजाके पार्थक्य सिद्ध
करनेको महापुरुषार्थतया किया है. फिर भी उस वाक्यलम्बे एक सत्य, जो
बहीत सुरुद्ध रीतिसे उभरकर आया है, वह यह कि ‘निराशि’ = फलाकांक्षा-कापट्य-एहितता
को दोनों तनुजा एवं वित्तजा के साथ जोड़ना चाहिये — यों कहा गया
है. (विमश.पृ.५). यद्यपि शब्दमर्यादा यह शब्द नहीं फिर भी तात्पर्यसुरोधवा
सर्वात्मा उचित ही है. ऐसी स्थितिये वृत्त्यर्थ सेवाको धर्म्य मानना साथ ही
साथ फलाकांक्षाकापट्यहित तनुजा और वित्तजा का भी समर्थन करना “मम
माता वन्ध्या”सदृशा वदतोव्याधात है!

(५) ‘प्रेणिणि जाते’ : ‘प्रेणिणि’की सासमी वैष्णविकी,पैमितिकी अथवा सतीसमाजी
भी हो सकती है. वैष्णविकी लेनेपर प्रेमविषयक स्वदेहविनियोग — ऐसा अर्थ
होगा. पैमितिकी लेनेपर भगवत्तेमोपलब्धिनिमितवशात् भगवत्तेवामे स्वदेहविनियोग
— ऐसा अर्थ होगा. अथवा सतीसमाजी लेनेपर भगवत्स्वामे स्वदेहविनियोग होनेपर
प्रेम प्रकट होता है. प्रेम होनेपर वित्त भगवत्वरण होकर मानसिसाकाके हेतु
समर्प बनता है. वृत्त्यर्थ प्रेम तथा प्रेमार्थ वृत्ति के बीच महान अन्तर होता
है. पतित्रता गृहवधू स्वपत्निसेहार्थं पोय बन कर पतिवित्तेपांजीविनी होती है.
जबकि दुश्चित्रा वारवधू आजीविकार्थ विद्वदाताको प्रेम करती है. स्पष्ट है कि
फलाकांक्षा-कापट्य-एहित जब तनुजा वा वित्तजा नहीं होती तब तो अभिलिप्त
भेट-सामाजीलूप फलालाभार्थ अवका पीठाधीशत्वरूप प्रतिष्ठार्थ ही चित्त तद्यवण
बनेगा, वह भगवत्वरण नहीं बन पायेगा. इसका स्पष्ट उदाहरण विमर्शकारके
इस विधानसे मिलता है — “प्रेणिणि के लिये की जेवाली सेवा...महद्विमूर्य
भक्तियोगकी दृष्टिसे उपर्यम है या नहीं समिदध है. परन्तु उस दृष्टिसे वह
परम्पर अवश्य है” (पृ.५७-५८). इस स्वीकारोक्तिके बावजूद न केवल सुरक्षी
हेवतीमें स्वनिर्वाहार्थ दर्शनार्थियोंकी भेट-सामाजी स्वीकारी जा रही है प्रत्युत आलोच्य

विमर्शग्रन्थमें उसका निर्लिङ्ग समर्थन और किया गया है। जबकि श्रीमद्भगवत्में स्पष्ट कहा है—“विधम् परधर्मश्च आभासः उपमा छलः, अर्थमाणाखा पञ्चेषां धर्मज्ञोऽधर्मवद् त्वजेत्, सुनुष्टुप्सां निरीहस्य स्वात्मारामस्य तत्सुखं-, कुरुस्तकामलोभेष धावतोर्थेह्या दिशः ॥” (भा.७।५४।२,६).

परधर्मनिष्ठानका अभुगेन यदि धर्मस्थानोंते शुरु हुआ तो कल वैष्णव अन्याश्रय भी कलनेकी छूट लेंगे; “शिवदुण्डाण्पतिभजनं उपर्धम् नहीं है” कहकर, जैसे गोस्वामिसजातीयभूवर्ण गोस्वामिओंके बैटीजीज्ञावा परिणाहण करते हैं तो वह भी उपर्धम् कहा है? सो उसमें दोषुभूदि खतम हो जायेगा। वैष्णव भी पाणिग्रहणका प्रस्ताव लेकर आने लगेंगे! इतना अविचारित विधान कैसे कोई धर्मचार्य कर सकता है—यह विस्मयका विषय है!

(६) ‘सा भवति’ : ‘सा’का अर्थ मानसी सेवा या भगवत्प्रवणता यथेष्टुत्या लिया जा सकता है। इस तरह अत्यधिक विवादास्पद ज्वे अंशकी विवेचनके बाद श्रीध्वंभुवरणीताकालीन सभी मान्य व्याख्याकारोंद्वारा विशेषत्वेष्वानीय अंशोंके मननार्थ अब प्रवृत्त होना चाहिये।

(III) प्रशुचरणोत्तरकालीन व्याख्याएँ

(१) स्वसिद्धान्तविनिश्चयः यहां श्रीगोकुलनाथजीने ‘विनिश्चय’के ‘वि’उपसर्गका तात्पर्य साकाश श्रुतिनिरूपित अर्थका ही निरूपण श्रीमहाप्रभु करना चाहते हैं — इस अर्थमें लिया है। इसी तरह ‘स्वसिद्धान्त’प्रदात ‘स्व’का तात्पर्य स्वपत्न श्रुत्यर्थ ही है ऐसे प्रयोगनवश स्वीकार है। यही बात श्रीकल्याणराजजीने भी स्वीकारी है। श्रीपुरुषोत्तमजीके अनुसार ‘शास्त्रः’ काण्डद्वयात्मक वेद अथवा तदर्थेनिश्चायक वेदान्त है। (‘तद्)-अर्थ= प्रयोजन या तात्पर्य के बावेंमें संशयनिरपाप्ये प्रकृत उद्देश श्रीमहाप्रभु दे रहे हैं हैं तत्पश्चात् द्वितीयस्कन्ध-एकादशाक्लन्धोत्त भक्षिके संदर्भमें यह सारा निरूपित हुआ है ऐसा विधान करते हैं स्पष्ट है कि यह आजीविकार्थ उद्देश ही नहीं सकता। श्रीवल्लभजीने ‘शास्त्रार्थ’तया गीताभागवतार्थका परिणाहण किया है। श्रीलालूभृतीयों श्रुतिरात्पूर्समाधिभाषापूर्व शाश्वते सिद्ध स्वकीय सिद्धान्तके निरूपणार्थ प्रकृत उद्देशारंभ मान्य किया है। श्रीलालूभृतीयों श्रीविल्लभराजीकी तथा श्रीनीरसंतालजीकी टीकाएं क्रमशः गुरुरतीभासा तथा ब्रजभाषामें श्रीपुरुषोत्तमजीके प्रकाशका ही अनुवाद हैं या सार हैं सो यथाविकित सन्देहनिसार्थ ही उनका उद्धरण दिया जायेगा।

(२) कृष्णसेवा : श्रीपुरुषोत्तमजीने यहां स्पष्टीकरण दिया है कि कृष्ण पद्मद्वा, भूमिद्वा कृतनियविद्युख्यप होनेसे परमफलरूप है। ऐसे फलात्मक भगवान् कृष्णकी

सेवाको फलवृद्धिसे करना सिद्धान्त है। (अर्थात् आजीविकोपार्जनके साधनतया नहीं — यह पृष्ठलान्यात है)। साथ ही साथ श्रीपुरुषोत्तमजीने यह खुलासा भी दिया है कि मोक्षपर्याप्त उपर्धमाख्योंमें उपेक्ष्यवृद्धि जगानेवाली भक्तिलक्षणा सेवा है। (अर्थात् वित्तप्रतिवादि क्षुद्र लाभोंके हेतु उसका प्रयोग स्वरूपविद्यातक ही होगा)। श्रीवल्लभजी करते हैं — फलरूप श्रीकृष्णकी स्वतःपुरुषार्थत्वधर्मविच्छिन्नसेवा कृति स्वसिद्धान्त ही नहीं — यह समझ लेना चाहिये। श्रीद्वजनाथजीने अतीव महत्वर्ण स्पष्टता “कामप्रयत्नयोः एकविषयत्वे” के रूपमें स्वतःपुरुषार्थताको परिभाषित किया है। ऐसी स्थितिमें ऐफलेंट छापक दर्शनार्थियोंको आकृष्ट करनेका प्रयत्न वित्तविषयक हो और कामना भावात्मेवाविषयिणी हो अबहा प्रयत्न भावात्मेवाकरण हों और विमर्शकरोत्तरतिसे कामना वृत्ति करनेवाली हो। अर्थात् प्रयत्न भावात्मेवा करण हो और कामना वित्तविषयिणी हो तो उक्ती स्वतःपुरुषार्थता स्वतः ही छापित हो जाती है। श्रीलालूभृती भी मोक्षावधि पुरुषार्थोंके तुच्छ मानकर भावात्मेवामें प्रवृत्त होनेकी बात कर रहे हैं। श्रीद्वाकेशजीने यहां फलात्मक श्रीकृष्ण और फलात्मिका कृपासेवाके बीच कार्यकरणमाव अर्थात् जन्यजन्मकभाव संबंध भी निरूपित किया है। स्पष्ट है कि दोनोंमें भेद दिखलानेके लिये यह निरूपण नहीं प्रत्युत अभेदनिरूपणार्थ ही है। जैसे सर्वनिर्णयमें श्रीमहाप्रभुने “अनिहोत्रं तथा दर्शारूपामास...क्रमात् पञ्चविधो हहि तत्साधनं च स हहि प्रयाणादिसुगादि यत्” (सर्वनं१२३) द्वारा कर्मकी ब्रह्मात्मकता समझाई है। वैसे ही यहां भी कृष्णसेवाकी कृपात्मकाताका अभिप्राय समझना चाहिये। अतः आजीविकार्थ कृष्णसेवा आजीविकार्थ कृष्णविक्रीयोपम ही होता है। “तत् स्वविक्रेतरि विक्रद्यसाध्यातिरिक्तं फलं न प्रयच्छति。” न्याय यहां भी अनुसूचय है।

(३) ‘सदः’ : श्रीगोकुलनाथजीने सभी जीवोंका सहजादासत्त्व है इसमें संकुचितवृत्तिसे आसुलोजावातिरिक्त सभी जीव सहजदास हैं यह दिखलाया है। ‘सदः’पदकी उत्थनिकामें अंशी परमतामाके अंश होनेसे जीवात्माके आत्मस्वरूपविचारवश सेवाकी सहज कर्तव्यताका निरूपण किया है। अर्थात् किसी कालिक निमित्वशात् नहीं प्रत्युत जीवात्माके साहजिकस्वरूपविचारवश सेवाकी कर्तव्यता है। अतएव जो जीव सेवा नहीं कर पाते उन्हें ‘आसुर्’ इसी अंशमें कहा जाता है कि उनका सहज स्वभाव अन्य अर्थ-कामादि सम्पादित करनेकी अहंता-ममतासे ग्रस्त हो गया है — ऐसा श्रीपुरुषोत्तमजीका तात्पर्य है। श्रीवल्लभजीने यहां यह स्पष्टीकरण विशेषतया दिया है कि ‘सहजं पदमें ‘ज़’का अर्थ ‘जन्य’ न सेकर ‘सहत’लेना चाहिये, क्योंकि नित्य होनेवें कारण जीवात्माके जनन-मरण होते नहीं। ‘सहज’ यानि सहजात नहीं परन्तु सहस्राक। अतः जैसे जीवकी

सत्ता जीवसे पृथक् नहीं उटी तरह दासत्व भी उससे पृथक् नहीं हो सकता। इससे स्थृत हो जाता है कि वृत्त्यर्थ भगवद्गात्मा संभव नहीं; भगवद्गात्मावार्थ वृत्ति हो सकती है। दासत्वम् ही सेवा है। शाश्वतीय कर्म देहाधिकारक कालाधिकारक है। एक ही जो कर्म ब्राह्मणदेहोपेत होनेपर हम कर सकते हैं वह शूद्रदेहोपेत होनेपर नहीं कर सकते। एक ही ब्राह्मण जो कर्म गृहस्थाश्रममें सकता है वह ब्रह्मचर्य या सन्यासाश्रममें नहीं कर सकता। ऐसा देहाकलारिच्छेद भगवत्सेवामें नहीं है। अधिकामासके कालमें रूपे ऐंटोंके लिये अधिकामासका माहात्म्य अब पुष्टिमार्गमें दिखलाया जाता है — वह अन्य कथा है। अन्यथा “न कालोन्नियामक” वचनका क्या होगा?

(४) ‘कार्य’ : यहां व्याख्या करते हुए श्रीमुखोत्तमजी कहते हैं कि सेवा करनी आवश्यक है यह ‘कार्य’ कहकर सूचित किया। वहां आवश्यक वह होता है कि जिसके एक बार किसी भी रूपमें अवगत होते ही बादमें उसके न होनेपर हमारा अनिष्ट हो जायेगा —ऐसा भाव ममें जगना, अथवा ऐसी कोई बात कर पाना। किसी भी बातके आवश्यक होनेका यह केवल मतलब नहीं होता कि वैसा करनेकी हरें अमुलंघनीय आङ्गा मिली है। कृपासेवा हमारा आवश्यक करती है अतः न करनेपर हम प्रत्यवायी अर्थात् भक्तिमार्गसे छूट हो जाते हैं। अतः अपने आपके बारेमें “मैं भगवद्गाता हूँ” ऐसा भाव रखते हुए सेवा स्वतन्त्रपूर्णार्थ (अर्थात् वर्धमानकामोक्षमेंसे किसी भी एकके साथनतया नहीं; आजीविकाके लिये तो नहीं ही) है। अतः दास होनेके नाते आवश्यक धर्म मानकर सर्वदा सेवा करनी चाहिये। श्रीब्रजनाथजी और श्रीद्वारकेशजीने एक बहोत सुन्दर स्पष्टीकरण दिया है कि वैसे तो मानसी सेवा जीवकृतिसायां नहीं, जैसे अलौकिकसामर्थ्य भावानके द्वारा प्रवाना करनेया ही सिद्ध होता है अन्यथा नहीं वैसे। मूलमें श्रीमहाप्रभुद्वारा ‘कार्य’ ऐसे विधिवचनका प्रयोग करना तथा नहीं करनेपर जीव प्रत्ययार्थी बनता है ऐसा विवृतिमें प्रभुचरणद्वारा स्पष्टीकरण देनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि पिता-त्रुट अपने शरणार्थी जीवोंके सेवा कर पानेका वरदान दे रहे हैं। (इसे यह सिद्ध होता है कि जो देवलक भगवत्स्वरूपनिमित्क स्वसंदर्भक कित्तका विशोवार्जन कर रहे हैं वे देखों ही “मेरे हाथों से देवद्रव्य कबूल न खायगो अह खायगो सो महापतिव व जायेगो मेरो नाहि कहवेगो” धोषणाके अनुसार श्रीमहाप्रभु-प्रभुचरणद्वारा पुष्टिमार्गबहिकृत ही हैं।).

(५) ‘मानसी सा पण मता’ : श्रीगुलनाथजीने यहां एक स्पष्टीकरण यह दिया है कि ब्रजभक्तोंके भजनप्रकारसे अतिरिक्त किसी प्रकारसे मानससेवाकी

भी कलरूपता नहीं है। (ब्रजभक्तोंने प्रदर्शनार्थ आजीविकार्थ या पीठाधीशत्वप्रतिष्ठालाभार्थ भगवत्सेवा नहीं की थी अतः मानसी भी किसीको ऐसे विचित्र प्रकारसे सिद्ध हो गई हो तो उसे फलरूप नहीं मानना चाहिये) साथ ही साथ यह भी खुलासा श्रीगुलनाथजीने दिया है कि क्योंकि सर्वामिभाव एक मनोर्धम है अतः सर्वामिभावपूर्विका सेवाका मानसी होना उचित ही है।

श्रीपुरुषोत्तमजीने यहां प्रश्न उठाया है कि देवदानोषजिका पूर्वोन्तराकारकायादिव्यापारुपा क्रिया ही यदि सेवा हो, उदाहरणतया राजसेवा या गुरुसेवा, तो उसका सर्वदा अनुष्टुप् शब्दन शब्दन ही नहीं। इसका समाधान, परतु, यह है कि वैसे तो सेवाके, काहिंकी वाचिकी और मानसी के रूपमें विविध होनेपर भी, विचार करनेपर, बाहु एवं आवश्यक होनेके रूपमें दो मुख्य प्रभेद हैं। यहां आपन्तरी मानसी बाहु सेवाकी फलरूपा है और बाहु उसकी साधनरूपा है। यह बाह्याकायिकी-वाचिकी सेवा अवान्तरकरणरूपा है सर्वदा अवश्यकर्तव्यताक। अतः साधनरूपा बाह्या सेवाका पुष्टुप् आवर्तन ही उसका सदा कार्य होना है। मानसी तो स्वयमेव भावानके प्रति अविच्छिन्न मनोगतिका होना है, जो बाह्यावर्तसे सिद्ध होगा। श्रीब्रजनाथजी कहते हैं कि दास्यमर्थविशिष्टा साधनरूपा सेवा होती है तथा सर्वांशें कृपासंबंधविशिष्टा होनेपर फलरूपा मानसी होती है। उदाहरणतया जैसी सेवा ब्रजगोपिकाओंकी थी वही मानसी सेवाका स्वरूप है। प्रभुचरणपे भगवद्वचनको उद्धृत करके जो ब्रजगोपिकाओंकी सेवाका निरूपण किया है उसमें “मयनुसंबद्धिय” अंशसे साधनरूपा सेवाके अनुवादार्थक “तानाविद्वन् स्वमातामनमदस्त-धेदू” अंशद्वारा उस सेवारूपा सेवाके अन्यानुसंधानरहित होनेपर मानसीत्व संपन्न होनेका विद्यान किया जा रहा है।

दूसरे शब्दोंमें भगवदासकिलवशात् जब प्रपञ्चविस्मृति हो जाये तब उस भगवदासकिल्को व्यसनदशापन मानसी फलरूपा अलौकिक सामर्थ्य समझना चाहिये। इसे ही निरोधके रूपमें भी परिभासित किया गया है। यहां इस सन्दर्भमें यह अवधेय है कि भगवत्सेवोपाधिक अहंता-ममताका तो प्रपञ्चविस्मृतिपूर्विका भगवदासकिल्में पर्यवसान हो सकता है परन्तु पीठाधीशत्वरूपप्रतिष्ठालाभार्थिका अहंता तथा शिव्य-विशेषणाजनिका ममताकी पोषिका भगवदासकिल्का प्रपञ्चविस्मृतिमें पर्यवसान शब्द नहीं।

(६) ‘चेतस्तप्रवणं सेवा’ : यहां श्रीमुखोत्तमजी कहते हैं कि मूलमें मानसीका स्वरूपनिरूपण “चेतस्तप्रवणं सेवा” द्वारा कहा। यहां ‘प्रवण’के कोशार्थविचारवश प्रवणताकी तीन अवस्थाएं दिखलाते हैं कि चित्त पहले कुछ भगवानकी तरफ झुकता है या मुडता है, बादमें भगवानके अधीन हो जाता है; और तब भगवद्वेतान् वृत्त्यन्तरहित तत्त्वीन हो जाता है। भक्तिवर्धनीमें इन्हीं तीन अवस्थाओंको

प्रेम आसक्ति और व्यसन कहा गया है। श्रीलालुभट्टजीने यहां सर्वधृथम 'तद्वर्णं' में प्रयुक्त 'तद्'पदको 'कृणसेवा'नार्ति 'कृष्ण'पदका परामर्श माननेकी उपराति दी है। अतः चिरकाल कृष्णप्रवण होना ही कृष्णसेवा है। एतदर्थं अनिमित्ता स्वाधाविकी मनोवृत्तिरूपा भागवती भक्ति होती है। (अतः आजीविका = वृत्तिनिमित्तवशार्था अनुर्ध्वायमाना कृष्णसेवा अपने स्वरूपलक्षणसे चुन्न दो जाती है)। श्रीलालुभट्टजीने ऐहिक या पारलौकिक किसी भी फलकी आवाहा रखे बिना भगवानके साथ मन जोडेनेवाला भजन भक्ति है इस अशायकी कृष्ण भी उद्घाट की है। तद्वुसास विनार्थं तु ज्ञा सेवा भक्ति ही नहीं रह जाती तो अगेकी तो बात ही क्या? 'भज्'सेवायाम् से 'भक्तिं'शब्द बनता है जो भक्ति पुण्योत्तमके बोर्डें अहंकुरी क्षेत्र और अव्यवहिता दोनों चाहिये —ऐसा उल्लेख किया गया है। अतः 'भक्तिं'पदसे मुख्यतया नामसी सेवाका बोध स्वीकारा गया है।

श्रीद्वारकेशजीने यहां उदाहरण दिया है कि जैसे मोती या मणि में धग्गा पिरोते हैं वैसे भगवानीयका चित्र भगवानमें पिरोता हुआ बन जाता है। भगवानमें अथवा भगवानका प्रसन्न कलेवाले व्यापारमें चित्रका इस तरह प्रवण होना कि भगवान्, मुक्तामणि जैसे धग्गाके अंधीन बन जाती है ऐसे, भक्ताथीन बन जाये — यह समझाया जाए।

(५) 'उत्तरसिद्धैर्य तवुत्तिजाग' : आधुनिक जीवात्माओंका तो द्रव्यभक्तों जैसा उत्तमाधिकार नहीं है सो तन्मात्रावर्तक आचार्यचण्डारा उपदेश प्रकाररे की जाती सेवा निरपेक्षगी हो जायेगी। इसके समाधानार्थी श्रीपूरुषराजने 'उत्तरसेवासाधने' पदका प्रयोग किया है — ऐसा श्रीगोकुलनाथी कहते हैं। अतः वैसा अधिकार न होनेपर भी श्रीमदाचार्यतप्तकास्ते सेवा करनेपर वह फल मिलता ही है। यह यह अवधेय है कि 'उत्तरसेवासाधने'के द्विवचनका बाबेला मन्त्रवाले 'कृपायासेवायाः'एकवचनके बारेमें कुछ नहीं बोलते। आचार्य-पूरुषज्ञोक्तप्रकार तवुत्तिजागका ही होनेसे स्वीकृतिक भावस्प्रदानक अथवा भगवन्निमित्क स्वपुंप्रदानक परिवर्तका परिणह करके जो तनुजा सेवा करते हैं वह सुख अपसिद्धानभी कब्जा ही करते हैं।

आयुनिक पुस्तकोंमें ब्रह्मभक्तों जैसी निरुद्धता यदि न हो तो भगवत्सेवन निरलयोगी सिद्ध होएगा इसी आपातिके परिहारार्थ श्रीगोकुलनाथी श्रीमदाचार्यचरणकी कृपाको भी एक सहकारी कारणके रूपमें प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात् श्रीनिवासी अवस्थाके बिना भगवत्सेवा अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। आजनिवासीकार्य की जाती तुवजा अथवा प्रतिकार्य या प्रायचित्तार्थ की जाती विरजाकी तो क्षुद्र निन्दनीय कथा है परन्तु यथोत्त तुवजाका भी अनुपयोगी ही रहती यदि श्रीमदाचार्यचरणने कृपा करके “ब्रह्मेण दिया रहा” (पु.प्र.म.१५) “उभयोरभावे श्रवणादीनां पापनाशकत्वं धर्मसंवं वा ननु भक्तिमार्गः” (निब.प्रका. ११०२) वचनंद्वारा

पापनाशक केवल क्रियारूप पुरुष्ठार्थिका उपदेश न दिया होता। अतएव श्रीगोकुलनाथजी कहते हैं कि क्रब्धभक्तोंकी तरह हमारा चित्त भावदैप्रयावण न भी हो तरह भी श्रीदाचार्यरचनाओंका - आत्मविनेदनपूर्वक (सि.र.) स्वगृहीम् (भ.व.) भार्यादि सकल परिचारकोंके निवेदन-समर्पणपूर्वक (निब.२१३१) भावप्रदशनपूर्तिहित (आगु.भा.) प्राप्त होनेपर शास्त्रोक्त स्ववाणीग्रामाचारका यथाशक्ति निर्वाह (निब.) स्वकीयतातु तथा स्वकीयवित्त से कृष्णसेवात्मिका - क्रियामात्रका अनुष्ठान करेंगे तब ही चित्त उस अवस्थाको प्राप्त हो पायेगा।

फलतः विचारणीय है कि इस क्षितिजारके अनुदानमें भी श्रीमदाचार्यवर्णोक्त प्रकारसे वैपरीत्य बतानेपर तो उस क्रियाका स्वरूप भी खण्डित हो जाता है। अतएव दत्तविज्ञा सेवाका श्रीगोकुलाश्रमीको अधिष्ठित प्रकार तनुजा एवं विज्ञा के पार्थक्ष्यपूर्वक नहीं — यह सिद्ध हो जाता है। श्रीकल्याणरायजीने इस अंशपर यहां कठ विशेष विवेचन दिया नहीं है।

श्रीपुरुषोत्तमजीने यहां एक अतिशय महत्वकी बात समझाई है और वह यह कि यहां उपदेश्यमान कर्तव्यका मूल श्रीमद्भागवतके ये स्लोक हैं:—

भक्तियोगः पैदेवोक्तः पीयमाणाद्य त्रेजनघ

पतञ्ज कथयित्वामि मदभवते कापाणं प्रम ॥

श्रद्धामतकथायां मे शशनाद्वकीर्तिम् ।

सर्विष्य त च जायां स्वविभि स्वतन्त्रं पाप ॥

पारमठा व पूर्णावा सुरामः स्तवम्
आदा एतिर्यां गवीषेषित्वा।

आदरं पात्रचयाद्या स वाग्मी मवन्दनम्।

मदभक्तपूजाभ्याधका सवभूतेषु मन्मातः ॥

मदथप्वगचष्टा च वचसा मदगुणरणम् ।

मध्यपण च मनसः सद्वकामाविवर्जनम् ॥

मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च ।

इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थ्य यद् ब्रतं तपः ।

एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्भवात्मनिवेदिनाम् ॥

मयि सञ्जायते भवित्तिः कोन्योऽर्थोऽस्यावशिष्टः

यदात्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबंहितम् ॥

धर्मज्ञानं सवैरपायम् ऐश्वर्यं चाभिपद्यते ।

यदर्पितं तदिकाले इति॒यै परिधानति ॥

ग्रन्थलं जामनिषं चिरं विदि विर्यम्॥

रजस्तह पासान्धु विरु विषवद्वन्।
भर्त्ये प्रत्यक्षिणि लिपेऽप्य तां है—

धर्मा मद्भावतकृत् प्राकृता ज्ञान चकात्यदशनम् ।
प्रोक्षेण ते तैवैर्विद्विषये ॥

गुणवत्सगा वराग्यमश्चय चाणमादयः ।

इनमें कहीं भी भक्त्यर्थ पौरोहित्यकी अनुमति दिखलाई नहीं देती।

यद्यपि यहां एक शंका यह अवश्य की जा सकती है कि इन श्लोकोंमें तनुवित्तजाका भी तो कहीं निरूपण नहीं है, प्रत्युत 'तुजा' = 'मदर्भेश्वगचेष्टा' तथा 'वित्तजा' = 'मदर्भेश्वरित्यागा' — इस तरह पृथक-पृथक ही प्रतिपादन हुआ है। समानतया, परस्तु, सावधानीर्वैक यह विचारणीय है कि केवल विज्ञा अर्थात् स्वकीय-तनुसाहित्यके बिना अथवा परकीय तनुसाहित्यके बिना तो कृत्यही ही नहीं। अब सेवाका तनुवित्तजा होना तो मानसीकी सिद्धिसे पूर्व सर्वथा-सर्वथा-सर्वथा ही दृष्टिरिह है — इसमें किसी भी तरहके अन्यथाकल्प, विकल्प या अनुकल्प की संभावनाकी गंभीरी नहीं है।

अन्यथाकल्प विकल्प या अनुकल्प शब्द है इस पक्षमें कि अनुष्ठीयमाना तनुवित्तजा स्वकीय वित्तसे ही करनी चाहिये, जो श्रीहाप्रभु-प्रभुचरणप्रभूर्ति प्राचीन प्रथकारोंके द्वारा उपलिङ्ग मत है; अथवा परकीय वित्तसे ही, जिसकी लालसाके विवाह गोस्वामीगण दर्शनार्थियोंके समय भावत्सेवाप्रदर्शनोंको अपना भावत्सेवावसे भी प्रमुख त्रयस्कर सर्वार्थ मानते हैं; अथवा उभयके वित्तसे, अर्थात् दर्शनार्थियोंके भी तथा स्वयंके भी, अथवा अनुपके, अर्थात् कराणानसे बचनके चक्रमें स्वप्राणन्तर वित्तके देवस्वरीकरणकी दृष्टिनिर्मितिकी प्रक्रियादे; अथवा इनके विवेक रखनेके अग्रहोको भावत्सेवाविरोध मानकर अन्यतरके वित्तसे भी यथाकथित् सेवाप्रदर्शन चालु रहना चाहिये, क्योंकि आज अधिकांश पुष्टिमार्गीयोंकी, विर्माणकारसहित, यह धारणा अतिरिक्त है कि भावत्सेवाप्रदर्शनिके अभावमें पुष्टिमार्गीच्छद हो जायेगा। मानो पुष्टिमार्ग पुष्टिमार्गी पुष्टिमार्गी पुष्टिमार्गीच्छद हो जायेगा। भजनरूप विश्वधर्म(!)के सार्वजनिक प्रदर्शनका ही मार्ग हो।

परन्तु विर्माणकाप्रमुख सभी पुष्टिमार्गीयोंका कर्तव्य है कि उल्लिखित श्लोकोंमें तथाकथित पृथक-पृथक तनुजा एवं विज्ञा का वर्णन जैसे उनके द्वारा खोजा जा रहा है, वैसे ही अनुनिक पुष्टिमार्गीयोंको प्रभुके ये वचन भी खोज रहे हैं कि "मर्याणं च मसः सर्वकामविवर्जनं, यदात्मन्यापितं वित्तं सान्तं सत्त्वोपवृत्तिम्, धर्मज्ञानं सर्वैरायथ् ऐरप्य चाभिपद्यते, यदर्पितं तद्विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति, रजस्वलं चासनिष्ठं वित्तं विद्धि विपर्ययम्"। अतः मूल वात न मानसी सेवानी रह जाती है और न तनुवित्तजाकी अथवा तनुजा या विज्ञा की ही! मूल वात है सर्वविध (अर्थकाली-पीडीधीश्वरित्यापूजा आदि-आदिकी) कालानाओंसे विवरित वित्तको भावत्सेवण बनानेकी, एतदर्थं न केवल "मदर्भेश्वगचेष्टा" अर्थात् अहंतात्मित्यागविषयक — "मदर्भेश्वपतिर्ह" नहीं किन्तु "मदर्भेश्वपतित्यागः" अर्थात् ममतापरित्यागविषयक ही केवल उपदेशवचन नहीं है अरितु भगवदरथक भोग-पूज-परित्यागविषयक भी उपदेशवचन हैं। वित्तको आत्मापर्ति = भगवदर्पित रखनेके

बजाय जब कोई आत्मविकल्प = भगवद्विकल्पोंमें अर्थात् भगवत्स्वरूपको धर्मोपायतया अर्थोपायतया कामोपायतया या मोक्षोपायतया इष्ट मानकर जब तादृशाविकल्पार्थं अपरित करता है तो भगवद्वन्नप्रामाण्यामुखोधवश ऐसे वित्तके रजस्वल असनिष्ठ विपर्यस्त मानना पडता है। इसी भगवदभिग्रायके विचारवश प्रभुचरणने कहा है — "वित्तं दत्वा अयम् पुरुषेण कृत्वा करिता एका एताघृषेन धुंसा कृता च अपरा, एताघृष्यौ ते तत्साधिके न इति अभिग्रायज्ञापकं समस्तं पदद्" और इसी विवृतिके आशयका अवगाहन करते हुए श्रीपुरुषोत्तमजीने सुष्टुप्त कहा है कि सेवार्थ वित्तपरिदान राजसभावोपर्हीपक होता है तथा सेवार्थ वित्तपरिहार अविहित होनेसे निष्कल कर्मार्थ कालक्षेप है। अतः सिद्धान्तमुकावलोके उपदेशोंगो भनित्वर्विती तथा निरोधलक्षणके उपदेशसे समन्वित करके देखना हो तो यों कहा जा सकता है :

- (क) प्रपञ्चमाहात्म्यवाचनरहित भगवन्माहात्म्यज्ञान
- (ख) प्रपञ्चवस्तुसनिहित भगवद्विष्टिर्विका तनुवित्तजा
- (ग) प्रपञ्चासक्तिहित भगवत्सेवार्थिका तनुवित्तजा
- (घ) प्रपञ्चप्रेरितहि भगवत्सासक्तिर्विका तनुवित्तजा
- (ङ) ड्रप्रपञ्चरसिहित भगवत्सेवाप्रसूर्विका तनुवित्तजा।

इस पांचवीं अवस्थाको प्राप्त भगवत्सेवा अंतर्में भगवत्सेवाको कृतार्थ बनानेवाली सर्वांत्मावाह मासी सेवा या प्रपञ्चस्त्रिपूर्वक-भगवद्वस्यनाभावापन वित्तकी तल्लीवाहामें पर्याप्तित होती है। यहां हम स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रापञ्चिक लाभपूजाके व्यसनोंसे व्यसनोंसे प्रतिष्ठाता अर्थात् राजस अहंताके पोषणार्थ ही अथवा अर्थोपर्जोपरिक लाभ अर्थात् निष्कल ममताके पोषणार्थ ही हैं। ऐसी प्रापञ्चिकव्यसनवटी अंतं-ममता न हो तो 'तनुवित्तजा'के अनुमानोंमें विश्वही आवश्यकता ही नहीं। व्युत्पत्तिबोधमें विग्रह तो निर्दोष हो ही सकता है।

इसके अलावा श्रीपुरुषोत्तमजीने तो समृद्धया यहां श्रीमद्भुवरणप्रिवृतिके द्वारा प्रयुक्त 'उत्सेवासाधनं' द्विवचना पुनः श्रीमद्भुवरणाभिग्रायके अन्यथानयनकी सभावनाकी भीतिके वश तथा श्रीगीताभगवतादि शास्त्रीय संदर्भपूर्वोधवश भी पुनः एकवचनमें विभक्तिविपरिणाम किया है : "यद्यपि एकादासस्कथे 'ुनश्च कथयिष्यामि मद्रक्षेः कारणं परम्" इति उपक्रम्य "एवं धर्मेन्मुख्याणाम् उद्भवात्मिवेदिनाम् मयि सञ्जायते भक्तिः" इत्यतोकतीत्या क्रियमाणं साधनं (ननु साधने) तत्परिकदशायां तु स्वेहन क्रियमाणं तत्साधनम् (ननु साधने)। तत् (साधनं ननु साधने) चेत् वित्तं वेतनवेतन दत्वा कायते तदा चित्तस्य राजसत्वं कुर्वन्ती विचार्य तत्प्रवणत्वं न करोति।"

यहां सर्वत्र एकवचनसे साधनाभिधान हो रहा है, द्विवचनसे नहीं।

वैसे यह कोई बहोत बड़ी बात नहीं है क्योंकि एकवचन द्विवचन या बहुवचन वस्तुस्वरूपानुरोधवशा नहीं प्रयुक्त होते किन्तु बहुविवेचानानुरोधवशा ही। (द्रष्ट) “‘द्विक्षेपोः द्विवचनैवकचेन बहुषु बहुवचनम्’ सूत्रेण... द्विवचनश्चामां द्विवचनस्य कवचनं सिद्धचर्ति इति” इत्पाणी म.म. विश्वदत्तविद्विदिता।) परन्तु यह तो ‘उत्तरसेवासाधने’ में प्रयुक्त द्विवचनका बावेला मचानेवालेके केवल प्रतिक्रियान्वयी है।

महत्वर्थी तो यहां यही है — सेवार्थ वित्तदानसे अग्रिष्ट राजसत्वभिवृद्धिप्रयत्नित तथा सेवार्थ वित्तप्रतिग्रहसे निफलत्वप्रसन्नित ही सर्वविध कुविमर्योपशमनी है। विमर्शकाद्वारा पृष्ठ ४५-६ तथा १०४-१३२ पृष्ठोंपर भी विस्तृत विचार इस विषयमें किया गया है जिन सबका उत्तर तो यथावध्य ओडाक्सीडनक्सीडिविभागमें तत्त्व अंशोंकी हैं।

(१) विमर्शकार वित्तप्रदानके अनेकविध शास्त्राभिमत प्रकारोंसे या तो सर्वथा अनवगत हैं या अधीत विषयोंको भूल गये लाते हैं या स्वार्थवैध जानवृत्त कर वास्तविकताके छिणाना चाहते हैं। अन्यथा अविभक्तस्वत्ववालोंका एकदूसोंको पतिद्वारा पत्नीको सेवार्थ दिये जाते वित्तदानके वारण करनेकी आवश्यकता ही क्या थी? तिसपर भी मुखिया-भीतिरियाकी बटालियनको पागाके रूपमें दिये जाते होता है; आजीविकार्य नहीं — ऐसा और कहते हैं। इससे अधिक अकाण्डताण्डव और क्या हो सकता है?

यदि सेवार्थ वेतनमुद्धि रखकर वित्त देने-लेनेपर ही दोष होता हो; अन्यथा धनहीन या धनलोलुप गोस्तामी महाराजोंको मुखिया या भीतिरिया के रूपमें नियुक्त या २००० भेट धर दी जायेंगी” तो वह आचार्यविशजोंके स्वरूपविचारसे निन्दनीय कथा होगी कि अभिनन्दनीय? क्योंकि बनियाके घरमें भी तो भावत्सेवा करने करनी और पराहमें नहीं करनी ऐसा तो नहीं। और भावत्सेवा स्वतुहमें ही स्वीकारा नहीं है। इस तरह गोस्तामी महाराजोंको मुखिया-भीतिरियाके रूपमें नियुक्त मंगलभोग-पलना-राजभोग आदिकी भोग-सामग्री स्वीकारे, हिंडोला-हूलमंडली आदिके मनोरथोंकी भी सेवा ले तो उस अवस्थामें भी, दर्शनार्थी क्योंकि परिवारजन

या गुरुशिष्यान्यतर नहीं हैं अतः, स्वयं नहीं ले सकता हो तो न लें परन्तु उसके घरों विराजमान प्रधुके लिये क्यों नहीं ले सकता उपायीकृत भेट-सामग्री? और क्योंकि बनियाके घरों बनियाकी आजारों बनियाके पुष्टिभूक्ति सतोषजनिका सेवार्थ उपाहत भेट-सामग्रीर भी बनियाका भी पूर्ण अबाधित स्वल्प तो, कुविमर्शीनिविवशा, होगा ही। अतः उससे, महाराज जैसे कीर्तनियाको देते हैं वैसे ही, वह बनिया गोस्तवामी महाराजोंका भी पापालान क्यों नहीं कर सकता है? वेतनमुद्धिसे न देकर चरणाविन्दिमें रखनेकी शर्श तो स्वीकृत है ही! यदि “कोई महाराज इने अर्थकाशमें पीछित नहीं होता अतः ऐसा प्रस्ताव स्वीकारेगा नहीं ही” यह सफाई दी जायी है, तब तो स्वीकारना पडेगा कि गोस्तामिंओंके यहां अते मुखिया-भीतिरिया अर्थकाशर्वश ही भगवत्सेवाकी नौकरी तथा पागर स्वीकारते हैं। तब तो वेतनमुद्धि अकाण्ड अकाण्ड गते प्रतित है!

(२) रही बात “‘वेतन’ वित्तदानका उपलक्षण या उदाहरण हो नहीं सकता, परन्तु ‘वित्त दत्वा’विद्यानका प्रभुचरणाभिषेत निष्कृष्ट अर्थ या विशेषण है” — ऐसे कुविमर्शीकी, तो वहां यह अवधेय है कि मैंने कभी भी इस आशयमें उसे उपलक्षण नहीं कहा कि वेतनदानकी विशेषोक्तिद्वारा वित्तदानकी सामान्योक्ति अभिषेत है। अतः विमर्शकार यहां अज्ञान एवं अनवधान से विजूलित नितान्त हास्यास्पद विद्यान कर भैरवे हैं : “‘पूर्वपूर्वियोंका कथन अप्रायाणिक है, श्रीपुरुषोत्तमजीने ‘वित्त वेतनत्वेन दत्वा’ इस वाक्यमें उदाहरणोधक ‘दत्यथा’ आदि शब्द नहीं लिखा है। अतः उहोंने उदाहरणके रूपमें ‘वित्त वेतनत्वेन दत्वा’ लिखा है — यह बात स्वीकारी नहीं जा सकती। ‘वित्त वेतनत्वेन दत्वा’ यह ‘वित्त दत्वा’का उपलक्षण है यह कहना हास्यास्पद है। क्योंकि जब मूलमें ‘वित्त दत्वा’ है ही तब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उसके उपलक्षणके रूपमें ‘वित्त वेतनत्वेन दत्वा’ वह नहीं होती लिखेगा.” (पृष्ठ १३२).

इस परमकाण्डापन हास्यास्पद कुविमर्शी बोरमें क्या कहना समझामें नहीं आता! तृतीया विभिन्नके ११ अर्थ विद्यानें स्वीकारे हैं : (१) कर्तुत्व (२) करणत्व (३) वृत्तित्व (४) विशेषण (५) उपलक्षण (६) काक्षकहेतुत्व या ज्ञापकहेतुत्व (७) फल (८) अग्रद (९) अवच्छेदकत्व या अवच्छेद्यत्व (१०) अधिकरणत्व (११) वैशिष्ट्य। इनमें “प्रमेण बाणेन हठो बालिः” की ताह कर्तुत्व-करणत्वकी तो यहां संभावना ही नहीं। इसी ताह “अक्षणा काणः” की तरह वृत्तित्व अर्थ भी उपलक्षण नहीं होगा। “इत्थेऽपूलक्षणे = कंचित्ताकारं प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्” और क्योंकि कोई भी लक्षण या प्रकार विशेषण भी ही हो सकता है या उपलक्षण भी। यथा “ज्ञायमानत्वेन लिङ्मं करणम्”के उदाहरणमें ज्ञायमानत्व-‘अतद्व्यावर्तक’विशेषण है और लिङ्म विशेषण। इसी तरह “जटाद्वि तापसः”

उदाहरणमें जटा तापसका उपलक्षण होती है। उपलक्षण “अतद्वयावृत्तिसामाधिकरण” होता है। क्योंकि वस्तुतः अनुग्रामितिरिक्तवृत्ति होनेके कारण तापसके मुख्य लक्षण तो शमदमादि ही किसी व्यक्तिको तापस बनाते हैं। शमदमादि साधानाकी प्रक्रियाओं युच्छया बढ़ी जटाएं नहीं। जटाओंके अतापसव्यावृत्तिकी अनवच्छेदिका होनेपर भी अतापसका व्यावर्तन तो जटाओंद्वारा होता ही है। अतः जटाएं उपलक्षण बन जाती हैं।

प्रक्रमें ‘वेतनव॑’को वित्तदानका विशेषण मानना या उपलक्षण — इस विषयमें विमर्शकारी किसी तरहली विप्रतिपत्ति होनी कोई अनुचित कथा नहीं। एक और विमर्शकर पृष्ठ ४ पर स्थित अनुच्छेदका अनुशीर्षक दे रहे हैं : “वेतनत्वविशेषण यह विशेषण क्यों?” और पृष्ठ ५वें तक उसकी उपरित दे रहे हैं कि वेतनत्वविशेषण वित्तदानको निषेच्यकोटिमें नहीं गिनना चाहिये क्योंकि वेतनत्वविशेषण अर्थ है, और देखिये! १०-२० पृष्ठ बाद नहीं; इसी ५वें पृष्ठ पृष्ठपर स्थित अनुच्छेदका अनुशीर्षक है : “क्रीत एवं विक्रीत सेवाएं मानसीसाधक तुजुकोंके अनर्थात् नहीं।” (!)

क्या “वेतनत्वविशेषण” और “मूल्यत्वेन = क्रयत्वेन वित्तदान” और “स्तोमत्वेन वित्तदान” और “सेवाकीत्वेन वित्तदान” और “चरणभेट-पधराबनीभेटत्वेन” और “देवलकप्रसादानार्थं मंगाला-पलाना-राजभोग-फूलमंडली-छप्पनभोगकी भेट-सामग्रीत्वेन वित्तदान” आदि सभीमें “सर्वं सर्वमध्यम्”का गुहाकृत है? यदि नहीं तो भूत्यको वास्तविक स्वामीको खेती-कारणाना-तुकान-अफिस-मकान-घर आदिका स्तोम = भाडा दिया जाता है, किसीकी सेवाप्रतिक्रिया प्रसन्न होकर सेवकीत्वेन वित्तोपहार या वस्तुपूहार सेवको दिया जाता है। गोसामी भी क्या भगवत्सेवा नहीं करते? यदि करते हैं तो उन्हें सेवकी क्यों नहीं दी जाती? यदि कहा जाये कि वैष्णव धनपति स्वयं अनन्में महाराजश्रीओंके सेवक हैं अतः महाराजश्रीओंके अनन्म सेवक तो मान नहीं सकते, तब भी महाराजश्रीको भगवत्सेवामें परायण होनेके कारण भगवत्सेवक तो मान ही सकते हैं। अतः जैसे मंदिरके मुखिया-भीतियाको प्रसादानार्थं उन्हें भी निषेच्य सेवकी क्यों नहीं दे सकते? यदि कहा जाये कि महाराजश्री गुक्त्यत्व होते हैं अतः उनकेद्वारा स्वधर्मत्वा अनुरित भगवत्सेवापर नहीं तो फिर गुरुत्वोपाधिसे ऐनिक चरणभेट—बहुधा पधराबनीभेट-प्रदेशभेट-जन्मदिनभेट-

उपनयनभेट-विवाहप्रस्तावभेट— उनके खावास जलधरिया आदिओंको खावासी-सेवकीकी भेट आदि अनेकानेक प्रकारोंमें सेवकत्वेन अनुग्रामिनी जनता स्ववित्तदानद्वारा गुरुकृप्य महाराजश्रीओंका प्रसादन तो कर ही रही है। तो “अपि कामातुरे जन्मुकेऽरक्षते मातरम्”न्यायसे केलन स्वाराघ्य भगवत्स्वरूपार्थक अतः परवित्तेषणा न रखें तो बहोत हानि नहीं होनी चाहिये। क्योंकि “पद्मव्याप्त्यभिष्यान् तथानिष्टुनि वित्तव्य् वित्तव्याप्तिवेशी च जयतेऽन्यसु योनिषु... अदत्तवानिरतः परदारोपेसेवकः हिंसकाविधियनेन स्वारोप्यूयायते” (याज्ञ.सू.प्राय.४.१२४-१२६)। यदि कहा जाये कि अन्य अनेक विधाओंसे वित्तदान करेनपर भी जब तक गोत्रामी महाराजश्रीओंके आराघ्यको देवनिमित्तक या देवस्त्रपदानक वित्तदान शिष्याण नहीं करते तब तक महाराजश्रीओंका उत्तम प्रसादन नहीं हो पायेगा। क्योंकि सेव्यस्तोषनविका महाराजश्रीओंकी सेवा किये बिना महाराजश्रीओंका मन भरता ही नहीं है। तदुपर्योगि वित्त पूर्णलिङ्गित चरणभेट अनिके अनेकानेक वित्तोपर्जनके प्रकारोंके बाबजूद उस खर्चके बोझा महाराजश्री उठा नहीं पाते हैं।

तो भी कुछ अधिक चरणभेटप्रादानार्थ, कुछ अधिक पधराबनीभेटप्रादानार्थ, कुछ अधिक प्रदेशभेटसंग्राहार्थ स्वतः अथवा स्वाक्षित समाधानियों जैसे एजेंटोंके द्वारा एंजेंटोंको प्रेरित करेनपर अधिक वित्तसंग्रह भी अवश्य शक्य है ही ही। परन्तु यदि कहा जाये कि उसमें वैसी निष्प्रहता अथवा सरलता नहीं निभेगी जैसी सरलतासे अपेक्षे ठाकुरजीके नामपर नित्य-नैमित्तिक सेवानानोरथोंकी भेट-सामग्रीके रूपमें परवित्तग्रहण करेनपर पू.पा.महाराजश्रीओंका प्रसादन हो पाता है। तब तो फिर यह निश्चित हो गया कि “देवलकप्रसादानार्थं मंगाला-पलाना-राजभोग-फूलमंडली-छप्पनभोगकी भेट-सामग्रीत्वेन वित्तदान” भी एक पृथक ही प्रकार है!

अतः “सर्वं सर्वमध्यम्”न्याय तो स्वयं विमर्शकर को भी मान्य नहीं तब “भूयसंग्रहानक वेतनत्वेन वित्तदानात्मिका सेवा” और “सेवालकप्राप्तिविक्रीतुस्मादानक मूल्यत्वेन वित्तदानात्मिका सेवा” एक ही प्रकारकी सेवा नहीं होती। क्योंकि भूय होना और विक्रीता होना एक ही बात नहीं है। ऐसी स्थितिमें मुखिया भीतियां आदि भूत्योंके दिये जाते वेतन तथा स्वाराघ्य भगवत्स्वरूपकी सेवकोंके विक्रीता पू.पा.महाराजश्रीओंको दिये जाते सेवामूल्य तथा सेवकोंको दी जाती एतनिपेक्ष सेवकी में एकवधाव कैसे किया जा सकता है? क्योंकि स्वयं विमर्शकारको ‘वेतनव॑’ वित्तदानरूप विशेष्यके विशेषणतया अभिमत है, उसे मूल्यप्रदानपूर्वक सेवाक्रत्य तो नहीं माना जा सकता। शमदमादिसाधानकी प्रक्रियाओं युच्छया अभिवृद्ध जटाओंकी तरह सेवा कर्मपूर्यत्वेन दीवामान वित्तमें युच्छया अभिवृद्ध वेतनत्वमुद्दित्या ग्रन्थुद्धि के निवारणार्थ ही यहां ‘वेतनत्वेन’ पद्व्रयमें श्रीसुरोत्तमजनि किया है ऐसा स्वीकार लेते हैं तब तो घटकुर्तीमें प्रभात हो गया। क्योंकि स्वयं

विमर्शकार 'वेतनत्व' को विशेषण नहीं प्रत्युत उपलक्षण ही मान रहे हैं, और वाक्यजूद इसके उसका प्रत्याख्यान भी करते हैं! तो जो स्वविविक्ताताथविवोधक्षम स्थितिमें शास्त्रविविति पंगीराधिवोधकी अपेक्षा तो केवल मृगतृष्णा ही सिद्ध होगी !!!

इससे सिद्ध होगा है कि 'वेतनत्व' पद वित्तदानका उपलक्षण ही है। अतः कहीं विद्यामनवा और कहीं अविद्यामनत्वा भी व्यावर्तक बन जाती हैं, ऐसे अर्थात् स्तोमलेन, मूलत्वेन, दविणात्वेन, सन्मुखभेट्वेन, सामग्रीभेट्वेन, मनोरथभेट्वेन आदि अनेकानेक वित्तदानके, प्रकार भी यहां विवित हैं ही। ऐसे स्थितिमें वित्तदान होगा। ऐसे ही उपलक्षण अर्थे लेनेपर 'वेतनत्वेन वित्तदान' का अर्थ वेतनत्वविशिष्ट अक्षयित ही सिद्ध होता है। उन अनेक प्रकारोंसे वित्तदान करनेपर वित्तशृणु तो साध ही है कि वित्तकारोंसे सेवाकर्त्त्वोपाधिसे न देकर पल्लीत्वोपाधि-पुरुत्वोपाधि-पुरुत्वोपाधि-भृत्यत्वोपाधिसे जब भी कुछ भी दिया जाता है तो वह कथान्तर महाराजीओंके प्रसन्नताएँ लिये दी जाती चरणभेटको भी 'सेवकी' ही कहना गोस्वामी महाराजीओंके छवास-जलघियाओंको दी जाती सेवकी भी 'रुपेट' ही कहलायी गुरुओंके पूर्ण स्वचवाली। इसी तरह क्वोंकि अन्तमें गोस्वामी महाराजश्री भी ब्रह्मसंबंधीवानन्तरात् भावत्वद्वयको अंगीकार कर चुके हैं, अतः "दासेनोढा त्वदासी या समि दासीविमानुयाद् यस्माद् भर्ता प्रभुत्वात्: स्वाम्यधीनः प्रभुत्वः दासस्य तु धनं यत् स्वात् यस्माद् तस्य प्रभुमतः"। (व्यवहरमयूवृ : अभ्यूयेत्य शुश्रापकरणस्थ कात्यायनवचन), अतः गोस्वामिओंको चरणभेटके रूपमें रूपमें या अन्य किसी भी रूपमें वित्त दिया जाये, सबके स्वामी गोस्वामीके प्रभु ही होंगे, स्वयं गोस्वामी नहीं, जैतीकि विमर्शकालों प्रभानि हैं।

रही वात 'वेतनत्व' के उदाहरणार्थ होनेकी, तो उसमें भी यह अवधेय दृष्टान्त उदाहरण या उदाहरण एवं काव्यामकवर्णनार्थ प्रयुक्त है। परन्तु एतावता "अपनी ममतास्यदीभूत सकल वस्तुओंको भगवानको समर्पण

करना चाहिये" विधानकी व्याख्या करते हुए ममतास्यदीभूत वस्तुओंके निरर्थनार्थ यदि कोई व्याख्याकार "पुत्रत्वेन ममतास्यदीभूत" अर्थ करता हो तो वह भी 'तद्यथा' को खोजना तो अतद्यार्थकी ही खोज है। इतनी इतनी छोटीसी बातें तो समझाते हुवे भी लज्जा आती है परन्तु करते-तिखते विमर्शकाको नहीं आती। किमाश्वर्यमत परम!! "दण्डकी दण्डत्वेन घटकारणात होती है, पार्थिवद्वयत्वेन नहीं" विधानमें अथवा "शर्कराकी शर्करात्वेन खीरकारणात है, इशुजन्यत्वेन नहीं" इन बच्चोंमें दण्डत्व-शर्करात्व कारणतासामग्रीवस्तुपरिस्फूलणार्थके उदाहरणार्थक हैं या कारणतासामग्रीवस्तुपरिस्फूलणार्थक? यदि उदाहरणार्थक तो 'तद्यथा' यहां क्यों नहीं है? यदि कारणतासामग्रीवस्तुपरिस्फूलणार्थक तो केवल दण्ड या शर्करासे भी घट या खीर उत्पन्न हो जानी चाहिये। प्रतीत होता है परम्परा अधीत शास्त्रोंमें उदाहरणतया निरर्थनका प्रभेद विमर्शकोंके पठनेमें शायद आया नहीं होगा। अस्तु।

श्रीपुरुषोत्तमजीके बाद श्रीवल्लभजी तथा श्रीद्वजनाथजीने "उत्तरसेवासाधने इतरे" की व्याख्यामें "उत्तरसेवा" मानसिरेव, "इतरे" तुवितजे" कहकर विमर्शकार और उनके सहयोगिओंको अत्यत शुद्र कुशकाशवालामनवानका अवसर तो अवश्य दिया है, इसमें सन्देह नहीं। फिर भी विमर्शकार उसपर अवलम्बित हो नहीं पाते। इसका मुख्य हस्त तो इसमें निहित है कि टिप्पणीकाके द्वारा प्रदर्शन प्रचलित पाठ " 'इतरे' = तुवितजे" के बारेमें पाठशुद्धि विमर्शकारोंप्रस्तावित की है। वैसे यदि यह अनुद्धार पाठ ही हो तो संभवतः " 'इतरे' = तुवितजे" ही अधिक सुसंगत पाठशुद्धि स्वीकारनी चाहिये, पूर्वोक्त अनेकानेक हेतुओंके कारण। फिर भी विमर्शकाद्वारा प्रस्तावित पाठशुद्धि तो स्वयं विमर्शकारोंके भी विविक्ताताथनिवेदधिविष्वित ही है।

विमर्शकारके शब्दोंमें : "यहांपर 'इतरे तुवितजे' यह शुद्धाराठ है। 'इतरे तुवितजे' यह प्रकाशित पाठ अनुद्धर है। क्योंकि 'तुवितजे'पदका लिग्रह इस प्रकार होगा:(१) तुशु वितं च तुविते, तुविताभ्यां जाता तुवितजा, तुवितजे अथवा (२) तुशु वितं च तुविते, तुविताभ्यां जाते तुवितजे। एवं च 'द्वन्द्वाते शूमार्णं परं प्रत्येकमभिसाम्बन्धयत' इस नियमके अनुसार 'तुवितजे'पदसे दो-दो तुवितजा वितजा सेवाओंका बोध होगा।" (षुष्ठ ११८)।

यहां इस विमर्शान्वयनकी सबसे बड़ी एक कोर्मडी उभरी है! विमर्शकार स्वयं यह तो कह नहीं रहे हैं कि सेवात्रीविद्यवादी सभी गोस्वामी स्वयंके वित्तका विनियोग अथवा स्वयंके तुका विनियोग अपने आराध्यकी सेवामें करते ही नहीं हैं। फलतः सेवात्रीविद्यवादी गोस्वामिओंद्वारा अनुष्ठित स्वतं-स्ववित्तजन्य भगवत्सेवा एक तुवितजा। इसी तरह विमर्शकाद्वारा सिद्धान्ततया अभिमत दर्शनार्थीओंके

द्वारा उपाहृत सन्मुखभेट तथा महेताखाना (देवीमें) जगा होती मंगलभोग* -पलना-नाजभोग-फूलमंडली-छप्पनभोगकी भेट-सामग्रीसे वित्तजा सेवा तथा मुखिया-भीतरियाकी बटालियोंद्वारा अनुष्ठित तनुजासेवा —यों दूसरी तुवितजा. अतः ‘तुवितजा च तुवितजा तुवितजे सेवे’ तो अभीष्टतम है हीं फिर भी क्यों अभीष्ट विमर्शभिंगत निरुपणका सिद्ध होता है?

इसके अलावा भी एककृतिका मानसीसाधिका तुवितजासेवा तथा तो स्वयं विमर्शकार डिङ्गियोधसे कह रहे हैं. फिर भय, ऐसे लगता है कि, केवल वैविध्यप्रतिजाहिनिकों ही होना चाहिये! तो परम्पराधीत ग्रन्थोंके उनरूपसद्विषय कर देना चाहिये! हाँ क्या है; वैसी भी अच्छयनमप्परा स्तोत्रदिविमणिग्रहण भी प्रचारित हो ही जायेगी!

इसी तरह प्रभुभरणकाविवृतिके “एतादृश्यौ ते तत्साधिके न इति अधिग्रायकापक समर्तं पदम्” अंशकी श्रीबल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजी की टिप्पणिके आशयोंके साथ विमर्शकाने जो बालतीला प्रदर्शित की है उसका भी अनंद लेने लायक है :

“एतादृश्यौ ते तत्साधिके नेत्रभिग्रायापकं समर्तं पदम्” इस श्रीप्रभुचरणोंके वाक्यमें ‘तत्साधिके’ यह पद आया है उसका अर्थ ‘प्रत्यापेवासाधिके’ किया है और अगे सम्युक्तरूप किया है कि “तथा चैकर्तुर्कव ते तत्साधिके इति फलितार्थः.” “एककृति एव ते तत्साधिके” इस वाक्यमें ‘ते’शब्दसे मानसीसाधन तनुजा वित्तजा सेवाएं ग्राहा हैं. ‘तुवितजा’ इस समस्तपदवे दोनों (तनुजा और वित्तजा) सेवाएं एककृत होनी चाहिये, अर्थात् तनुजा और वित्तजा सेवाओंका कर्तवेताए एक हो — यह सूचित विनाय गया है. ऐसी स्थिरियों “एतादृश्यौ ते तत्साधिके न” इस वाक्यमें ‘ते’शब्दसे वे ही सेवाएं ली जायेगी जो मानसीसाधिका न होती हों अब जो व्यक्ति अपने शरीरसे भगवत्सेवा करता है और अपने धनका भी भगवत्सेवामें विनियोग (वैसे आधुनिक श्रीबल्लभभंशज तो प्राक् करते नहीं; उन्हें तो दर्शनार्थियोंके ही विस्तर भगवत्सेवा करनी सुहाती है : गो.श्या.म.) करता है उसने सेवाक्रम विस्तृत होनेसे नीकर-चाकरोंको रखा और उन्हें मजूरी देकर उनसे सेवा कराई. वहांपर मजूरी देकर करायी गवी सेवा मजूरी देनेवालेकी

*मेरे पास इसकी स्वरूपी मुलती मोटी हैलीली गवा वहां मुंबईके शुद्धाभूषण मंदिली क्रमण स्वीकृतियोजनेलेखावित नं.२३५८ तथा स्वीकृतियोजनेलेखावित नं.२४५० हैं. वैसे समाधानने केसेट्से कीतृत्व किया है कि श्रीबालकृष्णललोहीके मंगलभोगके लिते वह यह परियोजनाएं गई है.

वित्तजा है वह मानसीसाधन वित्तजाके अन्तर्गत हो सकती है. उसे मानसीसाधन वित्तजाके बहिर्भूत करनेमें कोई प्रमाण नहीं है. तो वह सेवा भी “एतादृश्यौ ते” इन दों सेवाओंमें प्रथमसेवामें आ जाती है. अर्थात् “वित्त दत्य अन्येन पुरुषेण कृत्वा कारितेन” कहकर आवी उदामें मानसीसाधकता नहीं यह कहना बाधित है. तब श्रीप्रभुचरणोंने विस आशयसे “एतादृश्यौ ते तत्साधिके न” कहा यह प्रश्न उठता है. उसका उत्तर यह है कि ‘ते’पदका अर्थ ‘तुजे’ कर उसे ‘एतादृश्यौ’ और ‘तत्साधिके’ इन दोनोंमें अनिवार्य करनेसे समाधान हो जाता है... तुनुसार निर्कर्ष विकला कि खरीदी हुई तनुजा और बेची हुई तनुजा मानसीसेवासाधन तनुजा नहीं इस अभिप्रायक ज्ञापक ‘तुवितजा’ यह समस्त पद है.” (विमर्श पृष्ठ: १२१-१२२).

यहां संपूर्णथम तो यह विचारायी है कि “उक्तसेवासाधने इतरे इत्याहुः तदिति” अंशकी कुविमर्शसंशोधित टिप्पणीके अनुसार भी शुद्ध पाठ होगा “इते = तनुजवितजे इति आहु तत् (सिद्धै तुवितजा) इति.” अतः प्रकान्त सेवा तनुजा वित्तजा और तनुजा अन्यान्य अन्यान्य अनिवार्य किसी दूसरे पुरुषको वित्त देकर करायी गयी सेवा, सेवाका एक प्रकार है, जिसे श्रीबल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी एक स्वयं ‘वित्तजा’ कह रहे हैं. इसी तरह दूसरे किसीसे वित्त लेकर की गयी सेवा, सेवाका अपर प्रकार है, जिसे श्रीबल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी एक स्वयं ‘तनुजा’ कह रहे हैं. इस तरह पूर्णप्रकान्त तनुजा और वित्तजा को उद्दिश्य बनाकर उके मानसीकी असाधिका होनेका विधान “एतादृश्यौ ते तत्साधिके न” द्वारा हो रहा है. इसका प्रमाण श्रीबल्लभजी-श्रीब्रजनाथजी दोनोंको द्वारा समानतया प्रदत्त निर्वर्धनिलक्षण बचन है “तथा च एककृतिके एव ते तत्साधिके.” बाबूबद इसके पूर्णप्रकान्त तनुजा एवं वित्तजा मेंसे विवेकचित्त होकर वित्तजाको अनिषिद्ध बनाना हो तो समानतयासे तनुजाको भी अनिषिद्ध मानना पडेगा. क्योंकि सेवाके विस्तृत प्रकारके निर्विहार्य मुखिया भीतरिया बालभोगिया दूधघरिया जलघडिया कीर्तनिया पद्मविजया हासमोनिया ज्ञापटिया फूलघरिया पानरिया समाधानी भेटिया की बटालियनके मजूरी महाराजोंको देनी पडती है. इसी तरह दर्शनार्थियोंको भी अपने गममें पू.पा. (देवलक) महाराजश्रीको भगवत्सेवार्थ सन्मुखभेट महेताखानामें भेट-सामग्री आदि अनेक रूपोंमें वित्त देना ही पडता है. जैसे मुखियाओंसे तनुजासेवा करवानेको महाराजोंद्वारा की गई वित्तजा सेवा दोषावह नहीं, ऐसे ही पू.पा.महाराजश्रीओंसे तनुजासेवा करवानेको बनियाओंद्वारा की गई वित्तजासेवा भी दोषावह तो नहीं है. फिर जैसे मुखिया आदि सेवाका विक्रय नहीं करते क्योंकि वे बेतनबुद्धिसे वित्त नहीं ले रहे हैं, किन्तु स्वेषमुखार्थ ही, वैसे ही वैत्तन बनिया भी (देवलक)पुरुषुद्धिसे ही देते हैं तथा पू.पा.गुरु

भी उसे छलकपटके बिना केवल स्वसेव्यप्रभुसन्तोषजननबुद्ध्या ही लेते हैं। ऐसी स्थितिमें यह क्यों नहीं कहा जाता कि वेतनबुद्ध्या प्रदत्त वित्तप्रदाताकी वितजा ही वेतनबुद्ध्या ग्रीहीत वित्तग्राहीताकी तुजुग — यों विचारा और तुजुग दोनों श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजीकी एकवाक्यता भी सिद्ध हो जायेगी। फिर वर्ष्य ऐसे श्रीविद्याराणायामके कुविमर्शकी आवश्यकता क्या है? छलतिक श्रीवल्लभजी-श्रीब्रजनाथजीकी अवाक्यता भी सिद्ध हो जायेगी। फिर वर्ष्य ऐसे श्रीविद्याराणायामके अन्यथा इन्हें विभवविस्तासे देवा हो ही नहीं पायेगी!

यदि वेतनबुद्धिसे वेतनदान या वेतनग्रहण दोषावह है और स्वयं वेतनदानग्रहण नहीं, तब तो मध्यबुद्ध्या मध्यापन दोषावह होगा, “सर्वं खतु इदं ब्रह्म” श्रुत्युक्त ब्रह्मबुद्ध्या नहीं। संगोक्तक्योद्वाह भी संगोक्तबुद्ध्या दोषावह होगा, कन्यबुद्ध्या नहीं। इसी तरह अन्याश्रय भी कृप्तियों द्वेषमें श्रूतबुद्ध्या ही अन्याश्रय होगा, शुद्धबुद्धतबुद्ध्या नहीं। तब इत्तर्संप्रदाय भी श्रूतबुद्ध्या ही अनुसारीय होंगे, सर्वुद्दिष्टोकरकृप्तप्रेरित धर्मबुद्ध्या नहीं। और तब तो — “आनन्दमात्रकरपादमुखोदादि सतत्रं च विधिदेवविजितात्मा” की अनुभूति हो ही जायेगी!

प्रतीत होता है कि ८४ तथा २५२ वैष्णवोंमें जो अकिञ्चन होनेपर भी तनुवित्ता कर सके थे उनमें अपने सेव्यको सम्मुच्च करनेकी छलकपटहित भावना ही नहीं थी! अन्यथा वे भी इस तरह व्यावासायिक मंदिर स्वसेव्यसातोषार्थ स्वप्नेयसन्तोषजनिका वैभूषियों सेवा क्यों नहीं करते? विमर्शकारोत्तर साक्षे सरे स्वप्नीकरणदाता कि शिष्याचार्याण् “महद्विष्ट्य” भक्तिप्रकार तो उसे भी कहा ही जा सकता! इससे सिद्ध होता है कि ८४-२५२के अन्तर्गत जितने भी, निकिंचन कम से श्रीवल्लभवंशज आधुनिक पू.पा.गोस्वामिओंकी तुलनामें तो अवश्य ही हीनाधिकारी पुष्टिवीव होंगे!!!

इसके बाद श्रीलालभृजीनी, यद्यपि, “भक्तिरस्य भवनं तदित्तमुत्तोपाधिनैत्यशेषम् मनःकल्पनम्” — “अहेतुबुद्ध्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे” — “गृहशुशृणुं महां दासवद् यद् अमाचाया” — “सर्वलाभोपरामणम्” वचनोंके सन्दर्भमें शब्दक तुजुग एवं वितजा सेवाओंका पृथक-पृथक निरूपण किया है, परन्तु “एककर्ता” (तुजुग+वितजा) = “तनुवित्ता”सुनको हृष्ट रखकर ही किया है। यह उनके आगामी अंशगत “ततः” = तनुवित्तसेवात्वं “व्याख्यानसे सुप्राप्त है।

श्रीद्वारकेशजीकी व्याख्या या तो विमर्शकारने देखी ही नहीं है या देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। अन्यथा विमर्शकारके पक्षका इससे अधिक सक्षम प्रत्याल्यान तो श्रीपुरुषोत्तमजीकी टीकाके आधारपर भी शक्य नहीं है। यहां उल्लेखनीय है “द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसावद्यते” इस व्याकरणनियमका ‘तनुवित्ता’पक्षे व्याख्यानार्थ प्रयोग करनेवाले मूलत श्रीद्वारकेशजी हैं।

श्रीद्वारकेशजीके अनुसार विचारकी भगवत्प्रवणतासिद्धिके लिये तनुवित्ता ही करनीय है, वे कहते हैं :

“टीकाका समस्तपदमिति ‘तनुवित्ता’ इति समस्तम् तुष्ट वित्तं च ‘तनुवित्ते’ तायां ‘जा’ता = कृता स्वतः प्रादुर्भूता वा = ‘तनुवित्ता’। द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् तुजुग वित्ता च.”

इसके सर्वथा करतामलकवत् स्पष्ट हो जाता है कि श्रीद्वारकेशजी तनुवित्ता सेवके स्वरूपगत ऐक्यको खड़ित करनेको तुजुग और वित्ता का द्वन्द्वान्त नहीं सुना रहे हैं, जैसा कि विमर्शकारने कुविमर्शपूर्वक करना चाहा है। अपितु ‘तनुवित्ता’में ‘जा’ द्वन्द्वान्तमें श्रूत होनेके कारण तुजुग और वित्ता का तनुवित्ताका साथ अन्वाचय कर रहे हैं, “भिक्षाम् अट गां च अन्य”न्यायसे। विमर्शकारने जबकि स्वार्थमूलक अनवधानवत् हिंस अन्वाचयार्थ प्रस्तुत गौण तुजुग और वित्ता के कल्पसे प्रधान तनुवित्ताकी प्रधानताको खत्तम करनेकी अभिनवतमी अज्ञानमयी तथा शुद्धवाक्यकरणयां अपनी मनोवृत्ति उत्तापन कर रही है। न केवल इतना अपि तु श्रीद्वारकेशजी जहा मानसीसिवानी किंदिद्विके लिये प्रधान तनुवित्ता तथा तदवृंदाग्रक तुजुग और वित्ता को मानसी सेवके अवान्तरफल ब्रह्मोपेतनी तथा संसारनिवृत्तिके सिद्धिदर्थिनीके रूपमें ही प्रस्तावित करना चाहते हैं। इवता आगे खुलासा करेंगे, विचार श्रीद्वारकेशजीको इसकी लेशमात्र कल्पना भी नहीं होगी कि उनके इस “व्याख्यावियासावैचित्र्य”के कारण आगामी उपित्तमार्गोंमें ऐसी कुप्रति प्रकट हो जायेगी कि अंगातुष्टानार्थ प्रधान अंगीके विलोपनकारी विमर्शकारसद्गुण पक्षधर (मिश्र) प्रकट हो जायेंगे!

इसके बाद श्रीपुरुषोत्तमजीकी व्याख्याका गुजरातीमें अनुवाद तथा सारांश देनेवाले श्रीविठ्ठलराजी तथा श्रीनरसिंहलालजी यहां क्या कहना चाहते हैं वह भी देख लेना चाहिये। श्रीवल्लभजी तथा श्रीब्रजनाथजीकी इट्पणी में हम देख चुके हैं कि “एककर्तुक तनुवित्तजे सेवे” = “तनुवित्ता” और “तनुवित्ता” = “एककर्तुक सेवे” मान्य समीकरण है। तदनुसार एककर्तुक तनुवित्तसेवाद्य अथवा एक तनुवित्ता सेवा ही मानसीरूप परमफलकी साधिका होती है इस अंशमें किसी भी संस्कृतभाषामें व्याख्या लिखनेवालोंको मतभेद नहीं है। वैसे ही यथार्थविवादीयानशैलीका भेद इन गुर्जरभाषामें तथा ब्रजभाषामें व्याख्यानकर्त्ताओंका भी

स्पष्ट दिखलाई देता है। व्याख्येय अनुष्ठानके प्रकारमें तो मतभेदक कोई प्रश्न प्रवण थर्वु तेतु नाम सेवा, ते थवासार तुजा अने वितजा करवी।” कहकर श्रीगुरुसंझी जाणीने आगला पद्धतु वर्णन करे छे के कहेली जे मानसी सेवा चित्तनु प्रवण थर्वु ते मानसी अने मानसी सिद्ध थवासार तुजा अने वितजा यह पर्याक्य व्याख्यानोपयिक है या अनुष्ठानोपयिक इसका खुलासा उनके अगले अनुवादसे हो जाता है : “ए कहेली रीते करव छे जे साधन तुजा वितजा; ऐसो अपाने करवे ते वितने रखोगुण पेदा करीने आपाना वितने भगवानमां कर्मों तेणे करीने तत्त्ववर्णलीपी फल न थाय। तेमज ऐसो रोजगारापाणी (विमर्शकाराभिमत कल्पित वेतनवेन नहीं अपितु वृत्त्यर्थ भी) लड़ी शरीरी सेवा करे तो तेम ए रोजगार लड़ी सेवा करनारे तत्त्ववर्णलीपी फल न थाय। वादी शंका करे तेम आईं ऐसो अपानासे फलरो! एवी शंका न करवी केमाके त्वांश्च क्रतिज्ञों एक वितक्षण दानप्रकारन) अपुर्व अने बरण करवुं, एम भक्तिमार्गामां भगवाने करवी, त्यारे ज साधनली तुजा वितजा पोते फलने वेदा करती पोते फलरूप जे ऐसा आपाने सेवा करवावी ते एक अने ऐसो लड़ी सेवा करवी ते बीजी तुजा नहीं प्रत्युत तुजा और विजा) ए बताववाला रुप समाप्तवालूं पद छे। देह पण भगवानमां लगाड्वो, एम करवावी एना मनमां एम आवे जे हवे (अर्थात् तु और वित ही तत्सधन हैं, तुजा-वितजा नहीं : गो.श्या.म.)

*(केवल ‘वेतनवेन’ ही नहीं अपितु इन्हें ‘रोजगार’ = उच्चप्रभावे करवानो थांगो, नेकारी के उच्चप्रभावार्थीकरासिंग जोड़ाकोला).

भगवानमां लगाड्वा, ते ज्यारे थाय त्वारे एने प्रेम थयो तेथी मानसी सिद्ध थाय।” (संवत् १९४८८८८ द. थायलमूलजीद्वारा ओम्बे सीटीप्रेसमें मुद्रित करकर प्रकाशित की गई प्रतिमें पृष्ठ : ११,२२ तथा २३-२५).

बड़ोंमानसीसेवालूप फलकी सिद्धिमें निजतन-निजधनका केवल करणसामग्रीघटक होना ही नहीं निरूपित किया है परन्तु वृत्त्यर्थ भावत्सेवन उपर्यम है यह भी निरूपित किया है, करसे कर्म सो वर्षार्द्ध हुए श्रीविष्णुलरायजीको तो परम्पराप्राप्त अध्ययनकी दुहाई देनेवाले विमर्शकाकी तरह इस विषयमें लेशामात्र भी सन्देह नहीं है। अतएव वे कहते हैं : “सेवा कथा विग्रे करतो होय ते लाभसार अने म्होर्द्वा (पीठाशीशाल) करतो होय ते उपर्यम हे...उपर्यम ते पांखं त्वारे उपर्यमी देवलकण्ठा विग्रे दोष पेदा थाय।” (पृ.८५-८६).

इसी तरह श्रीनरसिंहलाली भी कहते हैं—“श्रीकृष्णमें चित् प्रथम कल्प लभ होय, पीछे श्रीकृष्णके अन्यतरी होय और ता पीछे श्रीकृष्णमें एकतानरूपकूं प्राप्त होय सो सेवा कर्ही है। ऐसी सेवा सिद्ध होयवेके लिये तुवितजा सेवा है। अर्थात् श्रीकृष्णमें चित्तकी एकनामता होवयेके तुजा (शरीरदूर्) तथा वितजा (धनसं) सेवा है, यहां तुजा तथा वितजा ऐसे भिन्न-भिन्न पद नहीं करेते तुवितजा ऐसे समस्तपद कहो है तांत्रिको अधिग्राह ऐसो है जो अन्यांश् मूल्य(‘वेतनवेन’) अथवा केवल वेतनबुद्ध्या ही नहीं : गो.श्या.म.)रूप धन देके सेवा करावे सो वितजा सेवा भई, परन्तु ताकरिके राजस आय तामूँ मानसीसेवा सिद्ध न होय और मूल्य(वेतनबुद्ध्या ही केवल नहीं अपितु जैसे मनोरंशोक निर्धारित मूल्य लेके पलामा-फूलमंडली-छपनभोगे नाटक किये जा रहे हैं : गो.श्या.म.)रूप धन लेके शरीरसूँ सेवा को सो तुजा सेवा भई, परन्तु सोहू मानसीसेवाकूं सिद्ध नहीं करे हैं, जैसे वर्षमें जितने ब्राह्मणके बरण होय तिनकों यजकों फल नहीं होय है तैसे ही मूल्य लेके सेवा को तुजासेवाको फल (मानसी) सिद्ध न होय, तामूँ भगवानमें निकाम (अर्थात् वृत्त्यर्थ नहीं तथा पीठाशीशपद्माप्तवृत्त्यर्थ नहीं : गो.श्या.म.) स्नेह होय और शरीरसूँ तथा धनसं संग ही जो सेवा करे तामूँ मानसी सिद्ध होय।” (पृ.१३३-१३४). पुष्टिमार्गीय सिद्धान्तोंके तथाकथित परम्पराधीत तत्त्वोंके कुविमर्शमें जैसे विमर्शकारका कहना है उससे सर्वथा विपरीत श्रीनरसिंहलाली महाराज भी कहते हैं—“लौकिक अर्थ इच्छा राखिके जो भगवद्भनमें प्रवृत् होय सो सर्वथा क्लेश पावे हैं। इनेक कछु लाभके लिये पूजादिकों प्रवृत् होय सो तो पांखडी और देवलक कहो जाय है।” (पृ. ४४-४५). इन दोनों अंशोंकी एकाक्यता साधक देखेपर तुवितजा जैसे मानसीकी साधिका वैसे ही तुजा, अर्थात् सेवार्थ दूरीका वित् लेकर अपने देहसे की जाती सेवा, मानसीकी केवल असाधिका ही नहीं अपितु पांखडकी मनोवृत्ति

तथा शास्त्रः निनिदत् देवलकत्ववृत्ति भी है यह सौ वर्ष पूर्वक तो पुष्टिमार्गकी विद्वत्परमार्थमें मान्य था — इतना निश्चित है। इसके बाद ८वाँ अंश हमें देखना है।

(८) 'ततः संसारदुखस्य निवृत्तिर्विद्युत्योदयनम्' : इस अंशपर श्रीकल्याणराजजीने एक महत्वपूर्ण बात यह कही है कि तुवितजा सेवाके कारण सेवाकतकि अहंतामतात्वक संसारसंबंधी दुरुक्षी निवृत्ति होती है अर्थात् भगवद्भजनोपयोगी अहंतामतात्वक संसार तो उपादेश ही होता है।

श्रीपुरुषोत्तमजीने आधुनिक पुष्टिमार्गियोंके लिये सर्वदा अधिकाय बात यह कही है कि ब्रजभक्तों जैसा अधिकाय न होनेपर भी मार्गियर्वत्काचार्यचार्योक्त मनधंडत अर्थ निकालकर नहीं।) अर्थात् सदुपदेश प्रकरणे शास्त्रार्थों समझकर मनधंडत अर्थकी सुनकर नहीं। अतः न केवल बग्धा तुवितजा अग्रिम आध्यात्मीय मानसी सेवा भी यथोक्त रूपोंमें संपन्न होनेपर ही फलसाधिक होती है।

श्रीबल्लभभक्तिका कहना है कि सेवाके ऐसे स्वरूपके निरूपणद्वारा यह सिद्ध होता है कि किसी भी फलकी आकृक्षा रखे बिना अपने (नहीं कि दर्शनार्थी जनताके) यच्छ यात्र द्रव्यस्त्रिका सिदेवन करके कार्यान्तरमें अपने देहको विनियुक्त होता है; और दादमें मानसी सेवा हो पाती है। अतएव श्रीपुष्टुचरणके 'एतादृशस्य अवान्तरं फर्तं भवति इति आहुः तत इति' अंशकी व्याख्यामें 'निवेदितस्वीयवर्त्सवस्य भगवद्विनियुक्तदेहस्य तत इति साधनरूपसेवाद्वयतः' जो कहते हैं, यहाँ भी व्यक्तीकी भगवद्विनियुक्त यथादृशसमर्पणलूपा सेवा तथा शरीरजभगवद्यावत्सेवा का सदर्थ निर्दिष्ट है, अतः भगवद्विनियुक्त द्रव्य न होनेपर या वैसी शारीरिक सामर्थ्य न होनेपर निभ नहीं पायेगी, इस आशकाके समाधानार्थ यह पंक्ति उपदेशार्थ नहीं जैसा कि विमर्शकाराद्वा अभियाप्त प्रस्तावित किया गया है।

यही बात श्रीक्रजनाथजी भी कहते हैं अन्दर केवल इतना ही है कि उनके अनुसार व्यक्तिकी एकवर्कृता ही सेवा मानसीकी साधिका होती है अतः किसीके असमर्थ होनेपर यह अशक्योदयेश हो जायेगा परन्तु यह उपदेश अशक्योदयेश नहीं है, व्यक्तिकी सेवाको तुवितजा कहा गया है अतः किसी भी फलकी आकृक्षा रखे बिना जितनी स्वयंकी वित्तसामर्थ्य हो — जितनी स्वयंकी तुसामर्थ्य हो तदनुसार सेवा करनेपर यह मानसीकी साधिका बनती है। अतएव 'एतादृशं पदकी व्याख्यामें 'निवेदितस्वीयसर्वस्व' तथा 'भगवत्सेवविनियुक्त'पर भार दिया गया होनेसे

अग्रिमांश "ततः"की व्याख्याके रूपमें जो साधनसेवाद्वय कहा है वहां भी एकर्तुक सेवाद्वय ही विवित है — यह सभी निकाय भक्तिमार्गियोंको समझनेमें तकलीफ नहीं होगी। सकाम तो देवलकत्वितका समर्थन करनेमें भी लज्जा अनुभव नहीं करता तो अधिक क्या कहना ?

अतएव श्रीलाल्मुखजीने तो " 'ततः' = तुवितजसेवातएव संसारदुखस्य..." स्पष्टतया निरूपित किया है। श्रीद्वारकेशजीने यहीं श्रीबल्लभभक्ती-श्रीक्रजनाथजीका इग्नित पाकर अंगी तुवितजात्वरूप अवच्छेदकसे बाहासेवावृत्ति मानसीसेवाताथकवको अवच्छिन माना है। इसी तरह अंगभूत तुवितज-वित्तजात्व अवच्छेदकोंसे ब्रह्मतन्मसाधकताको तथा संसारनिवृत्तिसाधकताको अवच्छिन माना है। हेतु अतीव मजेदार दिया है कि तुव चांचौटिक होनेसे ब्रह्मतपक है अतः ब्रह्मविनियुक्त होनेपर 'गंगात्वं... तदद्वयपि' न्याये ब्रह्मतपक होकर वैसा घोष पैदा कर देता है। इसी तरह ममताद्वयीभूत वित्त व्यामोहिकामायाका कार्य होनेसे असुरी होता है। अतः ब्रह्मविनियुक्त होते ही ममता निवृत हो जाती है। ये देनों ही मानसीसेवाको लिये हैं पिर भी तुजा काकहेह बनती है और वित्तजा ज्ञापक। अतः स्वीक वित्तका अविनियोग वित्तकी अभगवत्प्रवाणताका ही ज्ञापक है।

(////) उत्तरांहार

वैसे तो ८ वर्षपूर्व श्रीबल्लभभस्त्री(ग्रन्थमाला)में प्रकाशित "पुष्टिने शीतल छायांदे"में विमर्शांशिकार्यवित्तुष्टीयोंके एक श्रीबल्लुराजने भी स्वीकारा ही था कि "पुष्टी सानियमां जे द्रव्य अथवा चीजबत्तु भेट धरवामां आवे ते देवद्रव्य कहेताय छे। काणके ते प्रमुने उद्धरेन ज भेट धरवामां आवतुं होय छे। आ रीते आवेतुं द्रव्य अथवा कोईपूँण वस्तु होय तेमां सीधु देवलकत्व आवे छे। तेथी अग्राह्य छे...श्रीती सन्मुख भेट धरेयेतुं द्रव्य अमारी पैदीमां (महेतानामां) जमा थतुं नथी। तेन स्मृष्ट देवद्रव्य कही शकाय अमे ते द्रव्यव्यी सिद्ध थती सामग्रीमां भगवत्प्रसादी थाया पछी महाप्रसादपूँ तो आवे छे परन्तु तेमी साथे तेमां देवद्रव्यपूँ रहे ज छे। तेथी वैष्णवो ए महाप्रसादने देवद्रव्य समजीने ज व्यवहार करवो जोईं। ते महाप्रसाद लेवामां देवद्रव्यव्यो बाध तो रहेतो ज छे।" (पृ. १८६-१८७)। इसी तरह "आवी तद्वयवरूपा सेवासिद्धिमां तुजा अने वित्तजा सेवाना साहचर्यी पण तेटी ज जरूर छे। तुवितजाना योगधी ज मुख्य जे मानसी सधाया..." (पृ. ११४) इन देनों विधानोंकी भी एकवाक्यतां करनेपर स्वयं श्रीबल्लुराजाद्वारा श्रीबल्लभभस्त्री(ग्रन्थमाला)में लिखे गये उस ग्रन्थ तथा षष्ठीमार्गीश्वरपदलभार्थ प्रकाशित महाभूती श्रीद्युत्यानथ(स्मृतिवश प्रकाशित)ग्रन्थप्रकाशनके इस नवम 'विमर्श'प्रश्नमें विभिन्न परम्पराएं उद्घितोचर हो रही हैं। यह ददोव्याधात भी इस सन्दर्भमें कम उल्लेखनीय नहीं है।

ऐसी स्थितिमें सिद्ध हो जाता है कि 'निष्पधि' विशेषणका जो सोपाधिक उपयोग तुम्हारिजाके अनुष्ठानोपर्याके स्वल्पीकारके खण्डनार्थ किया है वह देवलकाको केवल अविचारितमण्यं तुकुकाशावलन्वन ही है। दूसरे शब्दोंमें प्राचीन ग्रन्थोंके अभिधार्योंका स्वार्थानुकूलन्वन लुण्ठन करनेका महासाहस है।

देवलकवृति शास्त्र कहीं निर्दित तो कहीं अनिर्दित भी हो सकती है। जैसे सौत्रामणिमें सुएका विधान है, अन्यत्र सुएका स्पर्श भी निष्पधि है। कलिन्दिमें निषेध भी, ऐसे गवालंभन भी कहीं-कभी विधित था तो कहीं-कभी दोष न माना हो एतावता पुष्टिमार्गितर वैष्णव या शैव उपासनामें कभी देवलकाको दोष न कहना चाहे एतावता पुष्टिमार्गितर वैष्णव या शैव उपासनामें कभी देवलकाको कण्ठेत्तर निन्दाओंके रहते किनारा बड़ा वाकछल है! यह असन्मार्गित विचारालभि निषित या उद्देश्य करके जो कुछ दर्शनार्थियोंको द्वारा भेट-सामग्री दी जाती हो उसपर दर्शनार्थी (में शिष्य नहीं लिखता क्योंकि दुकानोंकी तरह भवितव्यक व्यापारार्थ चलनेवाले इन आधुनिक मंदिरोंमें शिष्य ही आते हैं इसकी कोई गैरटी नहीं है : गो.श्या.प.) जनताहारा दिये जाते विचरण जनताका स्वत्व रखना या नहीं यह गुरुकी इच्छार अधीन हो और ऐसे सारेके सारे द्रव्यपर गुरुका पूर्ण स्वत्व हो जाता हो तो किशोरीवाइक ठाकुरजीके लिये दी गई सामार्थियर न तो किशोरीवाइकी स्वत्व होना चाहिये था। यदि कहा जाये कि देवेलाला वैष्णव एक वैष्णव दूसरे वैष्णवको कुछ उपहार नहीं दे सकता क्या? यदि नहीं तो पू.पा.महाराजोंकी मुख्यादिकी फौजोंको सेवकी भी न दे पायेगा! इसका है परन्तु भगवदर्थ देनेसे वह देवद्रव्य बन जाता हो तो गोस्वामियोंके यहां भी वही व्यवस्था होनी चाहिये। या किर आधुनिक गोस्वामी असन्मार्गितर्त देवलक मनसे, पश्चात् वार्णिसे तथा अन्तरः कृति = आचरणसे भी करने ही चाहिये।

आजकल कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्य भी ऐसे अनेक स्वलन हमला किया जा रहा है? उत्तर सीधा है, कि अन्य स्वलन व्यवितरण है जिन्हें न तो वैष्णव धर्मबुद्धा देते हैं और न पू.पा.महाराजश्री उन्हें खुलेआम नहीं।

अतएव मुझे भी इस परिच्छेदको समाप्त करनेसे पहले जहां-जहां वैयक्तिक सन्दर्भमें सिद्धान्तसिद्धान्तका विशेषान्वयन करना पड़ा है, अर्थात् विमर्शकाके जैसी शुद्ध निर्वैयक्तिक भाषामें सिद्धान्त मैं लिख नहीं पाया हूँ मुझे तो अपनी इस असामर्थ्यका भी न केवल पूर्ण भान है अपितु कुछ अपराधोद्योग भी है। परन्तु क्योंकि साथ ही साथ मुझे यह भी अच्छी तरह अवगत है कि स्वयं विमर्शकारपे भी अपने शुद्ध सिद्धान्तबोधके आधारपर प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकट नहीं किया है, अपितु अर्थोनुत्तावाका तथा पदप्रतिष्ठामोहवश यह अकाङ्काषापव किया है। अतः उस स्थिरार्थमें भी यह प्रतिअकाङ्काषापव कर दिया है! और इसके लिये हृदयसे क्षमाकरके अलावा मैं पास अन्य कोई उपाय भी नहीं है। विमर्शकर सुझे क्षमा करके मेरी अपार्टिओर अपना कोई ठोस निराकण प्रस्तुत करते हैं तो मैं उस क्रांसे कभी उत्तर नहीं हो पाऊंगा। यदि क्षमा नहीं करते और मैंन धारण कर लेते हैं; जैसे 'पुष्टिमार्गिय पीठाधीशः स्वरूप और कर्तव्य'के बारेमें धारण कर लिया था, तो भगवदिच्छा!

अन्तमें —

युक्तिमितिशिशिलाभिः समादधानो द्वादान्देशम्।

वल्लभार्थोपि विमर्शन्थव्याजेन द्वूषणं वक्ति॥

इस तरह गोस्वामिश्रीदीक्षितात्मज श्यामसोहविवरित देवा-देवद्रव्यादिविमर्श तथा सेवादेवद्रव्यादिवासंसाग्रह क्रोडप्रसहितमें विशोधिकामें प्रथम सिद्धान्तमुक्तावल्मुक्त-सेवास्वरूपव्यषयकसिद्धान्तरूपरार्थ सेवाप्रकरणामक प्रथम प्रकरण यहां समाप्त होता है।*

// रक्तलाभतरात्मा श्रीहरिः प्रसन्नो अवतु॥

* * * * *

*इसके बाद (२) शास्त्रीय सन्दर्भमें पुष्टिमार्गियसेवार्थ आजीविकासवल्पविशेषाधनिका (३) वातावरिमश्रविशेषाधनिका (४) स्फृतप्रकरणविमर्शविशेषाधनिका (५) भावसंगोपनविमर्शविशेषाधनिका तथा (६) क्रोडाङ्कीड़नक्रीड़विभंग 'पुष्टिमार्गिय पीठाधीश स्वरूप और कर्तव्य'अन्तर्गत स्मृति-सन्दर्भात्मकारणपृष्ठ परिशिष्टापैतका प्रकाशन क्रममें होगा।

परिशिष्ट

(१)

जो कटोरी (गिरवी) धरिके सामग्री आई सो तो भोग श्रीठाकुरजी आप ही के द्रव्यको आरोगे सो आप ही को भयो. जो श्रीठाकुरजीको द्रव्य खायगो सो मेरो नहीं अरु मेरो सेवक भगवदीय होयगो सो देवद्रव्य कबूह न खायगो. जो खायगो सो महापतित होयगो. ताते वा प्रसादमें भोजन करिवेको अपनो अधिकार न हतो. वाके लिये गोअनकों खायायो अरु श्रीयुग्माजीमें पथरायो.

— पुष्टिसिद्धान्तप्राकटकारी महाप्रभु श्रीवल्लभ (वचनामृत : ३).

(२)

वैष्णवे सेवा, भगवद्स्मरण, भगवद्यर्थ इनमें पाखंड न करो. और काहुके दिखावयेके अर्थ, पुजा अर्थ, उद्घारार्थ न करे. आपनो सहज धर्म जानें, जेसे ब्राह्मण गायत्री जपे. ताम संतोषसुं सेवा करे... और विवेक बिना पुजा सेवा करे तो नक्में पढ़े, और पाखंडीकी पूजा, सेवा प्रभु अंगीकार न करे... अपने सेव्यस्वरूपकी सेवा आपुही करनी. और उत्सवादि समय अनुसार अपने वित्त अनुसार वस्त्र, आभुषण, भूतिभौतिके मनोरथ करि सामग्री करनी... सो रीतिप्राप्त यथावति करनी. जो द्रव्य होय सो श्रीकृष्णके अर्थ लगावनो, कृपणता नाहीं करनी.

— पुष्टिसिद्धान्तपालनकारी श्रीवल्लभ गोकुलनाथजी (२४ वचनामृत : ६ तथा १०).

(३)

आ जीव पूर्णपुरुषोत्तमांशी प्राप्त थयो होय तो ऐने पूर्णपुरुषोत्तम उप सहे उपजे. माटे आ जीव जे करे छे ते सेह विना करे छे. अने जे श्रीवल्लभकुल छे ते पोताना सेव्यस्वरूप उपर केवो स्नेह राखे छे? के एक बाजु द्रव्यनो ढालो करे, अने एक बाजु श्रीठाकोर्जीने पथरावो, तो श्रीवल्लभकुल ए द्रव्य सामुं जोशे पण नहीं, अने श्रीठाकोर्जीने अतिसेह करीने पथरावी लेशे. पण जे आ कलीना जीव नहीं, अने केवल वैभव सामुं जोशे अने तरत मोह पामरो. माटे जीवमां ने श्रीवल्लभकुलमां घणो फेरे छे.

...जीव सेवा भजन करसो पण मन लौकिकमां राख्यां तो तेथी

लोक रीझेशे. पण प्रभु नहीं रीझे. माटे जो प्रभुमे प्रसन्न कर्वा होय तो लौकिक कामना छोडीनै सेवा करे तो प्रभु प्रसन्न थाय.

— (श्रीमद्भुजी महाराजकृत ३२ वचनामृत : ५, १८).

(४)

...श्रीठाकुरजी पधरायके सेवा करन लागी. सुत कांतीके निर्वाह चलावे. हरहमेश अदाई अने कमावे तासों निर्वाह आनंदसों चलावे. तब एक दिन एक वैष्णवने रुपीआ पांच देके कहो— आज श्रीठाकुरजीको आछी भांतिसों आपेगावो. तब श्रीठाकुरजीके लिये बहोत प्रकारके व्यंजन किये, छेऊ रसको राजभेगा धेरे. पीछे श्रीको अनोसर कियो. तब श्रीठाकुरजी किशोरीबाईसों कहे— मोकुं भुख लागी है. तब किशोरीबाई कहो—आज बहोत सामग्री आरोगाई है, तब भुख ब्यों भये? तब श्रीठाकुरजी कहे— आज तीने पराई सत्ता धराई है, सो मैं नहि आरोग्यो. ताते वैष्णवको पराई वस्तु अंगीकार न करावनी.

— पुष्टिसिद्धान्तपोषणकारी श्रीवल्लभ (कामवनवाले) (६९ वचनामृत : ५३).

(५)

...वेवी ज रीते आपणे त्यां सन्मुखभेट थाय छे ते पण देवद्रव्य छे अने ते सामग्रीका कामपां नथी आवती. श्रीगोकुलनाथजी अने श्रीचन्द्रमाजी ना घरमां हजी आ नियमनुं पालन थाय छे. त्यां जे सन्मुखभेट थाय छे ते कीर्तिनियो लई जाय छे. ए कीर्तिनियो महावनियो होय छे. ते वल्लभकुलनो, यमुनाजीनो गोर होय छे. बीजो तेंु अनुकूलन करे ते खोदुं ... अने श्रीठाकोर्जी आगाडी जे सन्मुखभेट धरीए छीए छाता ते अलंकारादिकमां वपराय छे, सामग्रीमां नहीं. सन्मुखभेट धरवामां घणो अनाचार थाय छे.

...श्रीठाकोर्जी निपित्ते काँइ मंगाय नहीं के काँइ अपाय नहीं. ए रीते आवेल द्रव्य देवद्रव्य बने अने श्रीठाकोर्जी ते अंगीकार करे नहीं एट्ले सामग्री महाप्रसाद थाय नहीं अने ते लेनारनी बुद्धि बगडग्या बगर न रहे.

— श्रीराघवेलालजी महाराज राजनगरवाला (वचनामृत : ४४४, ४४७).

(६)

सेवा ए जाहेर कार्ये के जाहेर प्रवृत्ति नथी परन्तु सेवा ए पोताना आंतरिक जीवन साथे संबंध धरावती होवाथी ते आपणा जीवननी आपणा

निजी धरमां थती स्वधर्मल्प प्रवृत्ति छे... पोताना माथे विरजता स्वरूपनी
सेवा बगेरेनो पोताना अंगत धर्मचरण तरीके ते ते बालकोनो ज अधिकार
अने कर्तव्य छे.

— अधुना पुष्टिसिद्धान्तविनाशार्थ विमर्शकारी श्रीवल्लभ (सुरतवाले)
(पुष्टिने शीतल छांखेड़े: भाग १ पृ. १५८).
(७)

प्रेमपद्धतिने अनुसार ग्राह्य थयेतां पुष्टिभक्तिनां आ साधनो 'तुजा'
'वित्तजा' सेवारूपे प्रसिद्ध छे. "कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा
मता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तस्मिद्दै तुवित्तजा" इत्यादि आचार्यवाक्यो
अने स्पष्ट छे. आ तुजा वित्तजा चित्ती प्रवणतावाली मानसीता साधनरूपे
कहेली छे. एथी शरीर अने द्रव्यना संबंधवालां सर्वे साधनो आ अवस्थानी
सेवामां ग्राह्य छे. यदि शरीर अने द्रव्यना संबंधवाला एकपण साधने
जो सेवारूप भक्तिथी पृथक राखवामां आवे तो तेटला अंशरी आ साधनात्मक
सेवा अपूर्ण रहे अने तेथी भगवान प्रति चित्ती प्रवणतामां पण तेटली
ज हुटि रहेवानी संभावना बनी रहे. एतदर्थं अत्र तुवित्तजावालां साधनेने
जाणनां आवश्यक छे. तुवित्तजामां तुजातुं प्रापाय छे, केमके द्रव्यादि
शरीरशी ज प्राप्त थता होई ते वित्तजा तेन अंगरूपे ज ग्राह्य छे. अतः
केवल द्रव्यरी करावामां आवती सेवा फलदायी थती नव्ही. तेनां
शरीरनो संबंध पण अवश्य होयो ज जोड्हें.

— श्रीद्वारकादास परीख (पुष्टिमार्ग : पृ. ३०-३१).



स्वरूपान्तर

(१) अपने मार्गमें भगवत्सेवा स्वगृहमें ही करनी चाहिये, सार्वजनिक मंदिरमें
नहीं.

(२) भगवत्सेवार्थ दूसरेको धन देनेसे अहंकार बढता है, भावत्येम नहीं.
भगवत्सेवार्थ दूसरेका धन स्वीकारेपर वह सेवा भाडौती सेवा बन जाती
है.

(३) भगवत्सेवा स्वधर्म है, स्ववृत्ति या आजीविका नहीं.

(४) अपने भावात्मक सेव्य प्रभुका सार्वजनिक प्रदर्शन करनेपर हृदय भावशून्य
बन जाता है.

(५) वृत्त्यर्थ या चंदा एकवित करने की जाती भगवत्कथा श्रीमद्भागवतका
अनादर है.

